खण्ड-257, अंक-4
शुक्रवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1887
(23 अप्रैल, 1965 ई0)

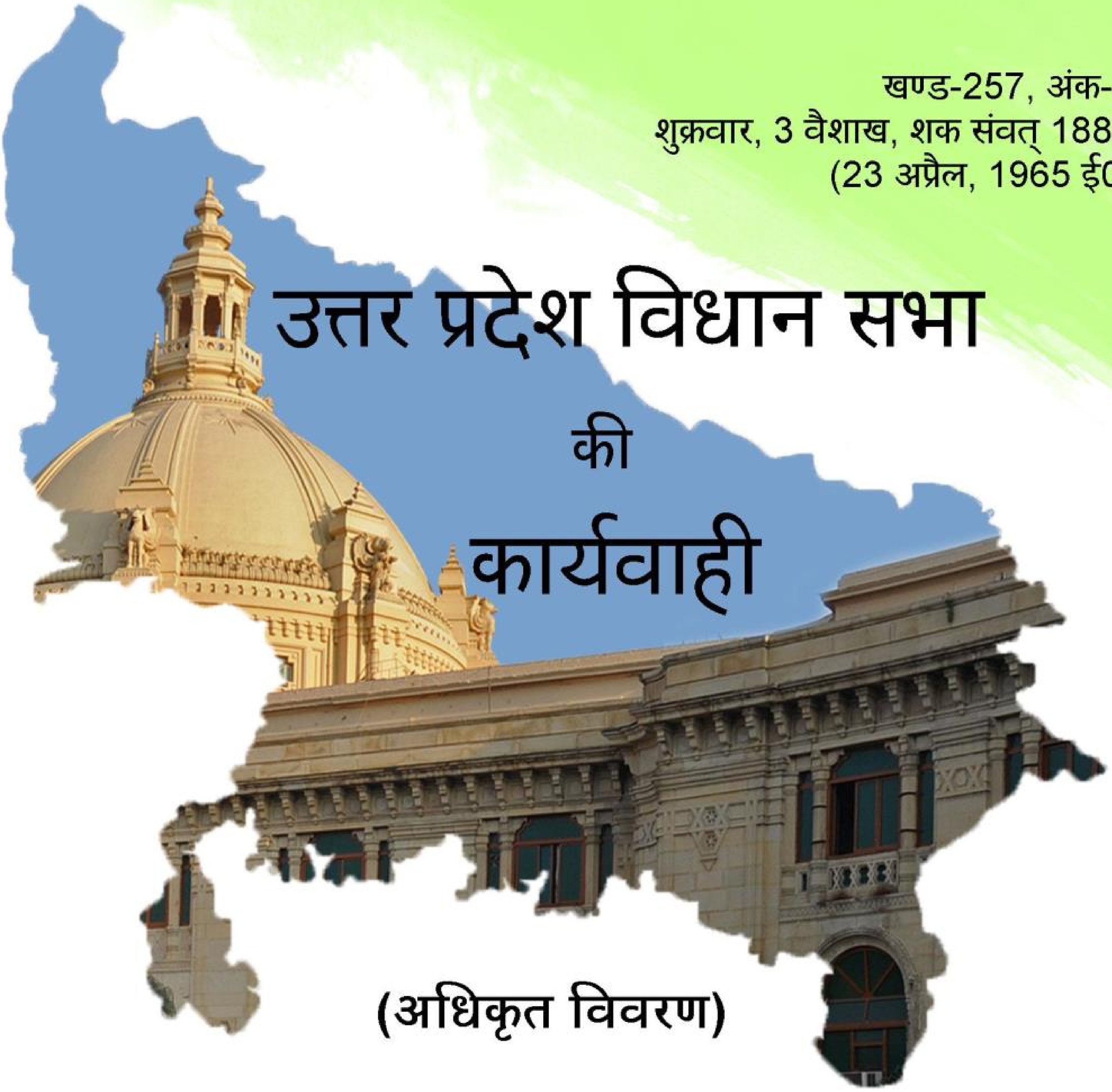

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ३८७–३९१ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ३९१–४३४ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. .. | ४३४ |
| प्रदेश के विभिन्न जिलों में चेचक के प्रकोप के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. .. | ४३५ |
| विधायक, सरदार बलदेव सिंह संबंधी विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से संबद्ध लेख्यों की मांग की सूचना .. .. .. | ४३५ |
| गृह मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने हेतु प्रस्ताव की सूचना .. .. | ४३५–४३७ |
| कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी .. .. .. | ४३७–४३८ |
| मालगुजारी का एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभाओं को देने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) .. .. .. .. | ४३८–४८२ |
| पंचवर्षीय योजनाओं से हुई प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के संबंध में संकल्प (जारी) .. .. .. | ४८२–४८४ |
| नत्थियां .. .. .. | ४८५–४९८ |


विधान सभा हरियाणा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३९७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री

गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशनारायण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री

नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
श्री बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री

मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री

शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९६५

---

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट

****१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी, (जिला बाराबंकी), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को पेश करने की मियाद ३० अप्रैल, १९६५ से बढ़ाकर ३० जून, १९६५ कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

प्रश्न सं० ६६ में बताया है कि इस कमेटी की मीटिंग १९ अप्रैल, १९६५ से शुरू हुई है । तो क्या मंत्री जी इस बात के लिये अपनी जगह पर श्योर हैं कि ३० अप्रैल तक काम खत्म हो जायगा और कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि ३० अप्रैल तक अपना काम खत्म करके समिति सरकार को रिपोर्ट दे दे ?

श्री जयराम वर्मा—

समिति का कार्यकाल ३० अप्रैल तक बढ़ाया गया था, अब अगर समिति इस बात की आवश्यकता समझती है कि उस समय के भीतर उनका काम पूरा नहीं हो सकता है और उनकी प्रार्थना समय बढ़ाने के लिये आती है, तो सरकार उस पर विचार करके उसको जरूर बढ़ायेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या उनसे इस किस्म का प्रार्थनापत्र मिल गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

ऐसा प्रार्थनापत्र अभी नहीं आया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि कमेटी ने ३० अप्रैल तक कार्यकाल बढ़ाने के लिये कहा था और सरकार ने बढ़ा दिया, कि ३० अप्रैल तक कमेटी ने जो वादा किया था, रिपोर्ट देने का, वह ३० अप्रैल, तक आ जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

उस समय समिति को आज्ञा थी कि वह ३० अप्रैल तक अपना काम पूरा कर लेगी । और अगर काम पूरा नहीं होता है, तो जरूर समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना करेगी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मंत्री जी बताएंगे कि इस कमेटी द्वारा कितना काम अब तक हो चुका है और कितना बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—

जो उनको साक्ष्य लेने थे, वह पूरे नहीं हुए, साक्ष्य लिये जा रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी कोई निश्चित समय बतायेंगे कि कितने समय तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष—

उसका जवाब हो चुका है ।

श्री जयराम वर्मा—

समिति ही अपना अन्दाज बतायेगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को देखते हुए कि कमटी पर अब तक २२,८२५.७५ रुपये खर्च हो चुके हैं और ३० अप्रैल, तक ८,८५५ रु० और खर्च होने का अनुमान है। तो इस बात को देखते हुए कि इस खर्चे का फाइनेन्स पर असर पड़ता है, क्या मंत्री जी निश्चित घोषणा करेंगे और कमेटी को आदेश देंगे कि फलां तारीख तक सरकार को रिपोर्ट दे दे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा---

कमेटी की बैठक लगातार १९ अप्रैल, से हो रही है और वह इस काम में लगी हुई है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें, लेकिन अगर काम पूरा नहीं हो पाता है और वह समय बढ़ाने के लिये कहते हैं, जो जरूर समय बढ़ाना पड़ेगा।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### शाहजहांपुर में श्री शंकरलाल की गिरफ्तारी

*१---श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर में श्री शंकरलाल, पुत्र इन्दरलाल सेल्सटैक्स का बकाया न देने के कारण दिनांक १८ अगस्त, १९६४ को क्यों गिरफ्तार किया गया जब कि १४ अगस्त, १९६४ को स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया गया था?

श्री जयराम वर्मा---

श्री शंकर लाल को बिक्री-कर का बकाया अदा न करने के कारण १९-८-६४ को सेल्स टैक्स अमीन द्वारा वारंट गिरफतारी की तामील में तहसील लाया गया। तहसील के अधिकारियों का कहना है कि उनसे बकाया धनराशि मांगी गई जिसे उन्होंने देने से इनकार किया और व्यापारी ने जज रिवीजन द्वारा दिये गये स्टे आर्डर की भी कोई चर्चा नहीं की। बिक्री-कर अधिकारी को जैसे ही उक्त घटना की सूचना मिली उन्होंने अविलम्ब तहसील के अधिकारियों का ध्यान स्टे आर्डर की ओर आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप व्यापारी को वापस जाने दिया गया।

*२---श्री जगन्नाथ राव---

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि तहसीलदार ने न्यायालय की मान हानि किया, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा---

बिक्री कर विभाग के अधिकारियों के कथनानुसार जज रिवीजन द्वारा दिये गये स्टे आर्डर की सचना तहसील में १४-८-६४ को प्राप्त हो गई थी और उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर प्युन बुक ( Peon Book ) में भी है। परन्तु तहसील के अधिकारियों के कथनानुसार आज्ञा-पत्र तहसील में नहीं प्राप्त हुआ। उनका यह भी कहना है कि श्री शंकरलाल ने उक्त स्टे आर्डर की कोई चर्चा नहीं की जब कि उन्हें बकाया धन न देने के फलस्वरूप तहसील में लाया गया था। मामले में वास्तविक स्थिति की ओर छानबीन की जा रही है।

श्री जगन्नाथ राव---

क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब १४-८-६४ को स्टे आर्डर मिल गया था, तहसीलदार के कर्मचारियों को, तो फिर १८ को क्यों गिरफ्तार किया गया?

श्री अध्यक्ष--

वह तो कहते हैं कि प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जगन्नाथ राव--

जवाब में है श्रीमन्, कि १४-८-६४ को सचना प्राप्त हो गई थी।

श्री जयराम वर्मा--

सैल्स विभाग का यह कहना है कि १४-८-६४ को सूचना भेजी गई और वह वहां प्राप्त हो गई। प्यून बुक में हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, लेकिन तहसील वालों का कहना है कि सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि सही बात क्या है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

१४-८-६४ को जो स्टे आर्डर प्राप्त हुआ, उस पर किसके दस्तखत हैं और उसको उस दिन संबंधित अधिकारी के सामने पेश किया कि नहीं? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी को आप कोई सजा देंगे?

श्री जयराम वर्मा--

इसी बात की जांच हो रही है कि प्युन बुक पर किसने दस्तखत किये हैं। और अगर किये हैं, तो तहसीलदार के सामने क्यों नहीं पेश किया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी क्या यह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपील की और स्टे आर्डर हो गया और जब लोग उसको गिरफ्तार करने गये, तो फिर भी उसने न कहा कि स्टे आर्डर हो चुका है? क्या वह समझ में आ सकता है कि वह न कहेगा कि स्टे आर्डर आया है?

अध्यक्ष--

अगर आ भी गया हो तो क्या है?

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी जांच करेंगे, जो सेल्स टैक्स अफसर वहां हैं, उनसे और व्यापारी से काफी विरोध है, इसलिये प्रिजूडिस हो करके उनको गिरफ्तार किया और अपमानित करने के लिये ऐसा किया है? क्या इसकी जांच करेंगे?

श्री जयराम वर्मा--

सारी बातों की जांच की जा रही है कि सही बात क्या है।

## मलौनी बांध में कटाव

*३--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर शहर को बचाने के लिये जो मलौनी बांध बना हुआ है वह सातवें मील के तीसरे फर्लांग से ७ वें फर्लांग तक बुरी तरह कट रहा है और इससे शहर की आबादी को खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो इस की पूरी रिपोर्ट क्या है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

नदी अपने बहाव से मलौनी बांध की सातवें मील के तीसरे फर्लांग से ७ वें फर्लांग तक बंधे की ओर काट रही है । रिपोर्ट माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८५ पर)

*४—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उक्त कटाव को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और क्या शीघ्र उसे लागू कर कटाव रोका जायेगा क्योंकि अब बांध की दूरी करीब ३०० फीट तक ही नदी से रह गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । कटाव को रोकने के लिये ५.३४ लाख रुपये की योजना बनाई है जो शासन के विचाराधीन है । इसकी स्वीकृति के पश्चात् कटाव को रोकने के कार्य को शीघ्र आरम्भ करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यह योजना कितने दिनों की है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है, अतिशीघ्र इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितनी भी कार्यवाही है सब पूरी हो गयी है । अब स्वीकृति के लिये वह सिंचाई विभाग को गया हुआ है । आशा है ४–६ दिन में स्वीकृति मिल जायगी और काम जल्दी हो शुरू कर दिया जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शहरों के कटाव को रोकने के लिये जो योजनायें बनायी जाती हैं, उन पर प्रदेशीय सरकार स्वीकृति देती है या वे फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास भेजी जाती हैं ? क्या इस योजना की स्वीकृति फ्लड कंट्रोल बोर्ड से ले ली गयी थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत योजना की स्वीकृति फ्लड कंट्रोल बोर्ड से ले ली गयी थी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## मधुबन–दुबारी सड़क

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की जिले जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत बनने वाली सूरजपुर, मधुबन वाया दुबारी रोड को बढ़ा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क में तुर्तीपार स्थान पर मिला देने की व्यवस्था चालू पंचवर्षीय योजना काल में है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क का निर्माण पटेल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है । इस सड़क को तुर्तीपार तक बढ़ाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह सड़क तुर्तीपार होकर जिला बलिया को जाती है, इसके पूरे न होने से वह अधूरी ही रह जायगी और यातायात ठप्प रहेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस सड़क की महत्ता को मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना में अगर इस सड़क को ले सके तो कोशिश करेंगे ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क को हाहा नाले तक ले जाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जो कुछ भी सुझाव आप लोग देंगे उन पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो इस योजना के अनुसार आप सड़क बना रहे हैं, उस पर कितना व्यय किया जा रहा है ? और यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिस सड़क का जिक्र किया गया है वह १२ लाख की लागत से मधुबनदुबारी रोड के नाम स्वीकृति हुई है । इसको जितनी जल्दी किया जा सकेगा, किया जायगा ।

## गोरखपुर जिले में लेखपालों की नियुक्तियां

*२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया २१ अगस्त, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न २ के संदर्भ में बताएगी कि १९६२ मार्च से अब तक किन लोगों की नियुक्ति हुई और क्या इसमें से किसी को बगैर वेटिंग लिस्ट का नम्बर आये ही रख लिया गया है ? यदि हां, तो ये कौन लोग हैं और उन्हें क्यों रखा गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

कोई नई नियुक्ति स्थायी जगह पर नहीं हुई । एवजी की जगहों पर भूतपूर्व पटवारियों की नियुक्तियां हुई हैं । उनके नाम संलग्न हैं । लिस्ट के बाहर के श्री राम चन्द्र लाल, रिटायर्ड सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो बहुत थोड़े समय के लिये दूसरा आदमी न मिलने के कारण रखे गये थे जो बाद में हटा दिये गये ।

लिस्ट के आदमियों को सीनियारिटी के हिसाब से ही रखा जाता है । जब सीनियारिटी से कैन्डिडेट उपलब्ध नहीं होता तब दूसरा रखा जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लिस्ट में जो तहसील बांसगांव के ८ आदमी दिये हुये हैं, क्या उनसे पहल के लोग जिनका नंबर था, क्या वे अवलेबिल नहीं थे या कोई दूसरी बात थी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

लेखपाल सेवा नियमों के नियम ७ के अन्तर्गत जब लेखपालों का कोई स्थान रिक्त होता है तो एस०डी०ओ० भूतपूर्व पटवारियों अथवा नये ट्रेंड लेखपालों में से नियुक्त करता है। इस प्रकार ज्येष्ठता के आधार पर ये नियुक्तियां की गयी हैं।

## फर्रुखाबाद जिले में शिक्षा शुल्क क्षति पूर्ति न पाने वाले कन्या विद्यालय

*३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् तथा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा ७ व ८ की बालिकाओं की शिक्षा-शुल्क की क्षति पूर्ति सरकार द्वारा गत १९६१–६२, १९६२–६३ १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में की गई है ? यदि हां, तो फर्रुखाबाद जिले के कौन-कौन प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनको शिक्षा-शुल्क की क्षति-पूर्ति का रुपया अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

१५००० से कम जनसंख्या वाले ग्रामों तथा नगरों में कक्षा ८ तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत वर्षों में उन सभी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान दिया गया जिन में उक्त योजना लागू है तथा जिन्होंने उक्त अनुदान के लिये आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

फर्रुखाबाद जिले के उन स्कूलों को, जिनका नाम संलग्न तालिका में अंकित है, उनके सम्मुख अंकित वर्षों में प्रश्नगत अनुदान नहीं दिया जा सका क्योंकि इन स्कूलों ने अनुदान के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४८७–४९० पर)

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि बहुत दिन पहले उन्होंने एक मांगपत्र भेजा था लेकिन दफ्तर के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित होने से वह अव्यवस्थित हो गया है तो ऐसी दशा में जिनको बकाया नहीं मिली है उनके प्रार्थनापत्र पर बकाया दिलाने का वह प्रबन्ध करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

ऐसी जानकारी यहां कोई नहीं है कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया और उनका प्रार्थना-पत्र कहीं दूसरी जगह चला गया, अगर उन की जानकारी में ऐसा कोई विद्यालय है कि जिसने प्रार्थना-पत्र दिया था और उस पर कार्यवाही नहीं हो सकी है तो माननीय सदस्य उसकी जानकारी दे दें, उसकी जांच की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने शिक्षा संचालक कार्यालय से जांच करायेंगे कि खाली फर्रुखाबाद के ही नहीं बल्कि प्रदेश के अधिकांश कन्या विद्यालयों की क्षतिपूर्ति का रुपया नहीं दिया गया है और तमाम हिसाब पड़ा हुआ है और वह अनुदान अबतक दिया ही नहीं गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सामान्य रूप में तो हमारी जानकारी यह है कि जिनके शुल्क की क्षतिपूर्ति होना चाहिये थी उनकी हो रही है लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी में यदि कोई ऐसी संस्थायें हों जहां शुल्क

की क्षतिपूर्ति नहीं हुई है तो मैंने निवेदन किया कि वह विशेष रूप से इस बात की सूचना देंगे तो देख लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, ३१ मार्च के पहले.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह तो दिया कि हमारी जानकारी यह है। यदि आपकी जानकारी इसके विरुद्ध है तो आप सूचना दे दें, वह देख लेंगे।

## उग्रसेनपुर की कथित लावारिस भूमि

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उग्रसेनपुर उर्फ बीबीपुर, जिला इलाहाबाद में १९५९ से १९६४ तक कितने परिवारों की भूमि लावारिस हुई और उस भूमि पर कब्जा गांव सभा का हुआ कि नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कोई भूमि लावारिस नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मरे हुए परिवारों की भूमि पर किन-किन व्यक्तियों का कितने-कितने वर्षों से कब्जा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

कोई भूमि लावारिस नहीं हुई इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लावारिस भूमि के कौन-कौन वारिस हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

लावारिस भूमि का कोई वारिस नहीं होता। विधि के अनुसार वह सरकार में चली जानी चाहिये।

*७--श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)--

[स्थगित किया गया।]

## घाटमपुर तहसील में हटाये गये लेखपाल

*८--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सत्य है कि कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के लेखपाल पर्याप्त संख्या में बिना किसी आरोपों के वर्ष, १९६४, १९६५ में सेवाओं से पृथक कर दिये गये ? यदि हां, तो पृथक किये गये लेखपालों के नाम क्या हैं, और वह कब से लेखपाल पदों पर कार्य कर रहे थे, तथा सेवाओं से पृथक करने के प्रत्येक के कारण क्या हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में ६ लेखपालों को हटाया गया। उनके बारे में सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९१ पर)

*९—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सेवाओं से पृथक किये गये लेखपाल काफी सीनियर हैं और इस समय भी उनसे जूनियर लेखपाल अपने पदों पर पूर्व की भांति ही कार्य कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची संलग्न है उसको गौर से देख लें । नम्बर १–२ के लेखपाल ४–४–५३ से ३१–३–६० तक काम करते रहे । उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और उन्हें कंफर्म कर दिया गया और उनकी जगह दे दी गयी तो सरकार बताने की कष्ट करेगी कि इस समय उनको निकाल देने का क्या आधार है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इन दोनों सज्जनों ने अपने रिप्रिजेंटेशन्स जिलाधीश, कानपुर के सामने पेश किये हैं । वे अन्डर कन्सीडरेशन हैं ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि दिनांक ७–६–६२ को कानपुर के जिलाधीश के यहां एक मुकदमा इन लेखपालों ने दायर किया था। उन्होंने उस मुकदमें को एस०डी०एम० के यहां भेज दिया जिसने फैसला दिया और उन्होंने उनकी पुरानी सर्विस को भी कन्टीन्यु माना और जगह दे दी लेकिन वर्तमान एस० डी० एम० ने उनके स्थान पर औरों को रख दिया । तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस बात की कोई सूचना मुझे नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव—

जो २ लेखपाल निकाले गये हैं क्या उनके विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, वे यों ही निकाल दिये गये थे अपनी अक्षमता के आधार पर ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिवदयाल लेखपाल को अकबरपुर तहसील से ट्रांसफर करके घाटमपुर तहसील में भेजा गया था और प्रयागनारायण लेखपाल क्षेत्र तिवारीपुर से तबादला करके अकबरपुर तहसील भेजने का आदेश था तब उनको न हटाकर नवल किशोर लेखपाल को हटाने का क्या आशय था ?

श्री अध्यक्ष—

लेखपाल को जब शिकायतें होती हैं उनकी अपील हो सकती है, सुनवाई हो सकती है । वह ऐसी चीज नहीं है कि उसके बारे में इतने सवाल उठाये जायं ।

श्री रामकिशोर वर्मा---

श्रीमन्, जो अपील हुई थी और जो फैसला हुआ था, उसका पालन नहीं हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं कि इन लेखपालों में श्री मन्नी लाल, प्रयाग नारायण, गया प्रसाद, माधव प्रसाद, कृष्ण बिहारी और गौरी शंकर, रामशंकर, शिवदयाल और प्रकाश नारायण थे ? वे सब उनसे जूनियर लेखपाल थे लेकिन उनको ही निकालने के क्या कारण हैं जो पहले से सर्विस कर रहे हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जो ये दो लेखपाल हैं वे तो लिस्ट पर थे ही नहीं । इसलिये उनकी जुनियारिटी या सिनियारिटी का कोई सवाल नहीं उठता है । इसलिये उनको हटा दिया गया है और जिन ६ लेखपालों को हटाया गया है उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया है ।

## नानकचन्द आदर्श इन्टर कालेज, चन्दौसी का आडिट

*१०---श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नानक चन्द आदर्श इंटर कालेज, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद का १९५८ ई० में आडिट हुआ था, वे कागजात अभी सीलबन्द जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के दफ्तर में पड़े हुये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी नहीं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद के कार्यालय में आडिट के केवल निम्नलिखित दो रजिस्टर रुके हुये हैं:

१---छात्रवृत्ति रजिस्टर जुलाई, सन् १९५४ से जून, १९५८ तक

२---कैश बुक जून, १९५५ से अगस्त, १९५८ तक ।

*११---श्री बिशनलाल यादव---

क्या सरकार को पता है कि नानक चन्द आदर्श इंटर कालेज, चन्दौसी (जिला मुरादाबाद) के कितने अध्यापकों को अभी तक नवीन वेतन-क्रम १९५९ का नहीं दिया गया ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उनको यह वेतन-क्रम दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

बारह अध्यापकों का मामला विचाराधीन है । निर्णय की दिशा में कार्यवाही की जा रही है ।

## गणेशपुर ग्राम में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*१२---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जनपद के परगना रामनगर के ग्राम गणेशपुर में कितनी-कितनी भूमि पर किन-किन लोगों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

तालिका सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९२ पर)

श्री गिरजाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी जमीन जो अनधिकृत रूप से लोगों के कब्जे में है, उनको वापस लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाराबंकी जिले में ग्राम गणेशपुर में २१ व्यक्तियों के पास २९ बीघा, १८ बिस्वे और १ विस्वांसी जमीन है उनके हाथ में अनधिकृत रूप से आ गयी है और उन सब के विरुद्ध मुकदमें भी चल रहे हैं। १८ व्यक्ति जो हैं उनमें से कुछ तो बेदखल कर दिये गये हैं और बाकी जो हैं उनको नोटिस दिया गया है और कार्यवाही की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि ग्राम समाजों की जमीन पर अनधिकृत रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा सारे प्रान्त में कब्जा करने की नीति चल रही है तो माननीय मंत्री एस० डी० एम० को आर्डर दे देंगे कि वे गांव-गांव में जांच करेंगे और जिसने नाजायज कब्जा कर रखा है उसको बेदखल करायेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस प्रकार का प्रदेश में समस्त जिलाधीशों को यह आदेश दिया जा चुका है कि जो इस प्रकार के कब्जे गासिबाना हैं उनकी देख-रेख रखें।

श्री गिरजाप्रसाद—

यह जो अनधिकृत भूमि कब्जे में चली गयी है यह सरकार को कैसे मालूम हुआ और जब सरकार को मालूम हुआ तो उस सम्बन्ध में उसे वापस लेने के लिये तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं बतला चुका हूं कि वहां कार्यवाही की जा रही है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जो भूमि पर अनधिकृत काबिज हैं उनकी देख-रेख के लिये जो माननीय जिलाधीश महोदय ने निर्देश दे दिये हैं तो क्या यह निर्देश उनको बेदखल करने के लिये दिया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

देख-रेख के माने यही हैं कि जाब्ते की कार्यवाही उनके खिलाफ की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस ग्राम समाज की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किन लोगों का कितने वर्ष से है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह तिथि मैं निश्चित तरीके से नहीं बतला सकता। सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या यह सत्य है कि चकबन्दी होने के बाद कागज नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

ऐसी बात नहीं है।

## हमीरपुर जिले में बेतवाघाट व जमुनाघाट से आय

*१३—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर में बेतवा और जमुना घाट को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब से अपने प्रबन्ध में ले लिया है तथा तब से अब तक उसमें कितनी आमदनी और कितना खर्च हुआ और उसमें से कितना जिला परिषद् को मिला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बेतवाघाट को १६ नवम्बर, १९६३ से और जमुनाघाट को १ नवम्बर, १९६३ से अपने प्रबन्ध में ले लिया है। दोनों घाटों से सम्बन्धित आय-व्यय के महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमाणित आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये हैं और इसलिये जिला परिषद् को भी उक्त तारीखों के बाद घाटों से हुई बचत का भुगतान नहीं किया जा सका है।

*१४—श्री डूंगरसिंह तथा श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछली बरसात में हमीरपुर बेतवा घाट पर नदी पार करने के लिये मोटर बोट का प्रबन्ध अन्य वर्षों की भांति क्यों नहीं किया गया जिस से जनता को भारी असुविधा हुई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पिछली बरसात में बेतवाघाट पर मोटर बोट का प्रबंध नहीं हो सका क्योंकि पुराने मोटर बोट के इंजन बहुत खराब हो जाने के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सकते थे और पूर्ण प्रयत्न के बावजूद भी समय पर नये इंजन प्राप्त नहीं हो सके। एक अतिरिक्त नाव इस घाट पर चलाई गई थी अतः जनता को कोई असुविधा नहीं हुई।

श्री डूंगरसिंह—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का यह अर्थ नहीं है कि ठेकेदारों से यह प्रबन्ध कब लिया गया बल्कि यह है कि जिला बोर्ड ने सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बेतवा और जमुना घाट का प्रबन्ध कब अपने हाथ में लिया और इस पर कितनी बचत और खर्चा हुआ तथा कितना जिला बोर्ड को दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९५९-६० का बचत का पैसा जिला परिषद् को दिया जा चुका है और उसके बाद प्रमाणित आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

कब आपने उसका प्रबन्ध परिषद् से अपने हाथ में लिया, यह सूचना आपके पास है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, यह सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है। इतना मुझे मालूम है कि १९५९-६० की बचत का हिस्सा जिला परिषद् को दिया जा चुका है।

श्री डूंगरसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नये इंजन के खरीदने का आर्डर कब दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, जब इंजन खराब हो गया तब दूसरा इंजन लेने की कोशिश की गई।

श्री डूंगरसिंह—

श्रीमन्, सितम्बर तक दूसरी बरसात आने में ९ महीने का समय था तो इंजन खरीदने का आर्डर कब दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जब मालूम हो गया कि इंजन खराब हो गया है तब आर्डर दिया। जब तक खराब नहीं था, आर्डर नहीं दिया गया।

श्री मोहनलाल अहिरवार--

क्या सरकार को पता है कि पिछली बरसात में बेतवा पर इंजन नहीं चला फिर भी पैट्रोल का खर्चा दिखाया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इसकी सूचना मुझे नहीं है। अगर माननीय सदस्य बता देंगे तो धन्यवाद दूंगा।

## शिक्षा संस्थाओं में छुट्टियां

*१५--श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू शिक्षा सत्र में शिक्षा विभाग ने ऐसा निश्चय किया था कि इस वर्ष छुट्टियां कम हों और काम के दिन अधिक बढ़ जायं किन्तु हुआ इसके विपरीत है ? क्या शिक्षा मंत्री इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*१६---श्री मूलचन्द शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि इस वर्ष हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं के दिनों में स्कूलों में १४ दिन की छुट्टियां शिक्षा विभाग ने की हैं और इतनी लम्बी छुट्टी हो जाने से दूसरे बच्चों को, जो स्कूल की परीक्षा देंगे, विशेष हानि होगी ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या प्रबन्ध करना चाहती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

पहले भी बोर्ड की परीक्षा के समय जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र होते थे वहां पढ़ाई का कार्य स्थगित हो जाता था। इस वर्ष इसे अवकाश नहीं माना गया है। इससे किसी विद्यार्थी को हानि होने की संभावना नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और मैंने यह भी पूछा था कि क्या इसकी जांच कराई है कि इस साल कितनी छुट्टियां हुई हैं ? यदि कराई हों, तो कृपया बता दें ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जब कोई छुट्टियों की शिकायत नहीं तो जांच किस चीज की कराई जाती ?

श्री मूलचन्द शास्त्री--

श्रीमन्, मुझे इसका कई संस्थाओं से पता चला है कि इस वर्ष और वर्षों से अधिक छुट्टियां हुई हैं और विशेष रूप से सर्दियों में हुई हैं। मेरा मतलब यह था कि उन दिनों स्कूलों से और इंस्पेक्टरों से पता लगाया जाता कि कितनी छुट्टियां हुई हैं। यदि वे ऐसा करते तो अंदाजा लगता कि छुट्टियां ठीक हुई हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का कहना है कि जब उन्होंने सूचना दे दी थी तो जांच क्यों नहीं कराई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ऐसी संस्थाओं के नाम बता दें तो जांच करा ली जायगी ।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, जो माध्यमिक शिक्षा संस्थायें और इंटरमीडियेट कालेज हैं उनका यह प्रश्न है । अभी तक जांच न कराई हो तो मंत्री जी अब करा लें ? यदि मंत्री जी जांच करायेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस साल ज्यादा छुट्टियां हुई हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि जो आदेश जाते हैं उनका पालन हो रहा है । अगर कहीं से शिकायत आती है तो जांच करा लेते हैं और अगर बहुत ज्यादा तादाद में शिकायतें आती हैं तो पूरी जांच करा ली जाती है । लेकिन इसमें तमाम विद्यालयों से जांच कराना कोई माने नहीं रखता है ।

श्री मैनेजरसिंह--

गत वर्ष से इस भावना से यह किया गया कि १४ मई के बजाय ३० मई तक स्कूल और कालेजों के पढ़ाई के दिन बढ़ जायें और छुट्टी कम हो जायें, तो फिर अक्तूबर का महीना, जो पढ़ाई का सबसे बेहतरीन समय होता है, उसमें विद्यालय क्यों बन्द कर दिये गये । इस से और ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ है । क्या मंत्री जी उसकी बन्दी के समय पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, पहले लगभग २०० दिन यानी ४०० मीटिंगों के लिये विद्यालय खुला करते थे, लेकिन यहां और केन्द्रीय स्तर पर भी इस पर विचार हुआ और यह माना गया कि पढ़ाई के दिन अधिक बढ़ाये जाने चाहिये, जिस से कि अब २२० दिन पढ़ाई के रखे गये हैं और १४५ दिन छुट्टी के रखे गये हैं और इन छुट्टियों का भी निर्धारण किया गया है । माननीय सदस्य ने जिस बात की चर्चा की है, इन १४५ दिनों के अन्दर ही इन ७ दिनों की व्यवस्था है । यह सात दिन इस दृष्टि से रखे गये हैं कि सात दिन की छुट्टी एक साथ दे दी जाय और उस छुट्टी को एक अवसर से सम्बद्ध कर दिया गया है । ७ दिन की छुट्टी इन १४५ दिनों में से ही है, उसके अतिरिक्त यह नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य के तो दिन बढ़ गये हैं, लेकिन जो अक्तूबर के समय में ७ दिन की छुट्टी देने की व्यवस्था पिछले वर्ष से की गयी है, उससे काम का बेहतरीन समय जाया हो रहा है । क्या माननीय मंत्री जी इस छुट्टी को काट कर मई मास में या किसी अन्य समय में देने के लिये विचार करेंगे जब कि पढ़ाई का ज्यादा नुकसान न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस छुट्टी का एक और विशेष मंशा रखा गया था कि विद्यालयों को भी इस बात का अवसर हो कि वह एक साथ एक अवधि में छुट्टी कर सकें जिस से कि वहां के विद्यार्थियों का कोई कार्यक्रम भ्रमण आदि का रखा जा सके । इस पर यदि कोई विशेष असुविधा होगी तो पुनः विचार किया जा सकता है ।

## कटेहर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण न होना

*१७—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी में टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत कहां-कहां सड़कें अब तक बन चुकी हैं और १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की क्या रूप-रेखा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में किसी सड़क का निर्माण पिछले ३ वर्षों में नहीं हुआ है। १९६५-६६ में भी किसी सड़क के बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है ?

श्री रघुनाथसिंह—

मंत्री जी ने बताया कि तीन वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या वे कृपा करके यह बतायेंगे कि ३ वर्ष से पहले क्या काम हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पिछले तीन वर्षों से पहले की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरा प्रश्न तो था योजना के अन्तर्गत और मंत्री जी ने बताया ३ वर्ष का। मुझे निश्चित उत्तर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि अब आप निश्चित अवधि के सम्बन्ध में पूछ लें तो वह बतला देंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

जब सार्वजनिक निर्माण विभाग में यह योजना बड़े महत्व की मानी गयी है तो सरकार इसके लिये व्यवस्था क्यों नहीं करती है जिलों के व्यय को ध्यान में रखते हुये ? जिला स्तर पर जिलों के अधिकारी कोई योजना क्यों नहीं बनाते हैं वहां की जरूरत को ध्यान में रखते हुये ? यदि योजना महत्व की मानी जाती है, तो क्या कारण है कि जब से देश स्वाधीन हुआ तब से सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक भी काम इस विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे पास तो सूचना टेस्ट वर्क के सिलसिले में है।

श्री कृष्णानन्द राय—

टेस्ट वर्क पर जो मजदूरी मर्दों, स्त्रियों और बच्चों के लिये क्रमशः १० आना, ८ आना और ६ आना रोज रखी गयी है, उसमें इस महंगाई के जमाने में कितनी भी भुखमरी हो, मजदूर नहीं मिलते तो क्या सरकार इस मजदूरी को बढ़ाने की कृपा करेगी ताकि सब जगह टेस्ट वर्क हो सकें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैं इस सम्बन्ध में विचार करूंगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह टेस्ट वर्क योजना क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप किताब में पढ़ियेगा ।

श्री रघुनाथसिंह--

जब टेस्ट वर्क योजना सार्वजनिक विभाग में इतनी महत्वपूर्ण मानी गयी है कि जिला स्तर पर कोई टेस्ट वर्क जिलाधीश नहीं बनाते और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार मेरी बात पर विश्वास करके पता लगायेगी कि अगर कोई काम सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं हुआ है तो क्या टेस्ट वर्क योजना के अन्तर्गत कुछ कार्य कराने के लिये सरकार अपने जिलाधीशों को आज्ञा देगी ?

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय मुमताज मुहम्मद खां वाला प्रश्न इम्पार्टेन्ट हो गया । वास्तव में कहीं दैवी आपदा आये तो उस से लोगों को संरक्षित रखने के लिये और उनको कुछ जीविका दिलाने के लिये टेस्ट वर्क्स चालू होते हैं ताकि वहां की जनता को कुछ राहत मिल जाय । अगर कहीं आपदा आयी और काम न हुआ तो प्रश्न कीजिये, भविष्य के लिये तो कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा ।

श्री रघुनाथसिंह--

मैं निवेदन कर दूं कि वहां गंगा और गोमती की बाढ़ों के कारण प्रति वर्ष बहुत तबाही आती है .....

श्री अध्यक्ष--

तो उस सम्बन्ध में पूछिये ।

श्री रघुनाथसिंह--

अगर इस सम्बन्ध में पूछें तो आप कहेंगे कि विषयान्तर हो गया तो हम क्या समझें कि आप किसे अनुमति देंगे यह तो ज्योतिषी ही जान सकता है । अगर सच पूछा जाय तो मुमताज मुहम्मद का प्रश्न मेरे विषय से विषयान्तर था, लेकिन आपने उस विषयान्तर का शिकार मुझे बना दिया ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा तो अब आप बैठ जाइये ।

## मरहद ब्लाक में तकावी की गलत वसूली की शिकायत

*१८--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के अन्तर्गत मरहद ब्लाक के गंगा विशुन कोइरी, सुखनन्दन, राम अधार कोइरी, विश्वनाथ कोइरी, किशोर हरिजन ग्राम मरदह तथा राम चरित्र यादव लछमन यादव पड़िता ने जिलाधीश महोदय के पास तारीख २४ अगस्त, १९६२ को गलत तकावी वसूली के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

*१९--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त किसानों के प्रार्थना-पत्र पर कलेक्शन नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं कलेक्शन अधिकारी ने यह रिपोर्ट लगाकर जिला नियोजन अधिकारी के पास भेजा है कि उक्त किसानों के जिम्मे कोई तकावी बकाया नहीं है ?

*२०--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अधिकारियों की रिपोर्ट के बावजूद भी उन किसानों से उस तकावी की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सरकार की जानकारी में है कि इस जिले गाजीपुर में बहुत सी वसूली हुई हैं जो गलत हैं ऐसी हालत में क्या आप जिलाधीश को आज्ञा देंगे कि वह इसका पता लगा लें ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न उसमें कैसे आयेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

इसमें जो आरोप किये गये हैं प्रश्न के अन्दर उसमें एक बात सिद्ध है कि उनकी अभी अपनी इंक्वायरी के मुताबिक उन आदमियों से जिन्होंने तकावी नहीं लिया है, वसूली हो रही है और उन्होंने परेशान हो कर दरख्वास्त दे रखी है और जैसा माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि बहुत गलत वसूली हो रही है तब तक जब तक कि सूचना न आ जाय, सरकार आदेश देगी कि उनकी वसूली का स्थगन हो जाय ताकि किसान परेशान न हों ?

श्री अध्यक्ष---

उसी के बारे में सूचना एकत्रित हो रही है, फिर भी मंत्री जी कुछ कहना चाहते हों तो कह दें ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह सब जानने के लिये सूचना हम मांग रहे हैं कि कहां तक तथ्य है, कहां तक सही है और कहां तक गलत है ।

श्री अध्यक्ष---

अगर यह सत्य है तो उस समय तक आप वसूली रोक दीजिये जब तक जांच न हो जाय ।

श्री रामकुमार शास्त्री--

अगर ऐसी बात होगी तो जरूर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

परसों भी इस तरह का माननीय सत्य नारायण पांडेय का सवाल था । इसको भेजे ३ महीने में केवल ४ दिन रह गये हैं । यह केवल एक ब्लाक का सवाल है । इसमें ग्राम का नाम दिया है और उस आदमी का नाम दिया है फिर भी एक ब्लाक से यह उत्तर नहीं आ सका है । इसको स्थगित कर दिया जाता है । सरकार के अधिकारी इसलिये उत्तर नहीं दे रहे हैं कि उनका भी तकावी के लेन-देन में हिस्सा रहता है । इसीलिये उत्तर नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

३ महीने तो नहीं हुये हैं लेकिन २ महीने भी काफी हैं ।

## सुसाड़ी ग्राम में बरसाती पानी भर जाने से क्षति

*२१--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सुसाड़ी खुर्द व सुसाड़ी कलां, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर में एक बरसाती नाला न खुदने के कारण पानी जमा होने से प्रति वर्ष फसल बर्बाद हो जाती है और ग्राम वासियों के पास खाने के लिये अन्न और पशुओं के लिये चारा नहीं हो पाता ? क्या सरकार जिलाधीश को तुरन्त आदेश देने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के लगान की वसूली तुरन्त रोक दी जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सहारनपुर जिले की रुड़की तहसील के सुसाड़ी खुर्द ग्राम में एक बरसाती नाला है जो उस ग्राम तथा आसपास के बरसाती पानी के इकट्ठा होने से बन जाता है। इससे खरीफ की फसल को थोड़ी क्षति पहुंचती है पर क्षति की मात्रा इतनी नहीं होती कि लगान में छूट दी जावे। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस नाले से कितना एकड़ क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी भर जाता है और क्या उनको यह भी जानकारी है कि जिस क्षेत्र में पानी भर जाता है उसमें कोई फसल रबी, खरीफ की पैदा नहीं होती है और न बोई जाती है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सुसाड़ी खुर्द और सुसाड़ी कलां के इर्दगिर्द बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है और वह देवबन्द तहसील तक चला जाता है। देवबन्द के आस पास के मवाजिरात के लोग इसको बहने नहीं देते हैं इसी वजह से यह सब जल प्लावित हो जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सिर्फ खरीफ को क्षति हुई रबी को नहीं हुई है। अब उस नाले की खुदाई के लिए सिंचाई विभाग ने व्यवस्था की है। इससे अधिक ब्योरा सिंचाई विभाग बता सकता है।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

मेरी जानकारी यह है कि वहां पर उस एरिया में बहुत क्षति होती है और कोई फसल बोई नहीं जाती है और फसल का बहुत नुकसान होता है तो इस पर मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इतना नुकसान नहीं हुआ है कि हम कोई छूट दे सकें।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

मेरी यह जानकारी है कि....

श्री अध्यक्ष--

आपकी जानकारी, माननीय मन्त्री जी की जानकारी से भिन्न है आप कोई फैक्ट्स पूछिए जो माननीय मन्त्री जी के बयान से असंगत हो।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इतना अधिक नुकसान नहीं है कि लगान में छूट दी जाय तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस वर्ष का जो लगान है उसको मुल्तवी करके आगे वसूल किया जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, हमारी सूचना यह है कि क्षति इतनी नहीं हुई है तो यह कैसे हो सकता है कि छूट दी जाय।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी, जो फसल को नुकसान पहुंचता है, उसको बहुत ही कम करके दिखाते हैं ? सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मन्त्री जी के समक्ष सबूत पेश करें, तो वे विचार करेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

यह व्यवस्था बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष--

इससे कोई लाभ नहीं है।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री जी को आमंत्रण है कि मेरे साथ चलें, मैं दिखाऊंगा कि ५०० एकड़ जमीन का रकबा ऐसा है कि उसमें कोई फसल न बोई जाती है, न पैदा होती है। माननीया सुचेता कृपालानी जब नियोजन मन्त्री थीं तो मैंने उनसे निवेदन किया था, उन्होंने नाले की नाप का आदेश दिया था लेकिन नाला नहीं खुदा। मैंने सिंचाई विभाग से भी प्रश्न किया था। अधिकारियों की रिपोर्ट यह है कि कोई क्षति नहीं है जिससे रिलीफ दिया जा सके। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वह मेरे साथ चलें।

श्री रामकुमार शास्त्री--

मेरी सूचना यह है कि नाला खोदने से दिक्कत दूर हो सकती है, लेकिन यह सिंचाई विभाग से ताल्लुक रखता है, यह ब्योरा वहां से मालूम हो सकता है।

श्री लखीसिंह--

मन्त्री जी ने कहा कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपके प्रश्न से मालूम होता है कि पानी भर जाने से फसल खरीफ की खड़ी हुई बरबाद होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इलाके में रबी की फसल पानी में से निकाल कर कितने एकड़ बोई गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

रबी की फसल को इस पानी से क्षति नहीं पहुंची है, यह मेरी इत्तला है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, पहुंची है, जरूर पहुंची है।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, बैठ जाइए। माननीय रामसिंह, आपने मन्त्री जी को आमंत्रित किया है, राजस्व मन्त्री को ले जाइए।

## बस्ती जिले में एन० सी० सी० के प्रशिक्षकों का बकाया वेतन

*२२--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूलों में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग देने वाले अध्यापकों का वेतन चार माह से ज्यादा बाकी है ? क्या सरकार उन्हें तुरन्त दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रथम भाग--ऐसे ६ हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं।

द्वितीय भाग--जी हां, उनका वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई है।

*२३--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कैडर्स की ट्रेनिंग के लिए स्कूलों में क्या नई व्यवस्था किस प्रकार करने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

## जिला परिषद्, बलिया से अप्रशिक्षित अध्यापकों का हटाया जाना

*२४--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया ने करीब ३०० अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी हैं जिनको भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद् के कार्यालय में विधिवत् रखा गया था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रश्नगत अध्यापकों की संख्या १०९ बतायी गई है।

*२५--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री गंगाप्रसादसिंह--

क्या यह सही है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार द्वारा योग्यता सम्बन्धी आदेश भेजा गया है? यदि हां, तो क्या उसका पालन अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया द्वारा हुआ है या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अप्रशिक्षित अध्यापकों की योग्यता सम्बन्धी कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिए गए थे। परिषदों के पथ प्रदर्शनार्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा केवल एक परामर्शदात्री पत्र भेजा गया था। शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है जिससे विदित हो कि जिला परिषद् बलिया के अन्तर्गत अध्यापकों की नियुक्तियां अनियमित हुई हों।

*२६--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री गंगाप्रसादसिंह--

क्या यह सही है कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, बलिया ने अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति बाद में की है जबकि उनका वेतन सम्बन्धी अनुदान शासकीय आदेशानुसार पहले की निश्चित तिथि से किया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या मन्त्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे कि १०९ से अधिक तादाद है अध्यापकों की, जो हटाए गए हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

१०९ की सूची मेरे पास है, कहिए तो पढ़ दूं। अगर इसके अतिरिक्त आपके पास सूचना हो तो बता दीजिए।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं सूची नहीं चाहता। मैं कहता हूं कि यह सूचना सही नहीं है, तो क्या आप अपनी संतुष्टि के लिए इसकी फिर जांच करा लेंगे कि १०९ से अधिक तादाद है?

श्री कैलाशप्रकाश--

किसी भी जांच के लिए कोई आधार चाहिए। सामान्य शिकायत आयी कि इतने अध्यापक नियुक्त हुए। वहां से सूचना मंगवाई गयी। वहां से सूचना आयी कि कितनी

नियुक्ति हुई हैं। मैनेजरसिंह जिला परिषद् के भी सदस्य हैं, अगर उनको सूचना है कि इस सूची के अतिरिक्त भी ऐसे अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति हुई है तो सूचना देंगे, फिर निश्चित रूप में जांच करायी जा सकती है। उससे कोई लाभ हो सकता है।

श्री मैनेजरसिंह--

शासन से कोई निर्देश अध्यापकों की योग्यता सम्बन्धी नहीं था। जब सरकार ने जिलेवार संख्या अध्यापकों की स्वीकृत की तो क्या उस में इस प्रकार का एक प्रतिबन्ध था कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल प्रथम, द्वितीय को वरीयता दी जायगी, यह १९६१ में भी आदेश था और १९६३ में भी दोहराया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

निम्नतम निर्धारित योग्यता तो ८वीं कक्षा पास है, लेकिन सरकार ने इस बात की प्रार्थना कर रखी है कि जहां हाई स्कूल या इन्टर पास व्यक्ति उपलब्ध हों वहां उन्हें ही रखा जाय।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह आदेश दे रखे हैं कि हाई स्कूल तथा इन्टर वालों को वरीयता दी जाय, लेकिन बलिया जिला परिषद् में ८वीं कक्षा पास के लोगों को अध्यापकों के पद पर नियुक्त किया गया है, क्या माननीय मन्त्री जी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? और यह पूछेंगे कि यह अनुचित कार्य क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने निवेदन किया कि मिनिमम योग्यता ८वीं कक्षा पास है। शासन तो उनको परामर्श देता है। जिला परिषदों को नियुक्ति का पूरा अधिकार है और वे अपने कार्य में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। हम तो आशा ही कर सकते हैं कि हमारे परामर्श के अनुसार काम हो।

श्री गंगाप्रसादसिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १०९ अध्यापकों को, जो हटाया गया है, इनको किसी सिद्धांत पर हटाया गया है या पार्टीबाजी या गुटबाजी के आधार पर हटाया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो जवाब आया है वह तो यह है कि १०६ जो हटे हैं वे सब से जूनियर थे, ३ का कार्य सब से खराब था, इसलिए हटाए गए ?

श्री होरीलाल यादव--

जो १०९ अध्यापक हटाए गए, उनकी जगह क्या दूसरे अध्यापक रखे गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

एक कमेटी इसके लिए बनी थी जिसने अन्य अध्यापकों का चयन किया था, उसमें इन निकाले हुए अध्यापकों को भी बुलाया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जो अध्यापक नए नियुक्त हुए हैं वे नियमों के विरुद्ध हैं और पार्टीबन्दी के आधार पर हुए हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

माननीय सदस्य को इसकी सूचना होगी, हमारी सूचना तो यह है कि कमेटी ने उनकी नियुक्ति की थी।

श्री मैनेजरसिंह--

जिला परिषद् के प्राइमरी अध्यापकों की निम्नतम योग्यता ८वीं कक्षा पास होने के कारण वे इस योग्य नहीं होते कि वे ठीक प्रकार से शिक्षा दे सकें। तो क्या सरकार उनकी निम्नतम योग्यता हाई स्कूल या इन्टर करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अभी तक तो निम्नतम योग्यता ८वी कक्षा पास ही है। इसलिए जो अब तक कार्य हुआ है वह वैधानिक ही है अब भविष्य में अच्छे पढ़े-लिखे लोग उपलब्ध हों इसलिए इस प्रश्न पर, भी विचार किया जा सकता है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १०९ एक्सपीरियेंस्ड अध्यापकों को क्यों निकाल कर नए अध्यापक लिए गए ?

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न हो रहे हैं उनसे यह संकेत होता है कि गुटबन्दी से काम हुआ है, योग्यता के आधार पर नहीं। तो यह प्रश्न अन्तरिम जिला परिषद् में हो सकते हैं।

## वाराणसी में दीक्षा विद्यालय के लिये भूमि

*२७--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में नया गवर्नमेंट नार्मल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में वाराणसी जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक पत्र स्थान की जांच करने हेतु जो बिल्डिंग हेतु था, उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को १३ अगस्त, १९६४ को लिखा था ? यदि हां, तो क्या स्थान की जांच उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने की है और कोई रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने १० जुलाई, १९६४ तथा १३ अगस्त, १९६४ को उपविद्यालय निरीक्षक, वाराणसी से दीक्षा विद्यालय के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि की उपलब्धि के सम्बन्ध में आख्या एवं सुझाव मांगा था। उप विद्यालय निरीक्षक ने जांच करके रिपोर्ट दी है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित लगभग १०--१५ एकड़ भूमि शिवपुर के निकट उपलब्ध है तथा खालिसपुर रेलवे स्टेशन के समीप माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित लगभग उतनी ही भूमि उपलब्ध है।

## लखनऊ के डिग्री कालेजों में डी० ए० के मद में वसूल की गई रकम

*२८--श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के विभिन्न डिग्री कालेजों में विगत पांच वर्षों में (१९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५) अलग अलग रूप से डी० ए० के मद में कितना-कितना रुपया वसूल किया और उसका व्यय किन-किन मदों में हुआ, क्या यह सत्य है कि लाखों रुपए में वसूल की गई यह रकम बिना किसी हिसाब-किताब के व्यय की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

नोट--तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

## बिजनौर जिले में श्री क्रान्तिकुमार को तकावी ऋण

*२९—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सत्य है कि श्री क्रान्ति कुमार, पुत्र श्री गोविन्द सहाय, एम०एल०ए० ने १५,००० रुपए ट्यूबवेल बनवाने के लिए राजस्व परिषद् से कर्ज लिया था, मगर ट्यूबवेल न बनवा कर सरकार के पास गलत रिपोर्ट कर दी है कि उन्होंने ट्यूबवेल बनवा लिया है? यदि हां, तो सरकार ने नियमानुसार कुल मुतालबा एक बारगी वसूल करने की क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

यह सही है कि श्री क्रान्ति कुमार को १५,००० रुपये का तकावी ऋण दिया गया था लेकिन यह ऋण राजस्व परिषद् ने नहीं दिया था बल्कि कलेक्टर बिजनौर ने दिया था। राजस्व परिषद् ने केवल उक्त धनराशि को प्रदिष्ट (एलाट) किया था।

यह ऋण श्री क्रान्तिकुमार को ट्रैक्टर खरीदने के लिए, बाड़ा लगाने, जुताई के लिए, उनके फार्म को अन्य साधनों द्वारा बढ़ावा देने के लिए तथा आबपाशी हेतु दिया गया था। आबपाशी में ट्यूबवेल भी शामिल हो सकता है।

जहां तक ट्यूबवेल का प्रश्न है वह श्री क्रान्ति कुमार ने बनवाया ही नहीं। उन्होंने केवल कलेक्टर बिजनौर को यह सूचित किया था कि उन्होंने तीन स्थानों पर परीक्षण-बोरिंग (ट्रायल-बोरिंग) की थी जिसमें उन्होंने ३,००० रु० खर्च किया था पर वे असफल रहे।

कुल मुतालबा एक बारगी वसूल करने का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि उन्होंने समस्त ऋण को आबपाशी के अतिरिक्त और उन सभी कार्यों पर व्यय कर दिया था जिनके लिए वह दिया गया था।

*३०—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

[उत्तर दिया जा चुका है।]

[२३ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## कमलसागर बाजार में सड़क पर डामर डालने की प्रार्थना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन, बिलथरा रोड, जिला आजमगढ़ पर कमल सागर स्थान पड़ता है और सड़क डामर की न होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सालय के कार्यकर्ताओं एवं रोगियों और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने तथा पढ़ाने वाले छात्रों, अध्यापकों पर धूल के झोंके बराबर लगा करते हैं क्या जिसके कारण जनता में असन्तोष है? तथा कई बार आवेदन-पत्र अधिशासी अभियन्ता के पास दिया जा चुका है? यदि हां, तो सड़क पर डामर करने में क्या दिक्कत है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सड़क कंकड़ की होने से कमल सागर बाजार में मोटरों के चलने पर धूल उड़ती है। अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ के कार्यालय में इस बाजार में सड़क पर डामर करने के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है। इस बाजार को सड़क पर डामर करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

## राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़ का भवन

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, आजमगढ़ के भवन निर्माणार्थ लगभग ४ वर्ष पहले सरकार द्वारा ४ लाख रुपया दिया गया था ? यदि हां, तो उस रुपए का उपभोग न होने के कारण क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय बालिका इन्टर कालेज, आजमगढ़ के भवन निर्माणार्थ ४ लाख रुपया स्वीकृत किया गया था।

संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण स्थगित कर दिया गया था अब शीघ्र भवन निर्माण कराया जायगा।

## वाराणसी जिले में प्रधानाध्यापकों का चुनाव

*४—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों में से प्रधानाध्यापकों के लिए जुलाई, सन् १९६४ में चुनाव हुआ था ? उसमें कितने प्रधान अध्यापकों को लेना था और कितने लिए गए और उसमें परिगणित कितने हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

२८ अध्यापकों को फिटनेस का प्रमाण-पत्र दिया गया जिनमें परिगणित जाति के एक अध्यापक हैं।

*५—श्री हरिगैन राम—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने अध्यापक चुनाव हेतु बुलाये गये थे और उनमें कितने परिगणित अध्यापक थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रधानाध्यापक पद की फिटनेस सर्टिफिकेट हेतु ५५ नाम थे इनमें परिगणित जाति के २ अध्यापक थे।

## पेन्शनर्स को महंगाई-भत्ता देने की सिफारिश

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अत्यन्त बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार ने अपने तमाम रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के साथ उनको महंगाई भत्ता देने पर क्यों अब तक कोई विचार नहीं किया जिससे कि उनको कुछ राहत मिलती ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न में उल्लिखित "तमाम रिटायर्ड कर्मचारियों" में अनिवार्यतः वे रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं जो अच्छी तनख्वाहें पाते हुए सेवा निवृत्त हुए हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान महंगाई की पृष्ठ भूमि में इस प्रकार सभी पेंशनरों के लिए आर्थिक सहायता का न ऐसा व्यापक औचित्य है और न उसकी आर्थिक संभावना ही जिसकी प्रश्न में कल्पना की गई है। इस दिशा में छोटी राशि के पेंशनरों के लिए सरकार "महंगाई भत्ता" नाम से तो नहीं पर अन्य उल्लेखों से १९४३ ई० से बराबर यथाशक्ति मदद करती आ रही है। इस संबंध में पिछली वृद्धि १ अप्रैल, १९६४

से "तदर्थ वृद्धि" (adhoc increase) नाम से दी गई है और यह उस 'अस्थायी वृद्धि' के (temporary increase) अतिरिक्त प्राप्य है जो पहले से मिलती आ रही थी ।

*७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के साथ महंगाई-भत्ता देने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न नहीं उठता ।

## बुलन्दशहर जिले में टेस्ट वर्क चलाने की प्रार्थना

*८—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार जिला बुलन्दशहर में जहांगीरपुर से झांझर कच्ची सड़क पर खाद्यान्न अभाव स्थिति को देखते हुए टेस्ट वर्क चालू करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । वहां टेस्ट वर्क चालू करने की आवश्यकता नहीं है ।

*९-१०—श्री बृजेश्वर सहाय—

[स्थगित किये गये ।]

## स्याना-अनीवास कच्ची सड़क

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अनूपशहर ब्रांच गंगा नहर की सर्विस रोड को स्याने से अनीवास तक पक्का बनाने की आज्ञा सिंचाई विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हाल में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब प्राप्त हुई और उस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं । इस विभाग द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

## गीता प्रेस द्वारा जिला परिषदों को पुस्तकों की सप्लाई

*१२—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषदों के लिए अनिवार्य तथा वैकल्पिक पुस्तकें खरीदने के लिए चयन करने के लिए आदेश सं० डी० ई० नं० आई० १/६८०/३४-१(९)—६३-६४, दिनांक २ मई, १९६४ के अन्तर्गत प्रकाशकों से नमूने की तौर पर पुस्तकें भेजने की मांग की गई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, मांग की गई थी किन्तु प्रश्न में उल्लिखित पत्र द्वारा नहीं ।

*१३—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गीता प्रेस ने चयन के लिए नमूने की पुस्तकें नहीं भेजीं फिर भी ३०,००० रुपये की पुस्तकें उनकी ली गईं जिसे वह सप्लाई नहीं कर सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं, गीता प्रेस ने चयन के लिए नमूने की पुस्तकें भेजी थीं और उन्हीं में से उनकी पुस्तकों का चयन किया गया था। अभी तक गीता प्रेस ने ६ जिला परिषदों एवं १७ नगर-पालिकाओं को उनकी मांग पर पुस्तकें सप्लाई की हैं।

*१४--श्री गयाप्रसाद--

क्या यह सही है कि एक प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकें भी ली गई हैं जिसके कारण दूसरे प्रकाशकों की पुस्तकें नहीं ली जा सकीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, यह सही है कि एक प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकें भी ली गई हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि इसके कारण दूसरे प्रकाशकों की पुस्तकें नहीं ली जा सकीं।

## दातागंज तहसील में चकबन्दी

*१५--श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं) तथा श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)--

क्या यह सही है कि सरकार ने तारांकित प्रश्न संख्या २९, दिनांक १२ फरवरी, १९६५ के उत्तर में जो नहर बताई है वह नहर मौके पर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अब जो सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चला है कि मौके पर नहर की नहीं बल्कि ट्यूबवेल की सड़क है तथा चकबन्दी में बाहर की जमीन है जिसके कारण चक चौकोर नहीं हो सका। चक के चौकोर होने में रुकावट अब भी है।

*१६--श्री शिवराजसिंह तथा श्री जुगलकिशोर--

क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में लिखित तीनों चक नियम विरुद्ध सरकारी आयात रेखा के प्रतिकूल लगभग एक ही दर की भूमि पर बनाये गये हैं और उनमें चार-चार से अधिक कौन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों चकों को केवल एक आयताकार चक बनाने की कृपा करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

चक नियम के अनुसार लगाये गये हैं। इसका फैसला अदालती तौर से हो चुका है। सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

## फर्रुखाबाद जिले में सड़कें

*१७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में जिला बोर्ड की वह कौन-कौन की सड़कें हैं जिन्हें आवश्यकता व जनहित को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने शीघ्र ही पक्का करवाने के लिए अपने अधीन ले ली थी, लेकिन कुछ कारणों से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस शर्त पर जिला बोर्ड को वापस कर दी थी, कि जब भी जिला बोर्ड की सड़कों का प्रांतीयकरण होगा तब इन सड़कों को पहले लिया जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिला फर्रुखाबाद में ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जो जिला बोर्ड से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पक्का करने के लिए लिया हो और उसे वापस किया हो।

*१८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

क्या यह सही है कि जिला परिषद् की उन आवश्यक सड़कों को न लेकर दूसरी सड़कों के प्रांतीयकरण के लिए जिला परिषद् फर्रुखाबाद ने सिफारिश की है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१९--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

अगर हां, तो क्या सरकार उन सड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी करके आगामी पंचवर्षीय योजना में प्रांतीयकरण करके पक्का करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

आगामी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तथा आकार अभी निश्चित नहीं हुआ है । अतः यह कहना संभव नहीं है कि उस योजना के अन्तर्गत किन सड़कों को पक्का निर्मित करना संभव हो सकेगा ।

## दीक्षा विद्यालय, रायबरेली के पुराने अध्यापक

*२०--श्री भगवानदीन (जिला राय बरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय राय बरेली में काम करने वाले अध्यापक कितने ऐसे हैं जिन्हें एक ही स्थान पर काम करते तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं और उनके तबादले नहीं किए गये हैं तथा जिनका स्थानान्तरण जिले में आने के बाद एक बार किया गया उसे फिर स्थगित कर दिया गया ? ऐसा करने का क्या कारण था ?

श्री कैलाश प्रकाश--

ऐसे ८ अध्यापक हैं जो राजकीय दीक्षा विद्यालय, रायबरेली में ३ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं । किसी भी अध्यापक का एक बार स्थानान्तरण होने के बाद स्थगित नहीं किया गया ।

प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

## विरनों ब्लाक में लड़कियों का जूनियर हाई स्कूल

*२१--श्री झिलमिटराम--

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २१ फरवरी, १९६४ के प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल व अध्यापिकाओं के निवास-स्थान का प्रबंध कब तक हो जायेगा और कौन करेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में इसका प्रबंध शासन द्वारा होगा ।

*२२--श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)--

[तेरहवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## फर्रुखाबाद जिले में रामगंगा व गंगा का कटाव

*२३--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री सुरेंद्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की सदर तहसील में गंगा व रामगंगा से कौन-कौन ग्राम तीन वर्षों के अन्दर कटाव के कारण कट गये हैं और क्या

कटे हुए ग्रामों के निवासियों को बसाने के लिए अभी तक जगह नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रार्थना-पत्र बसने की जगह प्राप्त करने के हेतु सरकार तथा संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन हैं और कितने दिन से उनका अभी तक निर्णय क्यों नहीं हो सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रामगंगा द्वारा १९६२ व ६३ में ग्राम बेचे पट्टी, लढ़ापुर, भावन व सीढ़े चकरपुर का मजरा, चकरपुर तथा १९६४ में ग्राम सीढ़े-चकरपुर का बाकी भाग कटा था। गंगा नदी से १९६३ में ग्राम मथरा कटा था। कटाव से प्रभावित समस्त ग्रामों के वासी नये स्थानों पर बस चुके हैं। इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

## तिलहर तहसील में सीलिंग से प्राप्त भूमि

*२४--श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में कितनी भूमि सरकार को सीलिंग से प्राप्त हुई और उसका सरकार ने क्या प्रबंध किया और क्या चकबन्दी में हद बन्दी से प्राप्त भूमि का अलग चक बनेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

३०७ एकड़। इसमें से २४५ एकड़ अतिरिक्त भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को कलेक्टर द्वारा उठा दी गई है। अधिकतम जोत सीमा आरोपण से प्राप्त भूमि सरकार में निहित हो जाती है जिसके कारण उसका अलग चक बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

## देहरादून जिले में मोटर सड़कों का निर्माण

*२५--श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून में चकरोता त्यूनी और चकरोता-मसूरी, कालसी-बड़कोट तथा आराकोट-सालो (रोड राजवन मीनस सड़क का हिस्सा) मोटर मार्ग कब तक मोटर चलने लायक हो जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिला देहरादून के अन्तर्गत प्रश्नगत सड़कों की वर्तमान प्रगति निम्नलिखित है--

(१) चकरोता-त्यूनी--५० मील में से लगभग २७ मील तैयार हो गया है। शेष २३ मील का निर्माण दिसम्बर ६५ तक पूर्ण होने की आशा है।

(२) चकरोता-मसूरी--५५ मील में से ३२ मील का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी २३ मील भी शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

(३) कालसी-बड़कोट--देहरादून जिले में इस सड़क का जो भाग पड़ता है उसका निर्माण पूर्ण हो चुका और पिछले वर्ष से इस पर गाड़ियां चल रही हैं।

(४) रोड़ू राजवन मीनस--इस सड़क का जो २५ मील का भाग इस प्रदेश में पड़ता है उसके १० मील का निर्माण पूर्ण हो चुका है। और शेष १५ मीलों का निर्माण कार्य दिसम्बर ६५ तक पूर्ण होने की आशा है।

*२६--श्री गुलाबसिंह--

उपर्युक्त मोटर मार्गों के बनने में किन-किन व्यक्तियों की जमीन तथा दूसरी चीजों की क्षति हुई है और किन-किन को इस क्षति का मुआवजा मिल चुका है और किन-किन को बाकी रह गया है और कब तक मिल जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सूचना एकत्रित की जा रही है-

## फतेहपुर जिले में कलेक्शन अमीन

*२७--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फतेहपुर में पहली जनवरी, सन् १९६३ से कितने ऐसे कलेक्शन अमीन कार्य कर रहे हैं जो पहले जमींदारी विनाश में मोहर्रिर के पद पर कार्य करते थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिला फतेहपुर में ऐसा कोई मोहर्रिर नहीं है जो कलेक्शन अमीन के पद पर १ जनवरी, १९६३ से इस समय तक कार्य कर रहा हो ।

*२८--श्री शिवनाथसिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मोहर्रिरों को कलेक्शन अमीन बनाने के लिए कोई आदेश सरकार की ओर से ३ अक्तूबर, १९६२ को हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

३ अक्तूबर, १९६२ का आदेश राजस्व परिषद् ने जारी किया था ।

*२९--श्री शिवनाथसिंह--

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि कितने कलेक्शन अमीन उक्त स्थान से नवम्बर, सन् १९६४ में निकाल दिए गए और उनके निकालने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंहविसेन--

एक सीजनल अमीन की नौकरी खत्म किए जाने के आदेश नवम्बर, ६४ में किए गए थे । उनकी नौकरी इसलिए खत्म की गई थी क्योंकि अमीनों के पदों की संख्या घट गई थी और वह कनिष्ट (जूनियर) था ।

## कानपुर जिले में पुल निर्माण योजना

*३०--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर से कल्याणपुर होकर बिठूर (ब्रह्मावर्त) तीर्थ स्थान को जाने वाली सड़क का जो पुल उत्तरी नोन नदी पर बना है, उस पुल तथा सड़क के लिए गंगा नदी के कटाव के कारण खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो उस पुल तथा सड़क के बचाव के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां । पुल के पुनः निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है इस समय पुल में एक दर अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है । सड़क को कटाव से बचाने के लिए भी यथा योग्य प्रबन्ध किया जायगा ।

*३१--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में किन-किन नदियों व सड़कों पर तीसरी योजना में पुल बनाना निश्चय किया गया था तथा उन पुलों के न बन पाने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

झीझक–रसूलाबाद मार्ग पर रिंद नदी पर, डेरापुर-रूरा मार्ग पर सेंगुर नदी पर तथा सिकन्दरा-अकबरपुर मार्ग पर सेंगुर नदी पर पुल बनाने का निश्चय किया गया था। रिंद नदी पर पुल के टेंडर तय करने में कुछ विलम्ब हुई। शेष दोनों पुलों के डिजाइन बदलने के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई।

*३२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना के शेष अवधि में १७० पुलों के बनाने की योजना पूरे प्रदेश में है? यदि हां, तो क्या जिला कानपुर के पुलों के निर्माण की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में कुल २५१ पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इसमें से ७० पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष पुलों का निर्माण तृतीय पंच-आयोजना के शेष काल में तथा अगली पंचवर्षीय आयोजना काल में किया जायगा। जिला कानपुर में प्रश्न ३१ के उत्तर में बताये गये पुलों के निर्माण के अतिरिक्त घाटमपुर-सरसौल सड़क पर रिंद और पांडु नदियों पर दो पुल बनाने की व्यवस्था है?

## गोरखपुर जिले में सड़कों के निर्माण की योजना

*३३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क तथा उसके पुल एक साथ क्यों नहीं बन पाते?

श्री जगनप्रसाद रावत—

साधारणतया छोटे-छोटे पुल व पुलियों का निर्माण सड़क के निर्माण के साथ ही स्वीकृत किया जाता है, किन्तु बड़े पुलों का निर्माण धनाभाव के कारण सड़क निर्माण के साथ स्वीकृत करना प्रायः सम्भव नहीं होता है।

*३४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि तराई क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें गोरखपुर जिले में बनने की योजना तथा उन के नाम और प्राक्कलन क्या-क्या हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

## राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुद्धी का भवन

*३५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुद्धी (मिर्जापुर) के भवन निर्माण हेतु पिछले कई वर्षों से धन स्वीकृत है परन्तु अभी तक भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ न होने के कौन-कौन से कारण हैं और क्या मन्त्री जी इस वर्ष विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, भवन निर्माणहेतु धन स्वीकृत है, प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध न होने एवं राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जाने के कारण निर्माणकार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। आशा है कि निर्माणकार्य १९६५-६६ में आरम्भ हो जाय।

## कंठीपुर ग्राम में जमीन के इन्दराज की जांच

*३६--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत घाटमपुर तहसील स्थित ग्राम कंठीपुर के साबिक भूमि संख्या ३९७, ४१२ जब सन् फसली, १३६४-६५ के कागजात सरकारी खसरा खतौनी में बंजर अंकित थे, तब इसके पश्चात् केवल खतौनी (खसरा में नही) या उसके बाद उपरोक्त नम्बर किस अधिकारी के आदेश संख्या और दिनांक के आधार पर श्रीमती रामकली के नाम अनधिकृत ढंग से बाग अंकित कर दिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

किसी अधिकारी का आदेश नहीं पाया जाता।

*३७--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री इस तथ्य की जांच कर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त नम्बरों को बंजर से बाग में अंकित करने की कार्यवाही चकबन्दी कर्मचारियों ने भ्रष्ट उपायों द्वारा अनधिकृत ढंग से चकबन्दी प्रारम्भ होते समय तहसील से कागजात प्राप्त होते ही कर दिया ? यदि नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मामले की जांच की जा रही है।

## कुर्क अमीन का दौरा भत्ता

*३८--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हर तहसील में एक-एक रेगुलर कुर्क अमीन नियुक्त है जिनको पूरे तहसील क्षेत्र में दौरा करना पड़ता है परन्तु सरकार उनको कोई मार्ग व्यय और दैनिक भत्ता नहीं देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हर तहसील में रेगुलर कुर्क अमीन नियुक्त नहीं हैं। फाइनेंशियल हैन्डबुक, वाल्यूम ३ के रूल २४-ए तथा अपेंडिक्स २ के प्रथम भाग के अनुसार कुर्क अमीन को अपने कार्य क्षेत्र में रोड द्वारा यात्रा करने पर कोई मार्ग भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं देय है। किन्तु रेल द्वारा यात्रा करने पर उन्हें मार्ग तथा दैनिक भत्ता देय है।

## रायबरेली परगना में चकबन्दी निरीक्षण तथा श्री दशरथसिंह, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी का स्थानान्तरण न होना

*३९--श्री रतीपाल--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगना रायबरेली, जिला रायबरेली का निरीक्षण चकबन्दी आयुक्त ने फरवरी, १९६५ के दूसरे सप्ताह में किया था ? यदि हां, तो वहां के किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें किस प्रकार की थीं और उन में से किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४९४ पर)

*४०--श्री रतीपाल--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि संयुक्त चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ में कितने साल से हैं? कितने वर्ष से वह चकबन्दी विभाग लखनऊ में हैं और उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री दशरथ सिंह, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी लखनऊ, में ८-६-१९५७ से हैं तथा चकबन्दी विभाग में वह २१ जून, १९६२ से हैं। सरकार के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि एक अफसर को एक शहर में तीन वर्ष से अधिक भिन्न-भिन्न पदों पर न रखा जाय। चकबन्दी विभाग में अभी श्री सिंह को तीन वर्ष नहीं हुये हैं।

## वाराणसी जिले में अध्यापकों के प्रावीडेन्ट फन्ड में धन न जमा होना

*४१--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने प्राइवेट इन्टर-कालेज तथा हाई स्कूल हैं जो प्राविडेंट फन्ड और इन्श्योरेंस का रुपया अध्यापकों से काट लेते हैं, लेकिन जमा इधर सन् १९६३-६४ व १९६४-६५ में नहीं किया है? उन के नाम क्या-क्या हैं और कितनी-कितनी रकम उनके पास पड़ी है?

श्री कैलाशप्रकाश--

केवल दो। इन के नाम हैं (१) सनातन धर्म इन्टर कालेज, वाराणसी तथा (२) जायसवाल इन्टर कालेज, वाराणसी। प्रथम ने अध्यापकों के वेतन से प्राविडेंट फन्ड के मद में १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में ५,७६५.८८ पैसे प्रतिवर्ष काटा है, किंतु जमा नहीं किया है। द्वितीय ने अध्यापकों के वेतन से दोनों वर्षों में क्रमशः १,५८६.४६ पैसा तथा १,६३०.६८ पैसे की कटौती की है किन्तु इस धनराशि को जमा नहीं किया है।

इन्श्योरेंस की मद में कोई भी धन अध्यापकों के वेतन से नहीं काटा गया है।

## झांसी जिले में परीक्षा में असफल विद्यार्थी

*४२--श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत दो वर्षों में झांसी तथा प्रदेश के कतिपय स्कूल व कालेजों द्वारा फेल हो जाने वाले बालकों व बालिकाओं को निकाल दिये जाने तथा उक्त विद्यार्थियों को दूसरे स्कूलों व कालेजों में भर्ती न किये जाने के परिणामस्वरूप वह पढ़ने से वंचित हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या वह कार्यवाही रोकने के लिए आदेश जारी करने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश--

झांसी जिले से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। प्रदेश में सभी जिलों से यह सूचना एकत्रित करने में जो व्यय तथा समय लगेगा वह एकत्रित की हुई सूचना के लाभ के समतुल्य न होगा।

## उत्तर प्रदेश एवं बिहार का सीमा निर्णय तथा बलिया जिले में बाढ़ सेवा केन्द्र

*४३--श्री मैनेजरसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के सम्बन्ध में श्री चन्दू लाल त्रिवेदी के पंचनिर्णय के फलस्वरूप कितने-कितने गांव वर्तमान सीमा, १८८२ की सर्वेसीमा, एवं १८४० की सर्वे सीमा के अनुसार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बिहार के शाहाबाद एवं सारन जिले में जा रहे हैं, साथ ही बिहार से कितने गांव बलिया जिले में आ रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वांछित सूचना श्री त्रिवेदी के पंचाट (award) में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां सभी सदस्यों के लिए भेजी जा चुकी हैं।

*४४--श्री मैनेजरसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि गत बाढ़ में कितने बाढ़ सेवा केन्द्र बलिया जिले में स्थापित किये गये और उन केन्द्रों के अन्तर्गत कितने-कितने बाढ़ प्रभावित गांव या क्षेत्र रखे गये और उन केन्द्रों पर किस-किस मद में कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

गत बाढ़ में ४५ बाढ़ चौकियां बलिया जिले में स्थापित की गयी थीं जिनके अन्तर्गत ९४४ ग्राम रखे गये थे। प्रत्येक चौकी के अन्तर्गत रखे गये ग्रामों की संख्या व विभिन्न मदों पर किये गये व्यय की तालिका काफी बड़ी है। इसे कार्यालय में देखा जा सकता है।

*४५--श्री मैनेजरसिंह--

क्या यह सच है कि बाढ़ सेवा केन्द्रों पर रखी गयी नावों का पैसा आज तक भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

नावों से सम्बन्धित कोई भी पैसा बाकी नहीं है।

## जंगीपुर-बहरियाबाद सड़क निर्माण के संबंध में आवेदन-पत्र

*४६--श्री झिलमिलराम--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के ग्राम जंगीपुर से बहरियाबाद के लिए एक नयी सड़क बनाने का आयोजन है और उक्त सड़क में ग्राम सरोली उर्फ पहेतिया के किसानों के खेत ज्यादा पड़ रहे हैं जिस से किसानों को काफी क्षति हो रही है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम के किसानों ने सड़क परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ तारीख १४ अप्रैल, १९६४ को सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, जिला गाजीपुर में जंगीपुर से बहरियाबाद के लिए एक नयी सड़क बनाने का आयोजन है। इस सड़क के संरेखण के परिवर्तन के लिए सरौली ग्राम के किसानों का आवेदन पत्र सदस्य महोदय के पत्र के साथ प्राप्त हुआ था। सड़क के संरेखण में परिवर्तन कर दिया गया है और अब सड़क ट्यूब वेल मार्ग पर होते हुये बनायी जायेगी।

## फर्रुखाबाद जिले में भारतीय पाठशाला के प्रबन्धक को आदेश

*४७—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद शहर में भारतीय पाठशाला की प्रबन्ध समिति ने अध्यापकों का एकत्रित प्राविडेंट फन्ड का रुपया खर्च कर लिया है? और अपने हिस्से का रुपया भी नहीं जमा किया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। संस्था के प्रबन्धक को यह आदेश दिया गया है कि वह सम्बन्धित धनराशि को जमा करें।

## सहसवान—बबराला सड़क पर बाई पासेज के लिये अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*४८—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के अन्तर्गत सहसवान से बबराला सड़क पर बायीं पैसेज के लिए सन् १९५७ में जो जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की गयी उसका मुआविजा जमीन मालिकान को नहीं दिया गया, इसका कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जिला बदायूं के अन्तर्गत सहसवान से बबराला सड़क पर बाई पैसेज के लिए सन् १९५७ में कोई भूमि सरकार द्वारा नहीं एक्वायर की गयी। परन्तु १९५८ व उसके बाद चार बाई पासेज के लिए भूमि एक्वायर की गयी थी उसके लिए ७,४२९ रुपये ९४ पैसे का मुआविजा घोषित किया गया और उस में से ३,५३० रुपये २४ पैसे वितरित कर दिये गये। शेष रुपये के लेने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भेज दिया गया है।

*४९—श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क के बाई पासेज पर जो प्लाट्स एक्वायर किये गये उन प्लाट्स का लगान सरकार ने समाप्त कराया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चार बाई पासों के लिए जो जमीन ली गयी है उसका लगान माफ कर दिया गया है।

*५०—श्री जुगलकिशोर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा, बबराला के अन्तर्गत उक्त सड़क के मध्य से सड़क के दोनों ओर कितने-कितने फीट जमीन सरकार द्वारा ली गयी या सरकार की है और उस सरकारी जमीन पर कितने मकान बबराला के अन्तर्गत बने हुये हैं?

श्री जगतप्रसाद रावत—

ग्राम सभा, बबराला के अन्तर्गत उक्त सड़क के मध्य से सड़क के दोनों ओर लगभग ४०—४० फीट जमीन सरकार की है जिस पर इस समय अतिक्रमणों की संख्या २७ है।

## डिग्री कालेजों की फीस तथा अनुदान

*५१—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक सरकार द्वारा संचालित पांचों डिग्री कालेजों में चालू वित्तीय वर्ष में छात्रों की संख्या क्या है और उन से सभी मदों में कितनी-कितनी आय है तथा सरकार का संचालित करने में वार्षिक व्यय क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश--

१९६४-६५ में छात्रों की संख्या २,२७० है और इन कालेजों की आय ३,०५,३०२.३५ रुपया व व्यय १८,२७,८२५.०४ रुपया थी।

*५२--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, गोरखपुर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बन्धित, प्राइवेट डिग्री कालेज को चलाने के लिए कितना-कितना रुपया फीस और राजकीय अनुदान से आता है?

श्री कैलाशप्रकाश--

वर्ष १९६४-६५ में फीस से २२,५०,४८९ रुपया तथा राजकीय अनुदान से २२,७५,८८५ रुपया।

## पडरौना तहसील कार्यालय का स्थानान्तरण

*५३--श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया, के अन्तर्गत तहसील पडरौना का प्रधान कार्यालय जो पडरौना छावनी में है वह हट कर किसी दूसरी जगह जा रहा है? यदि यह सच है, तो वह कौन जगह है और मौजूदा तहसील कार्यालय क्यों वहां से हटाया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां।

प्रस्तावित जगह पडरौना व नौनिया पट्टी गांव का संयुक्त भू भाग है और पडरौना तमकोही रोड पर नहर कालोनी के उत्तर स्थित है।

वर्तमान तहसील कार्यालय अतिजीर्ण अवस्था में है और उसमें वर्तमान आवश्यकतानुसार स्थान की भी बड़ी कमी है। उसकी मरम्मत पर अधिक व्यय करना व्यर्थ है। वर्तमान भवन जिस स्थान पर है वह कार्यालय एवं अधिकारियों के निवासगृहों के लिए पर्याप्त नहीं है और उसके आस-पास उपयुक्त जगह भी भवन विस्तार के लिए उपलब्ध नहीं है। इन कारणों से नये भवन का दूसरी जगह निर्माण करना आवश्यक है।

*५४--श्री चन्द्रदेव--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि पडरौना छावनी वार्ड में तहसील का प्रधान कार्यालय होने से सरकार का क्या नुकसान है और हट जाने से क्या लाभ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पडरौना छावनी वार्ड से हटाकर तहसील कार्यालय नयी जगह बनाने का प्रस्ताव जनता की सुविधा की दृष्टि से है, क्योंकि प्रस्तावित स्थान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट आफिस, स्कूल कालिज, थाना, अस्पताल इत्यादि के निकट स्थित है। सरकार की हानि या लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

## रजा डिग्री कालेज, रामपुर के अध्यापकों का वेतन-क्रम

*५५--श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रजा डिग्री कालेज, रामपुर के उन अध्यापकों को जो रामपुर रियासत के विलीनीकरण के समय कालेज में कार्य करते थे शिक्षा विभाग के किन-किन कैडर्स में शामिल किया गया है तथा उन को १९४९ के बाद किन-किन जगहों पर तरक्की दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रधानाचार्य तथा जूनियर लेक्चरर को क्रमशः यू० पी० ई० एस० जूनियर वेतन-क्रम २५०-८५० तथा स्पेशल एस० ई० एस० वेतन क्रम २००-४५० में विलीन किया गया था। प्रधानाचार्य अक्तूबर, १९५२ से रिटायर हो गये। अतः उनको पदोन्नति का मौका नहीं मिला। जूनियर लेक्चरर एस० ई० एस० गजेटेड वेतन क्रम २५०-५०० में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पा गये। हैं। सीनियर लेक्चरर यद्यपि एस० ई० एस० गजेटेड वेतन-क्रम में विलीन किये गये थे तथापि इनका एक पृथक् वर्ग था। १९६१ में इनका पदनाम परिवर्तित करके इन्हें प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष का पदनाम दिया गया और इनका वेतन-क्रम संशोधित करके ३००-६०० रु० कर दिया गया है।

*५६--श्रीमती किश्वर आरा बेगम--

क्या सरकार किसी ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है कि जिस के अन्तर्गत इन पुराने अनुभवी और आगरा विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार योग्य अध्यापकों को आयन्दा तरक्की का मौका मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश--

डिग्री कालेज के समस्त पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं और रजा डिग्री कालेज के रियासतकालीन अध्यापक भी यदि वे आगरा विश्व विद्यालय के नियमों के अनुसार योग्यता तथा अनुभव रखते हैं आवेदन कर सकते हैं और उन के द्वारा चुने जाने जाने पर उच्च पद पर नियुक्ति का मौका पा सकते हैं।

## तहसीलदार, कोंच के विरुद्ध आरोप

*५७--श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोंच जिला जालौन के तहसीलदार के खिलाफ उनकी कोंच में नियुक्ति से अभी तक आम जनता को कितनी शिकायतें आई हैं और किस प्रकार की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

दस। उनमें भ्रष्टाचार, चारित्रिक पतन, अभद्र व्यवहार आदि जैसे आरोप हैं।

*५८--श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या सरकार उन शिकायतों को देखते हुये तहसीलदार, कोंच को मुअत्तल कर के उनके खिलाफ लगे हुये आरोपों की जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी तक जांच से अधिकतर आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिये मुअत्तल करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५९--श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोंच तहसीलदार के खिलाफ जब इतनी शिकायतें उत्पन्न हैं तो अभी तक इनके खिलाफ कार्यवाही न करने के कारण क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जैसा प्रश्न ५८ के उत्तर में कहा गया है, अभी तक जो जांच की गई उससे यही पता चला कि अधिकांश आरोप निराधार हैं। जांच अभी जारी है। जो भी आरोप प्रमाणित होंगे, उनके बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी।

## ऐडीशनल डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स की पोस्ट की समाप्ति

*६०--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के इस इंस्पेक्टिंग स्टाफ में ऐडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की पोस्ट कब खत्म की गई है और कितने और किन-किन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

दिसम्बर १९६२ में कुल ५१ व्यक्ति प्रभावित हुये। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४९५ पर)

*६१--श्री द्विजेन्द्र नारायण--

इसी प्रकार क्या सरकार ऐडीशनल डी० आई० ओ० एस० की पोस्ट को निर्मित करके वर्तमान डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स में से सेलेक्शन करके नियुक्त करने की कृपा करेगी ? इस समय कौन-कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो सीनियर होते हुये भी डी० आई० ओ० एस० के सेलक्शन में नहीं आये ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस प्रकार के पद निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सन् १९६२ के विभागीय चुनाव में निम्नलिखित सीनियर डिप्टी इस्पेक्टर आफ स्कूल्स डी० आई० ओ० एस० के पद के लिये नहीं चुने गये :

१--श्री जोगेन्द्र नाथ शर्मा
२--श्री मुरली मनोहर शर्मा
३--श्री शान्ति नारायण
४--श्री एस० पी० अग्रवाल
५--श्री लक्ष्मी चन्द्र
६--श्री रामायण सिंह
७--श्री भूधर द्विवेदी
८--श्री आर० सी० चतुर्वेदी
९--श्री सुरेन्द्र विक्रम चौहान
१०--श्री गुरदेव प्रसाद वर्मा

## विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यापकों का वेतन-क्रम

*६२--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार राजकीय शिक्षा संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चों तथा उनके आश्रितों को इण्टर की कक्षाओं तक फीस माफी की सुविधायें दी जाती हैं, उसी प्रकार क्या उत्तर प्रदेशीय विश्वविद्यालयों में कार्य करने वले कर्मचारियों को भी वही सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के विद्यापीठों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रायः निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । लखनऊ, गोरखपुर तथा रुड़की विश्वविद्यालयों में उक्त सुविधा उसी प्रकार नहीं दी जाती । सभी विश्वविद्यालय स्वंय शासित संस्थायें हैं और इन बातों पर विचार करना उनका स्वंय का विषय है ।

*६३--श्री बसन्तसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जो वेतन-क्रम पुनः निर्धारित किये गये थे, उनके लिये सरकार को क्या अनुदान देना पड़ा ? वे वेतन-क्रम क्या हैं तथा इससे पूर्व वेतन-क्रम क्या थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

१९६२-६३ में २८,२३४ रुपये का अनुदान सरकार को देना पड़ा । वेतन-क्रम संबंधी सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

*६४--श्री बसन्तसिंह--

[हटा दिया गया ।]

*६५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[हटा दिया गया ।]

## वेतन अभिनवीकरण समिति पर व्यय

*६६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण कमेटी पर अब तक कुल कितना रुपया सरकार का खर्च हो चुका है और आगे कितना खर्च होने का अनुमान है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उक्त समिति पर अब तक ८२,८२५.७२ पैसे खर्च हो चुके हैं, और ३० अप्रैल, १९६५ तक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर ८,८५५ रु० १७ पैसे और खर्च होंगे ।

यात्रा भत्ता पर अभी कितना खर्च होगा इसका अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि इस समिति की बैठक १९ अप्रैल, १९६५ से शुरु हुई है और बाहर से आने वाले सदस्यगण कितनी बैठकों में भाग लेगें उसके बारे में कुछ भी कहना अभी असंभव है ।

# अतारांकित प्रश्न

## घाघरा घाट के ठेके के लिये टेन्डर

१--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच स्थित घाघरा घाट के टाली टेकरा का ठेका देने के लिये १९६४ में टेंडर मांगे गये थे और माह नवम्बर, १९६४ को खोले गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने तथा कितने-कितने रुपयों का टेंडर दिया था, तथा किसका टेंडर स्वीकृत हुआ ? यदि नहीं, तो कारण ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, घाघरा घाट के ठेके के लिये १८ नवम्बर, १९६४ को निम्नलिखित विवरणानुसार कुल पांच टेन्डर प्राप्त हुये थे :--

| टेन्डर का नाम | टेन्डर की धनराशि |
|---|---|
| १--श्री महमूद अहमद खां | .. पचपन हजार छः सौ रुपये । |
| २--श्री अब्दुल हकीम खां | .. पचपन हजार पांच सौ छप्पन रुपये । |
| ३--श्री एन० सी० कपूर | .. पचास हजार तीन सौ पचास रुपये । |
| ४--श्री शिव प्रसाद पांडेय | .. उनचास हजार एक सौ रुपये पचीस पैसे । |
| ५--श्री जोखन पांडेय | .. तैंतालीस हजार पांच सौ इक्यावन रुपये । |

प्राप्त टेन्डर सरकार के विचाराधीन है अतः अभी किसी का टेन्डर स्वीकृत नहीं हुआ है ।

२--श्री रामअधार कनौजिया--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४ से पूर्व घाघरा घाट का टेंडर कब पड़ा था तथा कितने रुपयों में, किस व्यक्ति को दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

१८ अगस्त, १९५० को घाघराघाट के ठेके की सार्वजनिक नीलामी हुई थी और ठेका श्री जोखन पांडेय को, जिनकी बोली सब से ऊंची थी, तीन वर्षों के लिये कुल एक लाख पचास हजार पर दिया गया था ।

## मोठ--गुरसहाय सड़क पर खिरिया घाट का रपटा

३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में तहसील मोठ में मोंठ--गुरसराय सड़क पर खिरिया घाट का रपटा बनाने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं । इस समय इस रपटे के बनाने की कोई योजना नहीं है ।

## गाजीपुर जिले में दीक्षा विद्यालय

४--श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में राजकीय दीक्षा विद्यालय कब से चल रहा है और उसका भवन अब तक नहीं बना ?

श्री कैलाशप्रकाश--

गाजीपुर जिले में इस समय निम्नलिखित ३ राजकीय दीक्षा विद्यालय, दो बालकों के एक बालिकाओं का, चल रहे हैं ।

१--रा० दी० वि० (बालक) सैदपुर, गाजीपुर १९४८-४९ से ।

२--रा० दी० वि० (बालक) भरदेह गाजीपुर, १९६४-६५ से ।

३--रा० दी० वि० (बालिका), गाजीपुर १९५८-५९ से ।

इनमें से प्रथम विद्यालय जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल के भवन में चल रहा है । इसके भवन बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मरदह का दीक्षा विद्यालय किराये के भवन में चल रहा है । इसके लिये भवन बनाने के लिये अभी कोई प्राविधान नहीं हो सका है ।

कन्याओं के दीक्षा विद्यालय के लिये ३.४९ लाख का मकान बनवाया जा चुका है ।

## बरेली--अमीन गांव सड़क

५--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क बरेली से अमीनगांव की बनाने की योजना चल रही है उस पर कब से कार्य शुरू हो जायगा और उसका क्या प्राक्कलन होगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत--

इस सड़क के उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले भाग पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है । इस प्रदेश में पड़ने वाले भाग का प्राक्कलन लगभग २७ करोड़ रुपये होने की आशा की जाती है ।

६--श्री नरसिंहनारायण पांडेय-

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस सड़क के सरहद तक की सड़कों को भी मिलाने के संबंध में विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस समय तो ऐसी कोई योजना नहीं है । यह योजना केन्द्रीय सरकार की है और इसका निर्णय उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है ।

## वाराणसी जिला परिषद् के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

७--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला परिषद् ने जिला में कच्ची सड़कों को पक्की कराने की आगामी योजना में प्राथमिकता क्रम में जिला (नियार), पहड़िया (सारनाथ), सड़क-बलुआ वाराणसी सड़क और विन्धोरा-वाराणसी सड़क को किस-किस श्रेणी में रखा गया है और इन सड़कों के कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जिला परिषद्, वाराणसी ने पहड़िया, नियार, वाराणसी-बलुआ तथा वाराणसी-सिन्धोरा सड़कों को क्रमशः पांचवी, छठी तथा चौथी प्राथमिकता दी है । इस समय यह बतलाना संभव नहीं कि इन सड़कों का निर्माण कब तक हो सकेगा ।

## वाराणसी जिले में असरकारी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

८--श्री रघुनाथसिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में जिला वाराणसी के किन-किन सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को किन-किन मदों में कितना-कितना अनुदान दिया गया और किन-किन विद्यालयों को अनुदान के लिये प्रार्थना करने पर भी कुछ नहीं दिया जा सका ? क्या ऐसे विद्यालयों को १९६४-६५ में अनुदान देने में प्राथमकिता दी गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अभीष्ट सूचना संलग्न परिशिष्ट (क) (ख) तथा (ग) में अंकित है। नहीं ?

## घाटमपुर तहसील में लेखपालों का बकाया वेतन

९--श्री रामकिशोर शर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि इस समय कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील में कुछ ऐसे भी लेखपाल हैं, जिनका वेतन शासन ने २१ मई, १९५५ से २७ अप्रैल, १९६१ तक की अवधि या इसके मध्य अवधि का भुगतान नहीं किया ? उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक को कितना वेतन संबंधी धनराशि कब से कब तक की अवधि की शासन से प्राप्त करनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। सूचना संलग्न है

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४९७ पर।)

१०--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन अल्प वेतन भोगी लेखपालों का इतनी पुरानी अवधि के अवशेष वेतन भुगतान न किये जाने के क्या कुछ विशेष कारण हैं ? यदि हां, तो क्या ? तथा अब वेतन कब तक प्राप्त हो सकेगा, यदि कारण नहीं, तो इतनी पुरानी अवधि का वेतन भुगतान न किये जाने की स्पष्ट जिम्मेदारी किस पर है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

विशेष कारण यही है कि वेतन बिलों पर एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश के यहां से आपत्तियां लगाई गई थीं। बिलों को ठीक करके फिर एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां भेज दिया गया है आशा है कि शीघ्र ही वेतन के अवशेष का भुगतान हो जायगा। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

*११--श्री रामकिशोर वर्मा--

[हटा दिया गया]।

## फतेहपुर जिले में निर्माण-कार्य न होने की शिकायत

१२--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि प्रदेश के अन्य जिलों के अनुपात से फतेहपुर जिले में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की अब तक की अवधि में कितनी पक्की सड़क और पुल बनने थे, नहीं बन सके तथा क्या यह भी सत्य है कि सड़कों और नदियों में पुलों के अभाव के कारण यह जिला अन्य जिलों की अपेक्षा, अप्रगतिशील है और विकसित नहीं हो सका ? यदि हां, तो इस जिले को अनुपात से कम सड़क तथा पुल देने का आधार क्या था ? तथा क्या उस कमी को इस वर्ष तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था वह लगभग पूरा हो चुका है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण-

कार्य प्रगति में है। प्रदेश में और भी कई जिले हैं जहां पर सब स्वीकृत कार्य अभी पूरे नहीं हुये हैं। इसका कारण धनाभाव है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में सड़कों की कमी पूर्ण हो जायगी या नहीं यह योजना के विस्तार पर निर्भर करता है।

१३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर जिले के बहुत ही उत्पीड़ित एवं अविकसित क्षेत्रों से महत्वपर्ण स्थानों के लिये गुजरने वाली कच्ची सड़क, अमोली, बरवा, शाहबाजपुर रोड की (रिहन्द नदी पुल सहित) फतेहपुर तक १४ मील, अमोली से कानपुर जिले की औद्योगिक मंडी वरीपाल ६ मील, खजुहा से अमौली १६ मील, खजुहा से जाफरगंज ८ मील और लंगर सराय से देवमयी होते हुये ग्रांड ट्रंक रोड १४ मील पक्की करने के लिये प्राथमिकता क्रम से सम्मिलित कर रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का आकार तथा रूप-रेखा अभी निश्चित नहीं हुई है। इस समय बताना संभव नहीं है कि कौन-कौन सी सड़क इसमे सम्मिलित हो सकेगीं।

१४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या निर्माण मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह सत्य है कि शासन द्वारा मांगी गई राय पुर फतेहपुर जिला परिषद् ने सर्व सम्मति प्रस्ताव वर्ष १९६४ द्वारा उपरोक्त कच्ची सड़कों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्रम से पक्का करने के लिये सुझाव दिया है ? यदि हां, तो सड़कों के लिये प्राप्त प्रस्ताव पर किस प्रकार से प्राथमिकता देने का निर्णय शासन ने लिया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

फतेहपुर जिला परिषद् ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सड़कों के निर्माण के लिये जो सूची शासन को भेजी है उसमें पहले प्रश्न में उल्लिखत सड़कों में से केवल अमोली बेरील तथा खजुहा से अमोली तक सड़कों का उल्लेख है। प्राथमिकता के प्रश्न पर चतुर्थ योजना की रूपरेखा बनने पर ही निर्णय किया जा सकेगा।

## कीर्तिनगर—बड़ियार मोटर मार्ग निर्माण

१५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी—गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस किस्म की शिकायत हाल में मिली है कि जिला टिहरी—गढ़वाल में कीर्तिनगर-वड़ियार मोटर रोड पर इतनी धीमी गति से काम हो रहा है कि पिछले ७—८ वर्षों में केवल ८ मील सड़क ही बन पाई है ? यदि हां, ता क्या निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि इस शिकायत को दूर करने के लिये उन्होंने अब तक क्या किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। किन्तु स्थिति यह है कि इस सड़क के केवल ८ मील का आगणन शासन द्वारा अक्तूबर, १९६० में स्वीकृत किया गया था और यह कार्य जन, १९६४ में पूरा हो गया।

१६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में शिथिलता के क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भूमि की प्राप्ति में काफी समय लगा।

## लखनऊ—रायबरेली सड़क पर पुलों का निर्माण

१७—श्री भगवानदीन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और रायबरेली को मिलाने वाली सड़क पर जिन दो पुलों का निर्माण हो रहा है उन पर अब तक क्या खर्च हुआ तथा उन पर और कितने खर्चे का अनुमान है तथा कब तक पूरे बन जायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इन पुलों पर अब तक ४,०७,४४७ रुपया खर्च हुआ है और कुल ४,४६,००० रु० खर्च होने का अनुमान है।

एक पुल बन कर तैयार हो गया है और यातायात के लिये खोल दिया गया है। दूसरा पुल भी पूर्ण हो गया है केवल उसकी एपरोच रोड पर कुछ काम बाकी है। अगले माह यह भी यातायात के लिये खोल दिया जायेगा। इस पर पूरा कार्य सितम्बर, १९६५ तक पूरा होगा।

## शिक्षा दल योजनान्तर्गत सहायक कमान्डेन्ट की नियुक्तियां

१८—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत सैनिक शिक्षा, समाज-सेवा तथा शारीरिक शिक्षाओं का एकीकरण तथा समन्वय कब किया गया और इस समन्वय के पश्चात् कितने सहायक कमांडेंट प्रदेशीय शिक्षा दल योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये ? इनकी विभागीय नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सैनिक शिक्षा और समाज सेवा का एकीकरण जुलाई, १९५३ से और शारीरिक शिक्षा का जुलाई १९५६ से हुआ।

१९५२ से ३५ सहायक कमान्डेन्टों की नियुक्तियां विभागीय कमेटी जो १९५३, ५५ और ५६ में बैठी, के द्वारा की गयी शेष ६ सहायक कमान्डेन्टों की नियुक्तियां समाज सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों से विभागीय कमेटी द्वारा की गई।

१९—श्री राजनाथसिंह—

क्या उनकी नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन नहीं कराया गया बल्कि स्वीकृति लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त की गयी थी ? यदि हां, तो सितम्बर, सन् १९६३ में उन्हीं पदों के लिए विज्ञापन क्यों किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। सितम्बर, सन् १९६३ में उन में से ९ पदों के लिए विज्ञापन किया गया, क्योंकि इन पदों पर कार्य करने वाले ९ व्यक्ति विभाग से चले गये थे और इन पदों को लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में रखने का निश्चय किया गया।

२०—श्री राजनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशीय शिक्षा दल के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति का क्या प्रतिशत निश्चित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जब कि शिक्षा विभाग में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति का कुल प्रतिशत निश्चित है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

कोई प्रतिशत निश्चित नहीं है।

अभी तक सम्बन्धित सेवा नियम (सर्विस रूल्स) नहीं बने हैं।

## गाजीपुर--बहरियाबाद सड़क का निर्माण

२१--श्री राजनार्थसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में गाजीपुर-बहरियाबाद सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय संचार निधि से कितनी धनराशि कब से स्वीकृत हो चुकी है और उस सड़क पर अब तक सन् १९६२ से १९६५ तक कितनी प्रगति हुई है? यदि नहीं तो क्यों? और उसके कब तक निर्माण हो जाने की आशा है जब कि १९६६ तक पूर्ण करने का आदेश था?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मई, १९६२ में केन्द्रीय सरकार ने ७,५०,००० रुपये की लागत पर इस सड़क का निर्माण स्वीकृत किया था। इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तथा आगणन की स्वीकृति नवम्बर, १९६३ में दी गयी थी। भूमि की प्राप्ति न होने के कारण अभी तक इस पर निर्माण-कार्य आरम्भ न हो पाया भूमि के उपलब्ध होने के बाद इस सड़क के निर्माण में लगभग ३ वर्ष लगेंगे।

## गाजीपुर जिले में सड़कों व पुलों की निर्माण योजना

२२--श्री राजनार्थसिंह--

पटेल आयोग की संस्तुति के अनुसार गाजीपुर जनपद में कौन सी सड़कें ली गयी हैं और उन पर सत्वर कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है तथा उन के कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है, विशेषतः जयरामपुर-यूसुफपुर रोड पर?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी सड़कों की सूची संलग्न है। इन सड़कों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि आगणन की प्रशासकीय तथा टेकनिकल स्वीकृति तथा भूमि प्राप्त होने के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर यह कार्य समाप्त हो जायेंगे। जयरामपुर यूसुफपुर मार्ग का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४९८ पर)।

२३--श्री राजनार्थसिंह--

पटेल आयोग की संस्तुति के अनुसार जनपद गाजीपुर में कितनी नदियों पर कहां पुल बनाने की योजना है? इन पुलों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का कारण क्या है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये पुलों की सूची संलग्न है, इन पुलों के आगणन तैयार किये जा रहे हैं। आगणन और परिकल्प (design) बनाने मे काफी समय लगता है जिसकी वजह से यह कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किये जा सके हैं।

## विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, उसे मैं अध्ययन करूंगा।

## प्रदेश के विभिन्न जिलों में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय राम सुन्दर पांडेय, माननीय नाथूराम शिक्षक व माननीय बांके लाल व चन्द्रबली सिंह की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो चेचक की बीमारी से सम्बन्धित हैं। ये २ स्वीकृत हुये हैं। माननीय रामसुन्दर की है "प्रदेश के बुलन्दशहर, कानपुर, आजमगढ़ आदि जिलों में चेचक के प्रकोप से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। यह छूत की बीमारी तीव्र गति से प्रदेश के शहर एवं देहाती क्षेत्रों में फैलती जा रही है सरकार की ओर से पूरा प्रबन्ध न होने के कारण बीमारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है तथा टीका प्रभावहीन प्रतीत हो रहा है। सरकार की इस प्रकार की व्यवस्था एवं उपेक्षापूर्ण नीति से प्रदेश की जनता में असन्तोष एवं घृणा उत्पन्न हो ररी है।" इसी प्रकार का माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद और नाथरामजी शिक्षक का है। "मैं एतद्द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व से निम्नलिखित निश्चित समस्या पर नियम ५२ के अधीन आप के माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकृष्ट कराने के अपने निश्चय की सूचना देता हूं। सम्पूर्ण प्रदेश, मुख्य रूप से बुलन्दशहर, गोंडा, इत्यादि, में"...

वही चेचक की बात है।

इस पर वक्तव्य कब दिया जायगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

बुधवार के दिन।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

ठाकुर हरगोविन्द सिंह से सम्बद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। वह पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष--

पढ़ने का सवाल बाद में आवेगा।

## विधायक, सरदार बलदेव सिंह संबंधी विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से सम्बद्ध लेख्यों की मांग की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना यह देनी है कि सहायक सत्र न्यायाधीश, गोंडा ने श्री बल्देव सिंह, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने तथा उन्हें हथकड़ी लगाने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न सम्बधी विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से सम्बद्ध लेख्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का निबेदन किया था। इस विषय पर विशेषाधिकार समिति की सिफारिश के अनुसार मैंने वांछित कागजों को सहायक सत्र न्यायाधीश, गोंडा तथा श्री रामपालसिंह को भेज देने का आदेश दे दिया और वे कागजात भेज दिये गये हैं।

## गृह मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने हेतु प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, माननीय रतीपाल जी आदि ने माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भेजा है। अविश्वास का प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध नहीं आ सकता। चूंकि हमारे ध्यान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यद्यपि सेंश्योर मोशन का विधान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में मिलता है, लेकिन ऐसा कोई विधान हमारे यहां नहीं है। पहले भी समय-समय पर यह प्रश्न हमारे सामने आता रहा है कि किसी मन्त्री विशेष के सम्बन्ध में असन्तोष

[श्री अध्यक्ष]--

हो तो कोई ऐसा प्राविधान हमारे नियमों में होना चाहिये कि जिसके द्वारा हम किसी एक मन्त्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव ला सकें। जब तक हमारे नियमों में ऐसा परिवर्तन न हो जाय तब तक हम किसी एक मन्त्री विशेष के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

कुंवर श्री श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

इस प्रक्रिया में संशोधन के पहले, सन् १९५२ की नियमावली में, यह प्राविधान था। १९५८ के संशोधन में वह निकाल दिया गया। तो क्या आप, कृपया ऐसा करेंगे कि किसी तरीके से हमारा यह अधिकार हमें फिर मिले?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

जहां हमारे रूल्स में कोई प्राविजन नहीं होता, वे साइलेंट हैं वहां हम मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को लेकर चलते हैं। इस सदन में व्यवस्था हो चुकी है कि ऐसी अवस्था में हम इस संसद् शास्त्र पर चलते हैं। आप के पहले, स्पीकर्स कान्फ्रेंस में भी यह सवाल आ चुका है, आप के सचिव बैठे हुये हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सेंश्योर किसी एक मिनिस्टर या सबके विरुद्ध आ सकता है। आप इसका अध्ययन करके व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अगर सारे मन्त्रियों के विरुद्ध हम अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं तो यह कान्सीक्वेंट नतीजा हो जाता है कि एक मन्त्री के खिलाफ भी ला सकते हैं। अगर एक मन्त्री के खिलाफ ही लाने का प्राविजन होता तो सारे मन्त्रियों के विरुद्ध नहीं आ सकता था। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मन्त्री अपने मन्त्रिपद का दुरुपयोग अपने जाती और व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है और सारी सरकार को और सारे राज्य को बदनाम करे तो हमारे सामने क्या रास्ता रहता है?

श्री अध्यक्ष--

हमारे संविधान या रूल्स में कोई स्पष्ट धारा या अनुच्छेद ऐसी नहीं मिलती जिसके अन्तर्गत किसी मन्त्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके। उस में केवल यह है कि कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी, अर्थात् सामूहिक उत्तरदायित्व, मन्त्रि-परिषद् का रहेगा। और हमारे नियम २७४ में है कि मन्त्रि-परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा। तो मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध तो अविश्वास के प्रस्ताव का प्राविधान है, किन्तु किसी मन्त्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की कोई प्रक्रिया उस उपबन्ध में नहीं है। ऐसी अवस्था में जैसा माननीय श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि, आप इस किस्म का सुझाव दें तो फिर नियम समिति के समक्ष उस पर विचार किया जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

एक बात जरा निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ३१७ के अन्तर्गत आप को अधिकार है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि एक मन्त्री बाहर यह वक्तव्य देता है अपने ही विभाग के बारे में, इससे गम्भीर बात और कोई हो नहीं सकती है। तो ३१७ के अन्तर्गत आप स्वयं बगैर किसी नियम के आज्ञा दे सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके नियम ३१७ के अन्तर्गत, इस के लिए आज्ञा दें कि हम एक मन्त्री को सेंश्योर कर सकें। यह आप के ऊपर है। यदि आप आज्ञा देते हैं, तो हम उसको सेंश्योर कर सकते हैं।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, यह बात कई बार साफ हो चुकी है और आप की भी ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर हमारे रूल्स में प्राविजन नहीं है वहां पर हम हाउस आफ कामन्स की पद्धति का सहारा लेंगे। वहां पर हाउस आफ कामन्स में भी पहले एक मन्त्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्राविधान नहीं था, तो वहां पर इम्पीचमेंट हुआ करता था। लेकिन जब बाद में एक मन्त्री के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाने की व्यवस्था हो गयी तो इम्पीचमेंट धीरे-धीरे खत्म हो गया। उसके बारे में दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं--

Impeachments were directed in particular, against ministers of the Crown, but the growth of the doctrine of collective responsibility and of resignation at the Cabinet following a successful vote of censure against a minister resulted in the decline of impeachments in modern times,"

यानी सक्सेसफुल वोट आफ सेंशर किसी मिनिस्टर के खिलाफ ले आते हैं तो सारे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के लिए वह हो जाता है और आप देखें श्री हरगोविन्द सिंह, गृह मन्त्री बराबर लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस से सारे उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था और अराजकता फैल रही है . . .।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप मेरिट पर बहस कर रहे हैं। यह सवाल नहीं है, सवाल तो यह है कि नियमों के अन्तर्गत ऐसा प्रस्ताव आ सकता है या नहीं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

आ सकता है। जब हमारे नियमों में नहीं है तो हाउस आफ कामन्स की प्रथा का सहारा लेते हैं और वहां आ सकता है तो यहां भी आ सकता है। आप उसकी व्यवस्था करें।

श्री नेकराम शर्मा--

जैसा मैंने कहा स्पीकर्स कान्फ्रेंस का डिसीजन है, उस को आप पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे भी देखा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

आप के भाव से ऐसा लगता है कि इसके औचित्य को आप मानते हैं, केवल नियम सम्बन्धी कठिनाई है। तो आप सोचें कि कैसे इस को लाया जाय।

## कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

वह एडवोकेट जनरल के खिलाफ जो मैं ने दिया था उसको भी आप ले लेते...

श्री अध्यक्ष--

वह कल ले लेंगे। (व्यवधान)। तो परसों या नरसों ले लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

देखिये, इतनी तो किताबें मैं उसके लिए लाया हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह आप मुझे पहले दिखला दीजिये, मैं देख लूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

हमारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

वह मैंने कहा कि मैं ने अभी देखा नहीं है।

## मालगुजारी का एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभाओं को देने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कल मैं निवेदन कर रहा था कि आज गांव सभाओं की हालत बहुत खराब है। उस तरफ के बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका काफी विरोध किया और एक ने तो यहां तक कहा कि यदि उनको लगान का हिस्सा दे दिया जायगा तो वहां की पालिटिक्स को देखते हुये जो दल कब्जा करेगा वह अपने मुताबिक उस पैसे को मानमाने ढंग से खर्च करेगा।

इस तर्क को मैं नहीं समझ सका क्योंकि शुरू से ही जब इन ग्राम पंचायतो की योजना चली और जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे महात्मा गांधी जी ने साफ तौर पर कहा था कि जब आजादी आयेगी तो वह सचमुच गांव वालों की आजादी होगी, क्योंकि ८० प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। वहां की हालत बहुत खराब है चाहे यातायात का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समुचित साधन गांव की जनता के पास नहीं हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? जब यह सवाल उठाया जाता है तो सरकार की तरफ से उसका विरोध होता है जब कि हमेशा सरकारी पक्ष ने, बड़े-बड़े नेताओं ने यहां तक कि मिनिस्टर्स ने इस बात की घोषणा की हैं और पब्लिक मीटिंगस में कहा है कि गांव सभाओं को लगान का कुछ हिस्सा दिया जायगा। लेकिन आज हालत यह है कि इस तरह का जब कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार की तरफ से उसका विरोध होता है।

मैं माननीय विकास मन्त्री जी का ध्यान अवाडी कांग्रेस के प्रस्ताव के तीन, चार पैरों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि वहां पर प्रस्ताव पास हुआ। "अन्त में, कोई भी सामाजिक क्रांति उस समय तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने सामने "अन्त्योदय" को सब से पहले सहायता करने के आदर्श को नहीं रखता। हमारी सामाजिक और आर्थिक सुधारों की सभी योजनाओं को उन लोगों से शुरू किया जाना चाहिये जिन्हें हमारी सहायता की सब से अधिक आवश्यकता है। जब तक कि अन्तिम व्यक्ति पहला नहीं बन जाता उस समय तक सच्ची सामाजिक व्यवस्था हासिल करना सम्भव नहीं होगा।" यह है अवाडी कांग्रेस का प्रस्ताव जो पास हुआ, लेकिन आज यहां इस का उल्टा हो रहा है। आप देखें कि शहरों में जहां पहले छोटी-छोटी बत्तियां थीं, वहां बड़ी-बड़ी बत्तियां लगायी जा रही हैं, सड़कें और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं। इस तरह से जो अनुदान दिये जाते हैं उन को खर्च किस तरह से किया जाता है, आप के सामने उदाहरण हैं। गांव सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, लखनऊ की सभा और दिल्ली की सभा ये पांच हमारे प्रजातन्त्र की इकाई हैं। नगरपालिका भी हमारी स्थानीय निकायों में है। मैं आपको बतलाऊं कि नगरमहापालिका वाराणसी को सड़कों के रख-रखाव के लिए हर साल करीब ७-८ लाख रुपये की ग्रान्ट दी जाती है और जिला परिषद्,

†२२ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से।

वाराणसी को हर साल करीब १५--१८ हजार रुपया दिया जाता है, जब कि जिल परिषद्, वाराणसी के पास ३०० मील कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें तो बहुत कम हैं। नगरमहापालिका, वाराणसी के पास केवल ३ मील कच्ची सड़क हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें सरकार की क्या मन्शा है जो वह देहाती इलाके को, एकदम से तहसनहस कर देना चाहती है। जब इस सम्बन्ध में सरकार से मांग की जाती है तो सरकार की तरफ से नाना प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं।

(इस समय १२ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपालसिंह, पीठासीन हुये।)

तो माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि देहात के लोगों ने आखिर कौन सा गुनाह किया है। सरकार जिस काम को करने के लिए बराबर घोषणा करती रही है उसको पूरा क्यों नहीं करती?

इसी में दूसरी जगह लिखा है--"समाजवादी राज्य का सातवां सिद्धान्त 'अन्टु दि लास्ट' (अन्त्योदय) का आदर्श है। गांधी जी यह कहते कभी नहीं थके कि अन्तिम व्यक्ति हमारी चिन्ता का प्रथम विषय होना चाहिये। हम गांवों में साधारण, अधपक्की सड़कें बनाने के बजाय शहरों में सड़कों को चौड़ा करने और उन पर कोलतार बिछाने को उत्सुक हैं। हम गांवों में सीधे, सादे, कलात्मक और छोटे घर बनाने की निस्बत शहरों में बड़ी-बड़ी शानदार इमारतें और दफ्तर बनानें को अधिक उत्सुक हैं।" मैं पूछना चाहता हूं कि १८ वर्ष के अन्दर बावजूद प्रस्ताव पास होने के, मन्त्रियों की घोषणाओं के, कांग्रेस अधिवेशनों में हुई घोषणाओं के आप इस पर कुछ अमल भी कर पाये हैं? मैं तो देख रहा हूं कि आप बिलकुल उल्टा कर रहे हैं। इसक अनुसार कहां विकास हुआ है। इसलिए आज की मांग बिलकुल जायज है कि गांव सभाओं को लगान का कुछ हिस्सा दिया जाय। और मेरा संशोधन भी है कि उनको २५ फी सदी कम से कम दिया जाय। आप देखें कि गांव की उपेक्षा किस तरह से आज हो रही है। श्रीमन्, पंथजी, व्याख्यानमाला जब हुई थी,--तो उस में आप भी थे, और माननीय जय प्रकाशनारायण, श्रीमन्नारायण अग्रवाल तथा डाक्टर सम्पूर्णानन्द भी मौजूद थे। उसमें जय प्रकाश नारायण जी ने कहा था कि आज आप यह देखेंगे कि नियोजन जो होता है, बड़ी-बड़ी जगहों का होता है। दिल्ली में नियोजन होता है। लेकिन गांवों के क्षेत्रों में नियोजन नहीं होता है। अब थोड़ा सा विचार अवश्य उस तरफ शुरू हुआ है। जब इतने बड़े-बड़े लोग और आप की अवाडी कांग्रेस का घोषणापत्र इस बात को कहता है तथा मादनीय राममूर्ति जी और उनके सभा सचिव सभाओं में घोषणा करते हैं, तब फिर इस संकल्पों को न मानने का क्या कारण है? सरकार गांव सभाओं की स्थिति से परिचित है। उनकी आर्थिक हालत दयनीय है। आप ने कानून बना कर दे दिया कि गांव सभाएं एक आना टैक्स लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करें। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने कम पैसे से वह गांव का सुधार क्या कर सकती हैं? अगर आप चाहते हैं कि गांव सुन्दर और स्वच्छ रहे और आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक हो, तो अपनी घोषणा के अनुसार इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिय और यह विचार न करें कि यह विरोधी पक्ष की तरफ से आया है, इसलिए यदि इसको मान लिया तो इज्जत घट जायगी।

एक बात और कहना चाहता हूं, बार-बार यह सवाल उठता है कि गांव सभाओं के ऊपर बहुब बड़ा बोझ पंचायत मन्त्रियों का है जिनकी गांव सभाओं के फन्ड से तनख्वाह और भत्ता दिया जाता है। आप उन को सरकारी कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जब कि काफी इस के बारे में घोषणा आप की तरफ से की गयी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पंचायत मन्त्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दें, जिससे गांव सभाओं के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ता है, वह न पड़े। अगर आप इतना ही मान लेते हैं, तो गांव सभाओं को थोड़ी सी रास्ता मिल जायगी। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी आज ही यह घोषणा कर दें कि पंचायत मन्त्रियों को सरकारी

[श्री ऊदल]

कर्मचारी माना जायगा और २५ फीसदी लगान का गांव सभाओं को देने के लिए जो यह संकल्प आया है, उसको माना जायगा। इससे आप की इज्जत बढ़ेगी और आप की इज्जत घटती तो मैं खुद इतना दबाव न देता। क्योंकि जैसी आप की इज्जत वैसी ही हमारी है। अगर आप की इज्जत अच्छी रहेगी, तो हमारी भी अच्छी रहेगी। देहात की जनता आप को हजारों लाखों तार भेज कर के बधाई देगी। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इस प्रस्ताव को मान लेंगे और पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं निवेदन करूंगा कि सदन में बातें बहुत होती हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

श्रीमन्, आज तो चुनाव हो रहा है, इसलिए बातें करने के लिए आज्ञा दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

चुनाव से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इसमें कहा गया है कि लगान का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाय। अभी तक जितने अधिकार उनको दिए गए हैं, मैं समझता हूं, वे काफी हैं, और उनको बरतने में गांव सभाएं अभी सक्षम नहीं हुई हैं। इसके ऊपर अगर कोई कमेटी बैठाई जाय, जो गांव सभाओं की कार्य प्रणाली को देखे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, इनको मालूम नहीं है कि बहस क्या है, जरा बता दीजिए।

श्री मुरलीधर कुरील---

यह मैंने पहले ही बताया कि बहस किस पर हो रही है। मैं यह कह रहा हूं कि जो अधिकार अभी तक गांव सभाओं को हैं, उन्हीं को वह सही तरीके से नहीं बरत पा रही हैं। और फिर एक नया अधिकार मालगुजारी वसूल करने का तथा उसका कुछ अंश अगर उनको दिया गया, तो इससे काफी गड़बड़ी पैदा होगी। इसलिए मैं कह रहा था कि जो अधिकार दिए गए हैं वही काफी हैं। अगर उन्हीं का ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाय, तो गांवों का कल्याण हो सकता है। गांव सभाओं को एक अधिकार यह भी है कि गांव की जो परती जमीन हो, या जो लावारिस जमीन मिले, या और किस्म की जमीन मिले, वह भूमिहीनों को, मजदूरों को और खेतिहर मजदूरों को एलाट की जाय। परन्तु आप देखेंगे कि भूमि का एलाटमेंट बड़े गलत तरीके से हुआ है और इस प्रश्न पर यहां कई बार विवाद हो चुका है। कल जो संकल्प यहां चल रहा था, उसमें भी इसी प्रकार की मंशा थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि गांव पंचायत का जो एलाटमेंट का अधिकार है, उसमें से वह चाहे जितनी बार गलत एलाटमेंट करे, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार, एस० डी० ओ० या जिलाधीश उनको उन एलाटमेंट को खारिज करने का अधिकार है। लेकिन सही तरीके से क्या कार्यवाही हो, इसके लिए रोकने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, जिसकी वजह से कई बार इस तरह की कार्यवाहियां होती हैं। बहुत से लोग जमीनों पर कब्जा किए रहते हैं और यही नहीं ऐसे लोगों को एलाटमेंट हो जाया करते हैं, जिनके पास भूमि सीमा कानून के अन्दर है, उन को भी अधिक जमीन मिल जाती

है तथा लेखपाल, कानूनगो आदि अधिकारी उन पर यहां तसदीक कर कब्जा दिला देते हैं। इसलिए यह अधिकार गांव सभाओं को दे करके उनको ऐसी स्थिति में डालना है कि जिससे गांव में अशांति पैदा हो। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि यह बिल्कुल अव्यावहारिक है।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य जिन्होंने इस संकल्प के विरुद्ध तर्क दिया, मैं उनसे सहमत नहीं हूं और जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोल रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्राम सभायें अभी क्षमता नहीं रखतीं कि रुपया देकर जो जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दी जायगी, उसको वे निभा सकें। मैं जानना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के जो कार्य निश्चित किए गए हैं, उनको क्या वे सरकारें पूरी तरह से वहन कर लेती हैं? लेकिन क्या इन सरकारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिए जाने के लिए आप कहते हैं? प्रति दिन प्रश्नोत्तर के समय जो उत्तर मन्त्रियों की ओर से दिए जाते हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो स्थिति इस समय गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है उससे कहीं अच्छी प्रान्तीय सरकार की नहीं है। अगर आपको उसका कुछ नमूना देखना हो तो जो आज चुनाव हो रहा है, वहां जाकर आप देख सकत हैं। वहां की हालत ग्राम सभाओं की हालत से भी बदतर है।

अब मैं औचित्य के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं को जो निश्चित मात्रा लैंड रेवेन्यू से, देने की बात कही गयी है, वह किस हद तक उचित है। हम ने पंचायत राज्य को अपनाया है, उसकी महत्ता को ऊंचा रखा है और पंचायत राज समितियों को आपने निश्चित रूप से शासन की इकाई माना है। उनके कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उन्नति, सफाई, सड़क बनाना आदि विभिन्न उत्तरदायित्व रखे गए हैं। जहां एक ओर हमने उनको ये अधिकार दिए हैं वहां दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमने उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने पंचायत राज फाइनेन्सेज नामक एक कमेटी बिठाई थी, उसकी हैदराबाद में एक बैठक हुई थी, जिसमें उसके चेयरमैन ने निश्चित रूप से यह कहा था कि पंचायतों को निश्चित रूप से लैंड रेवेन्यू का कुछ भाग मिलना चाहिए। जब तक ऐसा न किया जायगा, तब तक पंचायतों की उन्नति नहीं हो सकती। श्रीमन्, आसाम और मैसूर की सरकारों ने अपने लैंड रेवेन्यू का ३० प्रतिशत उनको देना शुरू भी कर दिया है। केरल सरकार ने तीन-चौथाई भाग देना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अतः हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जो पंचायती राज के सुधारों में, लैंड रिफार्मर्स के कार्यों में अग्रगामी है, पंचायतों को एक निश्चित धनराशि जो कम से कम ३० प्रतिशत हो, देना चाहिए और कम से कम उन राज्यों का अनुकरण तो कर ही लेना चाहिए जिन राज्यों ने ऐसा कर लिया है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ग्राम सभाओं की ओर से इस सरकार का दुर्लभ्य हो रहा है। जबकि हमारे प्रदेश में टैक्स सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से आता है लेकिन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन पर खर्च नहीं किया जाता है। परन्तु जिन आधारों पर हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है उन ग्रामीण इकाइयों की उपेक्षा की जा रही है।

जो सुविधायें आपने योजनाओं के द्वारा यातायात की शक्ल में या चिकित्सा आदि की दी हैं वे अधिकतर शहरी केन्द्रों पर स्थित होती हैं और देहाती समाज उनका लाभ नहीं उठा पाता। आज भी देहाती वर्ग पर एक रुपया प्रति व्यक्ति भी हम पंचायतराज समितियों को नहीं दे पा रहे हैं जबकि विदेशों में, फ्रान्स और इंग्लैंड में ५० से १०० रुपए प्रति व्यक्ति तक ग्रामीण जनता को पंचायत समितियों द्वारा लैंड रेवेन्यू से दिया जाता है लकिन हमारे यहां प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्रसिंह]

व्यक्ति एक रुपया भी उन पर व्यय नहीं है। ऐसी दशा में इतनी बड़ी आबादी के कल्याण के लिए यह पंचायतें अपने कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन कैसे कर सकती हैं और कैसे हम उनसे यह अपेक्षा कर सकते हैं और वह जनता के लिए उन तमाम सुविधाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? हम किस आधार पर प्रजातन्त्र की मूलभूत भावनाओं को पनपा सकते हैं और कैसे यह पंचायतें देहात की जनता के लिए प्राइमरी शिक्षा का, गांवों की सफाई का और पुल-पुलिया आदि बनाने का प्रबन्ध कर सकती हैं? जब तक कि आप उन को एक आटोनामस बाडी के रूप में, स्वतन्त्र सत्ता के रूप में स्वीकृति प्रदान न करेंगे, जिस तरह से कि कमेटियों ने रिपोर्ट दी है तब तक ग्राम सभाओं को कोई लाभ नहीं होगा। आप कमेटियों को बिठाते हैं उनकी संस्तुति मांगते हैं तो उनकी सिफारिश के अनुसार उनको आटोनामस बाडी मानने में और उन्हें लैण्ड रेवेन्यू का भाग देने में आप को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

आर्थिक पहलू सुधारने के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सुझाव मैं यह भी दूंगा हालांकि वह भी तभी सम्भव होगा जब कि उनकी आर्थिक दशा अच्छी हो जाय, जब हम यह मंजूर कर लें कि हम उनको मालगुजारी का २५ या ३०प्रतिशत देंगे तो हमें तमाम कार्यों को ठीक से कार्यान्वित कराने के लिए एक ग्राम सभा पर एक ग्राम सेवक की नियुक्ति करानी चाहिए। जिस तरह से आज ग्राम स्तर पर विभिन्न अधिकारी, बी० एल० डब्ल्यू०, पंचायत सेक्रेटरी, अमीन, कुर्क अमीन, कोआपरेटिव सुपरवाइजर, ट्यूबवेल आपरेटर आदि तमाम लोग हैं इन सब का कार्य एक व्यक्ति में निश्चित करिए। आज एक-एक व्यक्ति के क्षेत्र में दस दस ग्राम सभायें पड़ती हैं, नतीजा यह होता है कि वह अपने घर बैठा रहता है और एक प्रधान से कह देता है कि फलां क्षेत्र में गया था और दूसरे से कह देता है कि फलां जगह गया था, बी०डी०ओ० से कह देता है कि हेड क्वार्टर पर गया था, वह घर पर पड़ा मुफ्त का वेतन लेता है और कुछ काम नहीं करता, उस पर किसी का भी अधिकार नहीं रह पाता। इन तमाम कार्यों को एक ग्राम सेवक के सुपुर्द किया जाय और एक ग्रामसभा का क्षेत्र ही उसके लिए रखा जाय ताकि उसकी जिम्मेदारी रहे और उस पर कन्ट्रोल रह सके। वह पूरे गांव के विकास के लिए जिम्मेदार हो। ग्राम सभा के सभापति का सेक्रेटरी यह ग्राम सेवक रहे और वहां के चतुर्मुखी विकास का वह जिम्मेदार रहे और इस तरह से ग्राम सभापति करों को वसूल कर सकेंगे। इस तरह से ग्राम सभाओं का लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं विकास मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और ग्राम सभाओं के लाभ के लिए ग्राम पंचायतों और प्रजातन्त्र के विकास के लिए निश्चित रूप से कोई मजबूत कदम उठावें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भाई गंगा प्रसाद जी को, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि यह एक बड़े ही महत्व का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी पुरानी मांग थी कि गांव सभाओं को अपने कार्य करने के लिए कुछ धन दिया जाना चाहिए उस गांव की मालगुजारी से, और मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। केवल यह सोचने की बात है कि कितनी रकम दी जाय। सरकार ने यदि गांव सभाओं को शासन की इकाई माना है तो इन इकाइयों को क्षमतापूर्वक कार्य करने के लिए और ग्राम वासियों की सेवा करने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इन्हें कुछ धन दिया जाय।

श्रीमन्, आप और हम सभी ग्रामों के रहने वाले हैं। हमें इस बात की जानकारी है और अच्छा ज्ञान है कि गांव सभाओं में आर्थिक कठिनाई की वजह से वे अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाती हैं। अगर उनको कुछ धन दे दें और साधन भी दे दिए जायं तो मैं समझता हूं कि ये इकाइयां क्षमतापूर्वक कार्य करने में सहायक बन सकती हैं। मैं दूसरे प्रदेशों की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूं और मुझे आशा है दूसरे माननीय सदस्यों को भी इसका ज्ञान होगा, वे इसको सरकार के सामने रखेंगे और जहां तक मैं समझता हूं सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी कि दूसरे प्रदेशों में सरकार मालगुजारी का एक भाग ग्राम सभाओं को, अपनी क्षेत्र समितियों को, जिला परिषदों को देती है। यह तीन टायर सिस्टम हमारी पंचायत का है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि इस चीज की छानबीन होनी चाहिए कि यह ३ टायर सिस्टम कैसे चलेगा और मैं अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि गांव सभाएं किस तरह से ठीक काम कर सकें इस पर समझने के लिए हर तरफ के लोगों को निमंत्रित करना चाहिए और उनको समझकर कि गांव सभाओं की सफलता के लिए जो करना है, उस पर विचार करना चाहिए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो आरम्भ ही होने वाली है, इसमें सोचना चाहिए कि क्या कार्यक्रम हो इन ३ टायरों की स्वायत्त संस्थाओं को सफल बनाने के लिए। इस पर हमें पूरी तरह अध्ययन करने की जरूरत है और यह भी हमें देखना चाहिए कि जनता की सेवा करने में वे किस काम की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अपने माननीय दोस्तों से भी आग्रह करूंगा और मेरी भी राय है कि ग्राम सभाओं को मालगुजारी का काम सौंपा जाय। मालगुजारी इकट्ठा करने का काम, जहां तक मुझे जानकारी है, जिन गांवों में ग्राम सभाओं को सुपुर्द किया गया है सफल हुआ है।

अलीगढ़ में एक दिन में सारे गांव की मालगुजारी इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा कर दी गयी। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। आज इस बात की शंका प्रकट की जा रही है कि गांव सभाओं में चोरी डकैती हो जाने का खतरा मालूम होता है लेकिन आज जो क्षेत्र समितियां संघटित हैं और ब्लाक स्तर पर उनके दफ्तर हैं वहां पर गांव सभाएं मालगुजारी इकट्ठा कर सकती हैं और सरकारी खजाने में या तहसील में भेजी जा सकती हैं। इसलिए कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस बात पर सरकार को सहानुभूतिपूवक विचार करना चाहिए। जो खर्चा एक तरफ हम तहसीलों में या दूसरी जगह पर वसूल करने के कामों में लगाते हैं, यह काम हम ग्राम सभाओं को दे सकते हैं, उनकी इज्जत को बढ़ा सकते हैं, उनको लोकप्रिय बना सकते हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि गांव में आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि चकबन्दी के बाद जो कागजात की गलतियां हैं उनको दुरुस्त किया जाय क्योंकि उनके दुरुस्त किए बगैर गांव का जीवन नरक हो गया है। उस कागज को दुरुस्त करने का काम और मालगुजारी वसूल करने का काम गांव सभा को दिया जा सकता है। ये दोनों जिम्मेदारी के काम हम गांव सभा के सुपुर्द कर सकते हैं। मालगुजारी का काम तो आसानी से गांव सभाओं पर डाला जा सकता है। इन्दराज के काम में दलबन्दी कुछ हो सकती है। गवाह और शहादत के बल पर वह मामला तय होता है। मुकामी अफसर जब इस काम के लिए आते हैं तो झूठ बोलने की हिम्मत कम पड़ती है। फिर भी इन बातों को निगाह में रख कर यह प्रस्ताव सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लायक है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

हम लोग तो यह बात कल से कह रहे हैं। आप माननीय मन्त्री जी को समझा दीजिए, आप तो अब पड़ोस में हैं। मुमकिन है आपके सजेशन को वह मान लें।

श्री गेंदासिंह—

आज गैर सरकारी प्रस्ताव है और इस पर मुझे भी कुछ कहने का हक है और इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया है कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको गांव सभा पर डालना चाहिए। उन जिम्मेदारियों को गांव सभाओं द्वारा लेने में गांव की आर्थिक हालत में तथा कागजात में सुधार होने की गुंजायश है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव उपस्थित है इसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने भी गांव की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इसका समर्थन किया है कि गांव सभा को मालगुजारी का भाग अवश्य मिले जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उम्मीद तो यह थी सरकार से कि गांव तथा शहर में उसका सौतेला व्यवहार नहीं रहेगा। लेकिन गांव की तरफ जरा भी कृपा दृष्टि नहीं की जा रही है हालांकि सारे प्लान का खर्चा गांवों के नाम पर ही होता है। सरकार जो २७ करोड़ रुपया गांव से मालगुजारी के रूप में वसूल करती है उसे गांव को ही दे दे और आज गांव सभायें सक्षम हैं कि उस रुपए को व्यय कर सकें। जब आप यहां उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हो कर आते हैं और ढाई, तीन अरब रुपए का बजट चला लेते हैं तो गांव सभायें भी २७ करोड़ रुपए का आय-व्यय ठीक से कर सकती हैं क्योंकि आप उनकी ही देन हैं, उनके ही प्रतिनिधि हैं।

मान्यवर, हर दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि किसान लगान देते हैं, प्रदेश के लोगों को खाना देते हैं और अपने नौजवान बच्चों को देश की रक्षा के लिए भी देते हैं। इसलिए आ उनकी उन्नति के लिए यह प्रस्ताव बहुत अहमियत रखता है और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अभी-अभी जैसा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि यह हमारी बहुत पुरानी मांग है और बहुत दिनों से यह कहते चले आ रहे हैं, उन्होंने बड़ी नम्रता से और चतुरता से अपना समर्थन सरकार को दिखाते हुए यह बता दिया कि उनकी सम्मति क्या है? सरकार समझे या न समझे, यह उसकी बुद्धिमानी की बात है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा है, हमें उनसे ऐसी ही आशा थी कि वह उस जगह पर भी सही बात ही कहेंगे और वहीं उन्होंने कही भी। सही बात को किसी भी स्थान से कहा जा सकता है। ग्रामीण उपेक्षित है---न अच्छा खाना है, न कपड़ा है और न अच्छा मकान ही है और न यातायात के साधन ही हैं।

मान्यवर, चकबन्दी की बहुत चर्चा हुई। उसमें भी सुधार गांव की इकाई से ही हो सकता है। चकबन्दी के कागजात में जो गड़बड़ियां हो गई हैं वह ग्राम सभाओं द्वारा ठीक हो सकती हैं। अगर गांव सभाओं को पैसा प्राप्त होगा तो वे अपने आवागमन के साधनों को ठीक कर सकती हैं। यह जरूर है कि सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। देहातों में शिक्षा की दशा यह है कि यहां की तरह से वहां पर कालविन ताल्लुकेदार कालेज और मांटेसरी स्कूल्स नहीं हैं। यद्यपि हम नहीं चाहते हैं कि देहात में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हो लेकिन जो हिन्दी शिक्षा वहां चल रही है उसका स्वरूप, स्तर और वातावरण ठीक होना चाहिए। वहां पर आधुनिक योग्य अध्यापक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के शहर के लड़कों के मुकाबले में इसलिए प्रत्येक बड़े कम्पटीशन में नहीं आ पाते हैं, जैसा कि माननीय पूर्ववक्ता ने कहा है, कि हमारे यहां ३ टायर स्कीम है। जब जिला परिषदें ही, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं कर पाती तो क्षेत्र समिति और ग्राम सभायें क्या कर सकती हैं? इसलिए ग्रामीण बच्चे कम्पटीशन में नहीं आ पाते हैं। ग्राम सभाओं के पास पैसा नहीं है, इसलिए वह शिक्षा में नहीं लगा सकती हैं, मकानों में नहीं लगा सकतीं और खेती के साधन उपलब्ध नहीं करा पाती हैं। सरकार ने यह कहा है कि वह अगली योजना में खेती पर काफी खर्चा करेगी और अभी भी पैसा खर्चा हो रहा है लेकिन जितना पैसा लगना चाहिए था उतना नहीं लगा है। आज प्लान का जो स्वरूप है वह ऊपर से लादा जाता है, नीति ऊपर से लादी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जहां बहुत संख्या में आबाद हैं वहां से हमारी नीति चलनी चाहिए। ग्राम हमारी पहली इकाई है, इन्हीं गांवों में राम राज्य का स्वप्न बापू ने देखा था। अतः हमारे प्लान गांवों से आने चाहिए थे। सरकार ने लखनऊ में डैम बना कर पानी रोकने का प्लान तैयार किया है उसी तरह से गांव के आदमी भी प्लान दे सकते हैं। वही ग्राम वार की प्लानिंग होना चाहिए थी लखनऊ और दिल्ली में बैठे-बैठे नहीं बन सकते। लेकिन यह तभी कर सकते हैं जब गांव सभाओं के पास योग्य सेक्रेटरी हो और उनको पैसा दें। तभी वे अपना काम कर सकती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि गांव सभायें अपने टैक्स के पैसे को भी खर्च नहीं कर पाती हैं। ऐसी गांव सभायें बहुत थोड़ी होंगी। जो सभापति होते हैं वे वही लोग हैं जो हमें

चुन कर यहां भेजते हैं। आप लोग यहां आकर बजट चलाना कैसे सीख लेते हैं। यह बात सच नहीं है कि सभापति टैक्स के रुपए को खर्च नहीं कर पायेंगे। अभी बहुत से आरोप हम लोगों के भी खिलाफ लगाए जाते हैं, मन्त्रियों के खिलाफ भी लगाए जाते हैं, इसी तरह से गांव सभापतियों के खिलाफ भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं मानी जा सकती है कि गांव सभापति अपना काम नहीं चला सकते हैं। उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वह भी वास्तविक ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में बड़े-बड़े धोखे होते हैं। नेता लोग रुपए खा जाते हैं यह सब दुरुपयोग है। जिस प्रकार आफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, प्रधान की अनिवार्य और सही ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रस्ताव में मालगुजारी में से २५ प्रतिशत गांव सभाओं को देने की बात है लेकिन मैं चाहता हूं कि मालगुजारी का पूरा-पूरा रुपया गांव सभाओं को दे दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको मान जायेंगे क्योंकि वे स्वयं गांव के रहने वाले हैं और जनहित उनके सामने है।

*श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)--

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिए उनको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उनकी मांग जो इस वक्त है, वह बहुत पहले से है और अभी उसका वक्त नहीं आया है, क्योंकि.....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

बड़ी विचित्र बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस के २-४ लोग ही बैठे हुए हैं। सब एलेक्शन में लगे हुए हैं और सदन में कोरम नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

गुप्ता जी को कनवेंसिंग करनी चाहिए और गुप्ता जी तो यहीं बैठे हुए हैं जबकि सारे लोग बाहर हैं, इनको भी जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कोरम नहीं है, मुहम्मद हुसैन साहब, आप कृपा करके बैठ जाइये।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाई पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुहम्मद हुसैन--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी इसका मौका नहीं है, क्योंकि देखने में यह आया है कि इस समय गांव सभाओं के पास जो संपत्ति है या जो वे एकत्रित करती हैं, उसको ही वह अच्छी तरह से ग्राम के कार्यों में नहीं लगा पाती हैं, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। यह भी देखने में आता है कि यह गड़बड़ियां इतनी अधिक बढ़ जाती हैं कि इनकी शिकायतें बराबर अदालतों तक जाती हैं और इस तरह से सारे का सारा वातावरण खराब होता रहता है। इसलिए जो संतत्ति उनके पास है जिसका वह उपयोग अच्छी तरह से कर सकती थीं उसी का वह उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पायी हैं, अतः उन पर और अधिक जिम्मेदारी डालना, धन देना, ठीक नहीं होगा, इससे बहुत गड़बड़ियां होंगी और काम अच्छा होने के बजाय खराब होगा। सरकार की ओर से जो काम इस रुपये से हो सकता था वह बराबर होता रहता है, उनकी शिक्षा का प्रबंध, उनके लिए सड़कों और पुलों का प्रबंध और इसी तरह से प्लांनिंग के द्वारा और बड़े बड़े काम सारी ग्राम सभा क्षेत्र में बराबर हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं इस संपत्ति का अच्छी प्रकार से उपयोग उनके हित के कामों में हो रहा है और ऐसी दशा में उनको मालगुजारी से कुछ हिस्सा दिया जाय और उन पर और अधिक जिम्मेदारी देकर उनमें और गड़बड़ियां पैदा कराई जायें,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद हुसैन]

यह बहुत अनुचित होगा। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि यह मांग बिलकुल बेवक्त है और मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि यह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलासिंह यादव, पीठासीन हुए।)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो गैरसरकारी संकल्प है, इस पर कल से बहस हो रही है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि विधानसभा में राज्य की जनता के चुने हुए विधायक आते हैं और जिस दल के विधायक बहुमत में होते हैं उस दल की सरकार बनती है। बहुमत दल के मंत्री अपने ज्ञान और बुद्धि से जनहित के कार्य करते हैं। किन्तु प्रायः यह भी हो सकता है कि वास्तविक जनहित के कुछ कार्य सरकारी पक्ष के मस्तिष्क में न भी आयें, उनकी जानकारी में न आयें और उनके अलावा जो सरकारी पक्ष के बाहर के विधायक लोग हैं उनकी सूझबूझ में वह बात आ जाय और संकल्प के रूप में वह चीज सदन के सामने लाई जाय। तो होना यह चाहिए कि अच्छे और योग्य संकल्प का शासन पक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से भी समर्थन किया जाना चाहिए। किन्तु होता यह है कि गैर सरकारी पक्ष की तरफ से लाये गये किसी भी संकल्प का चाहे उसका जितना भी महत्व क्यों न हो शासन की ओर से सदैव विरोध ही किया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि आज का जो यह विषय है गैर सरकारी संकल्प के रूप में उसके बारे में आवश्वासन समिति की २६वीं रिपोर्ट के पृष्ठ ४८ पर देखिए कि पंचायत राज्य के अनुदान पर सरकार के सभासचिव, पांडेय जी ने कहा था कि मालगुजारी का चौथा भाग गांव सभाओं को दिया जायगा। तो यह संकल्प तो आपको उसी आश्वासन की याद दिलाने के लिए है। यह संकल्प तो आपकी सेवा ही कर रहा है आपके दिये गये वचन की याद दिलाकर लेकिन मंत्रिमंडल चूंकि इसका विरोध करेगी और उसकी दृष्टि में इसे पास नहीं होना चाहिए इसलिए सरकारी पक्ष के वक्ताओं को संकेत कर दिया गया है कि वे इसका विरोध करें। मैं बधाई दूंगा माननीय गेंदासिंह जी को जिन्हों ने अपने अन्तःकरण के अनुकूल बात कही वरना हर एक विरोध कर रहा है। मालूम होता है कि जैसे गांव सभायें केवल विरोध में बैठने वाले सदस्यों के ही क्षेत्रों में हैं और कांग्रेसियों के क्षेत्र में उनका नामोनिशान नहीं है। जैसे एक लाइन आफ डिमार्केशन सी बन गयी है कि जितना अच्छा है सब इधर है और उनके अपने ढंग से जितना अच्छा है वह सब उधर है। यह आदरणीय सदन की मर्यादा के अनुकूल बात नहीं है। सदन की सार्थकता में कभी तो हम सब एक मत हुआ करें।

दूसरी बात यह है कि इस साल जो बजट आपने प्रस्तुत किया है पंचायत राज का उसमें जितनी मदें बनी हैं उसमें राज्य और जिले से लेकर पंचायत स्तर तक, पंचायत सेक्रेटरियों को ले दे कर केवल १ मद अन्त में पंचायत राज्य के फुटकल व्यय लेखा शीर्षक में १ लाख ५० हजार रुपया आपका बचा है, बाकी सारा का सारा रुपया अधिकारियों के वेतन और भत्ते में दिया गया है। अब यह अगर मान भी लिया जाय कि यह सब का सब पंचायतों पर विकास के कार्यों में ही व्यय होगा, यद्यपि कहां होगा कुछ पता नहीं है, फिर भी विकास पर ही इसका व्यय मान लिया जाय तो ७२ हजार पंचायतों के पीछे केवल २ रुपये औसत प्रति पंचायत आयेगा। अब इसके बाद यह पुस्तिका जो आपकी निकली है, मंत्री जी, कृपया मेरी बातों को सुनें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रघुनाथ सिंह जी, देखिए आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

श्री रघुनाथसिंह--

तो फिर आप ही इनसे कहिए कि हमारी बात सुनें।

श्री अधिष्ठाता--

यह तो हमारी ड्यूटी है, आप निर्देश न कीजिए।

श्री रघुनाथसिंह--

फिर हम लोग तैयार करें और कहें और कोई सुने ही नहीं तो कैसा लगेगा। खैर, नहीं सुनते न सही हम अपनी बात कहेंगे। यह "कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास" नामक पुस्तिका जो हम लोगों को मिली है इसमें १ अप्रैल, १९६४ से ३० सितम्बर, १९६४ तक यानी ६ महीने के अन्दर जो पंचायतराज ने कर वसूली की है विकास कार्यों के लिए वह है ३१,५५,७४१ रुपये, और वह ४३.७ रुपये प्रति गांव सभा आयी। तो साल भर में यह ८६ या ८७ रुपये की आमदनी ग्राम पंचायतों की इस ओर से हुई। मैंने सारा बजट साहित्य छान डाला, कोई ऐसा अनुदान हमें नहीं मिला जिसमें कोई उल्लास प्रकट हो पंचायत राज के लिए। एक नया मद अनुदान का कायम किया गया है ६५-६६ में १ लाख ७५ हजार रुपये का और वह भी व्यय होगा सारे राज्य पर।

जिस काम के लिए यह अनुदान दिया गया है, जरा आप देखिए कि मत्स्य पालन, वनरोपण फलोद्यान, हाट-बाजारों के सुधार, लघु सिंचाई आदि के लिए इसमें ग्राम सभायें स्वयं दो तिहाई खर्च करें। तो यह सारा अनुदान जो दिया गया है वह एक तिहाई के रूप में गांव सभाओं को दिया जायगा। जो १ लाख ७५ हजार रुपया हमारी सरकार ने दिया है इसका परता २.४ रुपया प्रति गांव सभा पड़ा और अगर दो तिहाई गांव सभाओं ने लगाए तो यह ७.२ रुपया प्रति गांव सभा पड़ा। यह खर्चा साल भर के लिए है उन कामों के लिए जो ऊपर गिनाये गये हैं। यह मजाक हो रहा है उस विकेंद्रीकरण के साथ जिसमें सरकार पंचायत राज को पांचवां खंभा के रूप में कायम करना चाहती है।

अब आप और देखिए कि ग्राम पंचायतों की आमदनी का एक और जरिया जो हमको बजट साहित्य से मिला है वह यह है कि जो हमारी न्याय पंचायतें हैं ये जुर्माना करती हैं। जुर्माने की रकम राजस्व विभाग में आकर जमा होती है। बजट साहित्य से यह मालूम हुआ है कि १९६३-६४ में वह धन ५० हजार और बढ़ोत्तरी के रूप में मिला और १९६४-६५ में ६४ हजार और बढ़ोत्तरी के रूप में मिला उस ६४ हजार की आमदनी में जो अंशदान गांव सभाओं को वास्तविक आवश्यकता के भुगतान के लिए मिला वह ५ हजार रुपया है ७२ हजार गांव सभाओं को जो इस धनराशि से अंशदान मिला है इसका हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि प्रत्येक गांव सभा को ७ नये पैसे मिला। यह रुपया इन गांव सभाओं के द्वारा ही जमा किया गया है लेकिन उसमें से मिला है केवल ७ नये पैसे प्रत्येक गांव सभा को। इससे क्या उनकी वास्तविक अवाश्यकता पूरी हो सकती है ?

इसी प्रकार से श्रीमन, देखा जाय एक और खर्चा है जो गांव सभा को दिया गया है। एक पुराने प्रकार का कार्य है जल मार्गों के निर्माण का, उसके अन्तर्गत १९६४-६५ में ५४५ हजार रुपया सारे राज्य की गांव सभाओं को दिया गया है। इसका हिसाब भी ८ रुपया प्रति गांव सभा आया है। जल मार्ग के सुधार के संबंध में यहां पर बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार किस प्रकार से नकारात्मक उत्तर दिया करती है यह विदित है। कितनी जिलों के अन्दर फसल बरबाद होती है और कितना वाटर लांगिंग होती है लेकिन उसके लिए उनको दिया गया है केवल ८ रुपया। इस बाढ़ और वाटर लांगिंग के कारण गांवों में कितनी तबाही होती है। अभी आपने देखा है कि सन १९६३ में कितनी तबाही आई। छोटे छोटे नाले भयंकर रूप धारण करके कितना नुकसान कर देते हैं पर उनके लिए हमारी सरकार अनुदान देती है केवल ८ रुपया प्रति गांव सभा।

[श्री रघुनाथसिंह]

इसी प्रकार गांव सभाओं को दवा की एक पेटी रखने की बात है। देहात में प्रायः बीमारी फैल जाती है। डिस्पेंसरी तो वहां पर होती नहीं तो उस पेटी के अन्दर कुछ जरूरी दवायें रख दी जाती हैं जिससे समय पर काम आ सके। उस संबंध में जितना रुपया दिया गया है वह ३९,६०० रुपया है। इस रुपये का भी यदि हिसाब लगाया जाय तो प्रति गांव सभा ८ आने ६ पाई आता है। इससे क्या उनका कल्याण हो सकता है और कैसे रोग दूर हो सकते हैं? इस तरह से राज्य में स्वास्थ्य सुधार करने में कितना समय लगेगा यह माननीय मंत्री जी विचार कर सकते हैं। ऐनीबेसेंट एक विदेशी महिला थीं और उस समय के शासन वर्ग की जाति की अंग्रेज महिला थीं। उस विदेशी महिला ने इस देश की जनता के लिए अपने देश की सरकार और अपने देशवासियों के खिलाफ जो आवाज उठाई थी उसका बड़ा महत्व है। उन्होंने हमारे यहां की जनता की दशा के संबंध में सन् १९१७ में जो कहा था उसको मैं आपके ससक्ष रखना चाहता हूं। यह आपकी ग्राम पंचायत की पुस्तिका से लिया है।

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर साहब, आप रेफरेंस किताब का दीजिए।

श्री रघुनाथसिंह--

'गांव पंचायत' नाम की जो पुस्तिका १९६३ में बटी थी उसमें से यह उद्धरण पढ़ रहा हूं, १९१७ में उन्होंने यह कहा था--

"गांवों का आर्थिक और नैतिक पतन केवल पंचायतों की पुनर्स्थापना से ही रोका जा सकता है। अंग्रेजी शासन द्वारा बनाई जाने वाली पंचायतें केवल नौकरशाही की सेविका के रूप में काम कर सकती हैं। वास्तविक सत्ता उनके पास नाम मात्र को भी न होगी"।

अब इस उद्धरण के बाद मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से ३-४ मदों में ८ रुपया, २ रुपया, ७ नये पैसे, इस तरह से छोटी छोटी मदों के रूप में कर वसूल करने का अधिकार देकर जो कि मैंने निवेदन किया कि आपकी पुस्तिका के अनुसार ४३ रुपया आया, तो यह ६०-६५ रुपये भी नहीं होते हैं। इस वार्षिक आमदनी पर गांव के लोग क्या काम करेंगे? नतीजा यह होगा कि जिले के विकास अधिकारियों, विकास प्रमुख और बी० डी० ओ० के यहां दौड़ते फिरेंगे। जबकि आपने पंचायत को पांचवा खंभा नाम देकर कायम किया है तो इसे हाथ पसारने वाली भिखारिणी के रूप में न रखकर, जबकि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, निर्माण का कार्य दे रहे हैं तो इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए पैसा खर्च करने का भी स्वामित्व दें तो अच्छा है। और ऐसी स्थिति में जब कि १९६४ में राजस्व के १/४ आमदनी का आश्वासन दे चुके हैं तो हमारा संकल्प मंत्री जी को उसी आश्वासन को याद दिलाने का कार्य करता है। अगर आप इसको मंजूर कर लेंगे तो भारतीय जनतंत्र में एक अच्छी परंपरा कायम कर देंगे कि गैर सरकारी संकल्पों को उचित समझकर सरकार और मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि आप सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करें और मंत्री जी इसे स्वीकार करके एक अच्छी परंपरा को जन्म दें।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आज हमारे गांवों की जो स्थिति है उस पर माननीय गेंदासिंह ने प्रकाश डाला है। गांव हमारे देश की सबसे छोटी इकाई है। आज यह महसूस किया जा रहा है कि देश को इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से सशक्त बनाया जाय ताकि जो भी परिस्थितियां आवें उनका वह सामना कर सकें। यदि हमारा यह नारा सही है कि हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल नगरों या शहरों तक ही हम सीमित रहें, हमारी दृष्टि वहीं तक रहे तो हम देश को सशक्त नहीं बना सकते, क्योंकि ८० प्रतिशत जनसंख्या हमारी गांव में है। तो सचमुच यदि हम चाहते हैं कि देश को शक्तिशाली बनावें तो यह आवश्यक है कि हम पहले अपने गांव को सब दृष्टियों से, खासकर आर्थिक दृष्टि से सशक्त करें। आज सर्वाधिक उपेक्षित यदि कोई इकाई है, तो वह गांव की इकाई है। चाहे आज पंचायत के या राजस्व के अधिकारी हों, गांव की मर्यादा उनकी दृष्टि में रंचमात्र नहीं है। वह समझते हैं कि ये निस्सहाय, साधनहीन हैं, इनकी मर्यादा क्या हो सकती है? तो एक उपेक्षा का जो दृष्टिकोण है हमारे अधिकारी वर्ग का वह भी गांव की उन्नति में बाधक है। इसलिए आवश्यक यह है कि गांव को हम साधन सम्पन्न बनायें, उनको कुछ शक्ति प्रदान करें। यदि ऐसा होगा तो निस्संदेह गांव की मर्यादा बढ़ेगी, और उनका विकास भी होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांव इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पायेंगे। श्रीमन्, सत्ताधारी दल हमेशा यही कहा करता है। जिस समय अंग्रेजी शासन था, वह भी यह कहा करता था कि अभी हिन्दुस्तान के लोग इस योग्य नहीं हैं कि उनको शासन सौंपा जा सके और वे शासन का भार उठा सकें। उसी तरह की बात आज भी गांव के बारे में कही जाती है किन्तु यह सत्य नहीं है। आप उनको जिम्मेदारी दीजिए तो। श्रीमन्, आप जानते हैं कि गांव के पास फंड्स नहीं हैं। फिर पंचायत का कर्मचारी जिसे हम पंचायत मंत्री कहते हैं, जिसे सारा कार्य करना पड़ता है, उसको कम वेतन मिलता है जिससे वह अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता। गांव पंचायतों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वे अधिक पैसा देकर अच्छे कर्मचारी रख सकें। सरकार भी उन्हें अपना कर्मचारी नहीं मानती है। ऐसी अवस्था में यह निश्चित बात है कि हम उससे, जिसके ऊपर गांव सभाओं का पूरा संचालन निर्भर करता है, यह आशा नहीं कर सकते कि वह वहां के विकास के कार्यों में कुछ अधिक योग दे सकता है। यदि हम चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, ग्राम पंचायतें अपना कार्य ठीक प्रकार से करें, वहां के लोगों का उत्थान हो, तो यह आवश्यक है कि आर्थिक दृष्टि से उनको सम्पन्न बनाया जाय जिससे कि हमारी जो योजनायें हैं वे भी सफल हो सकें। आर्थिक साधन आज गांव सभाओं के पास बहुत कम हैं। बिना उनके बढ़ाये कुछ नहीं हो सकता। उनकी आय के साधन बहुत ही कम हैं। कहीं कहीं पर बाजारों से तथा यदि कहीं तालाब वगैरह हुए तो उनसे कुछ आमदनी हो जाती है। मगर उससे उनका कार्य नहीं चल सकता।

इसके अलावा एक बात श्रीमन्, मैं और कहता चाहता हूं। बड़े बड़े गांव में जो मजरे होते हैं, उनसे मिले हुए जो गांव होते हैं, उनकी तरक्की का कोई साधन नहीं है। जितने मजरे हैं उन पर कुछ खर्च नहीं किया जाता क्योंकि जो प्रधान होता है उसका जो नम्बरी मौजा होता है, उसी जगह का उसे ध्यान रहता है। इसलिए संपूर्ण गांव का विकास तभी संभव है जब उनके पास साधन हों और उनको अवसर मिलेगा कि जो छोटे छोटे मजरे हैं, पुरवे हैं वहां के रहने वाले भी अपने गांव के खरंजे और सड़कें वगैरह बना सकें।

इसके अलावा अभी जो ग्राम पंचायत ऐक्ट में संशोधन किया गया है उसमें कुछ ऐसे अधिकार दिये गए हैं ग्रामसभाओं को कि वह छोटी-छोटी इर्रीगेशन की स्कीम्स अपने हाथ में ले सकती हैं और उसके लिये गवर्नमेंट से लोन इत्यादि वह ले सकती हैं और कुछ शुल्क भी लगा सकती हैं। तो एक तरफ तो हम इतनी जिम्मेदारी उन्हें सौंपने जा रहे हैं कि वह इर्रीगेशन के कामों को करें और दूसरी तरफ हम यह तर्क दें कि राजस्व का हिस्सा उनको दिया जायगा तो वह इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकेंगी, हमारा खयाल है कि यह दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वह इस संकल्प को स्वीकार करें।

[श्री देवदत्त मिश्र]

एक और बात मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है कि हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समाज के ऊपर आज जो पूंजीवाद का बोझ लदा है उससे उसे मुक्त करके हम एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करें, यह हमारा लक्ष्य है। यदि यह हमारा लक्ष्य सही है और हम सचमुच उस दिशा में चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज यह हो जाता है कि हम गांवों को स्वावलम्बी बनावें जिससे वह अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकें। उनकी जितनी आर्थिक या दूसरे तरह की आवश्यकता है उनको वह स्वयं स्वावलम्बी रूप से वहन करें। अन्यथा हमारा यह कहना कि हम एक नये समाज का निर्माण करना चाहते हैं कोई मानी नहीं रखता। हम निर्माण नये समाज का करना चाहते हैं लेकिन सारा तरीका और ढंग वही पुराना चला आ रहा है। सामन्तवादी युग में गांवों की जैसी दशा थी वैसी ही व्यवस्था आज भी उनकी है। उनके संचालन आदि का तरीका वही आज भी बना हुआ है। हमारा जो आदर्श है, उस को प्राप्त करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम गांव सभाओं को सेल्फ सपोर्टिंग बनावें। आज गांव सभाओं के पास आमदनी का कोई जरिया न होने के कारण जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं उनकी तरफ उनकी दृष्टि रहती है और वह समझते हैं कि उन्हीं के जरिये से कुछ हो जाय, सड़क बन जाय या तालाब बन जाँय तो अच्छा है। वह समझते हैं कि उन्हीं के जरिये से यह चीजें हो सकती हैं। इस तरह से वह हमारे गांव के ऊपर हावी रहा करते हैं और जो लोकहिताय योजनायें हुआ करती है वह ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं और आज भी जमींदारी प्रथा मिट जाने के बावजूद गांव में सामन्तवादी प्रणाली उसी प्रकार से चल रही है। तो इस दृष्टि से भी अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आर्थिक दृष्टि से जो हमारे देश की सबसे छोटी यूनिट यह गांव सभायें हैं वह स्वावलम्बी हों। इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि मुझे समय दिया गया। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि यह संकल्प जो प्रस्तुत किया गया है इसके पीछे एक पृष्ठभूमि भी है। यह संकल्प मेरे नाम से और मेरे मित्र श्री गंगा प्रसाद जी के नाम से दिया गया था। मेरे मित्र गंगा प्रसाद जी ने इसको कल प्रस्तुत किया। मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था। इस संकल्प को प्रस्तुत करने के पीछे मेरी यह भावना थी और उसे मैं मंत्री महोदय को बतला देना चाहता हूं कि यदि वे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे उन अनुभवों से लाभ उठावें। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब से पंचायत राज ऐक्ट का प्रारम्भ हुआ उसी समय से मैं एक ग्राम सभा का प्रधान निर्विरोध चुना जाता रहा हूं और इस समय भी उस ग्राम सभा का प्रधान हूं। यही नहीं कि एक प्रधान के नाते जो मैं एक छोटे से ग्राम समाज में काम कर रहा हूं, मैं ३२ वर्ष से वकालत कर रहा हूं और नगर में रहता हूं और प्रतापगढ़ नगर कांस्टीटुयूएंसी से एम०एल०ए० चुना गया हूं। यदि वे किसी प्रकर का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने उन अनुभवों को मैं बतला देना चाहता हूं। मैं उन सारी बातों को जानने के बाद स्वयं के अनुभव से यह समझ कर कि गांवों में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये कि मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं रहता, और एम०एल०ए० होने के पश्चात् मेरे दिल में यह बराबर खटकता रहा है कि उनको इस किस्म के अधिकार दिये जायं और उसी आशा से मैंने यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया है। मैं आपको बतला दूं कि मेरे ही गांव के अन्दर कहीं कुवें बिगड़े हुये हैं, कहीं रास्ते तक नहीं हैं, बड़ी सड़क होने की तो कोई बात ही नहीं है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग गिरी हुई पड़ी है, और बहुत सी चीजें हैं जो अस्त-व्यस्त दशा में पड़ी हुई हैं। मैंने पंचायत राज ऐक्ट को पढ़ा तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे मेरी सारी आशायें ठप्प हो गयीं। उसके अन्तर्गत अगर कोई घोड़ा रखता है या कोई गाड़ी चलाता है या कोई अन्य कार्य करता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि एक बार आप लगान के रूप में किसानों से जो जमीन वह जोतता है, भले ही ले लें, उसे तो वह लगान समझ कर दे देगा लेकिन इसके अलावा यदि आप उससे रुपये में एक पैसा भी लेने की कोशिश करें तो वह यही समझता है कि उसके गले पर छुरी चल गयी। जो गांव के प्रधान या चुने हुये नुमायन्दे हैं वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के रुपये पैसे की वसूलयाबी में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप इसको पसन्द करेंगे कि मालगुजारी बढ़ा दी जाय ?

श्री बाबूलाल—

मेरे कहने का मतलब यह है कि मालगुजारी के रूप में ही अगर उससे रुपये में एक पैसा या दो पैसे जो कि आज लिये जाते हैं वे एक साथ ही वसूल कर लिये जायं तो वह किसानों को नहीं खलेगा और दूसरी दफा वसूलयाबी के लिये भी उसके पास कोई नहीं जायगा जिससे उसे भी परेशानी नहीं होगी। यह मालगुजारी के अलावा बढ़ा हुआ पैसा तो, है ही, अलग से मैं मालगुजारी बढ़ान के लिये नहीं कहता। उसका हमने हमेशा विरोध किया है।

इस संबंध में अपने गांव के रामदास नामक एक भुंजवे की बात बतलाऊं कि प्रति रुपये दो पैसे के अनुसार उसके ऊपर जो बकाया था उसके लिये वहां के बी० डी० ओ० ने १०–२० आदमियों के सामने उसके मुंह पर जोर का तमाचा मार दिया। वह बेचारा रोते हुये मेरे पास प्रतापगढ़ आया और सारी कार्यवाही होने के पश्चात् उन बी०डी०ओ० साहब ने उससे माफी मांगी। कहने का मतलब यह है कि दो पैसे के लिये जो जबरिया वसूलयाबी होती है वह न होकर मलगुजारी के साथ ही उसे वसूल कर लिया जाय और फिर उसे ग्राम पंचायतों को दे दिया जाय। इससे यह होगा कि वसूलयाबी में सुविधा हो जावेगी और तमाम दिक्कतों और कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है उससे भी छुटकारा मिल जायगा। आज हालत यह है कि ठीक स वसूली भी नहीं हो पाती और कोई कार्य भी नहीं हो पाता। जब कोई विशेष राजनीतिक त्योहार आता है तो मैं गांव वालों को पकड़ता हूं और उनसे श्रमदान करवाता हूं। मैं समझता था कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी स्कीमों के लिये और यहां बड़ी किफायतसारी से काम चलता होगा। इसलिये मैं कभी कभी गांव वालों से श्रमदान के नाम पर मिट्टी डलवा देता था। लेकिन उनको खलता था, क्योंकि अपनी खेती बाड़ी छोड़ कर काम करना पड़ता था। कुछ वह भी धीरे-धीरे होशियार हो गये हैं और मैं भी समझता हूं कि जहां सरकार पानी की तरह रुपया बहाती है, और दूसरी तरफ सरकार श्रमदान का पाठ सिखाना चाहती है, तो वह सवाल हमसे करते हैं कि हमसे पैसा लेकर शहरों में खर्च किया जाता है तथा हमको छोटे मोटे मदों के काम करने के लिये बाध्य किया जाता है जब कि हमको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिये जहां तक आवश्यकता है ग्राम के सुधार की, इस संकल्प से उनका कुछ काम बन सकता है।

आपने देखा है कि माननीय गेंदा सिंह तथा माननीय देवदत्त मिश्र ने बड़ी दबी जवान से इसका समर्थन किया है। माननीय मुहम्मद हुसेन साहब ने इसका विरोध किया सिर्फ एक तर्क से जब कि सभी ने इसकी आवश्यकता किसी न किसी तरीके से महसूस की। हर आदमी अनुभव करता है और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि हां, इसकी आवश्यकता है। कितनी ही रिपोर्टों में उसका उल्लेख किया गया, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उसके होते हुये क्यों एक थोथी दलील दी जाती है कि वे अभी उस काबिल नहीं हैं। अंग्रेज भी यही कहते थे कि आप राज्य चलाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन हम कहते थे कि हम अपना काम स्वयं चलायेंगे और उससे तजुर्बा करते रहेंगे। आज आजादी के इतने दिनों के बाद गांव वाले १००–२००

[श्री बाबूलाल]

या चार सौ रुपये का व्यय नहीं कर सकेंगे यह तर्क कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। आखिर आप किसी अल्हड़ को तो रुपया दे नहीं रहे हैं। गांव के लोगों ने जिसको मिल करके प्रधान चुना है, उसके हाथ में वह रुपया रहेगा, एक फाइनेन्स कमेटी बनती है, मैनेजमेंट कमेटी बनती है, उसके ऊपर आपका आडिट होता है, डिप्टी रहता है, तहसीलदार रहता है। यह तमाम बातें होते हुये भी, एक ऐसी दलील करना मानो बच्चे के सामने बात कर रहे हैं, जो अधिक शोभा नहीं देता। अगर न देना हो तो सीधी तरह कहिये कि नहीं देना है।

श्री अधिष्ठाता—

काबलियत बढ़ाने के लिये आप क्या सुझाव दे रहे हैं ?

श्री बाबूलाल—

मैं तो कहता हूं कि बहुत काबिल हैं। मैं अपने को अपने ही मुंह से काबिल कहूं तो गलत बात होगी। लेकिन ३२ साल से गांव का प्रधान हूं, तो कौन सा नाकाबिल हूं। इसके अलावा जो कम पढ़े लिखे हैं, वह मुझसे भी ज्यादा काबिल हैं, और जितना समय वह दे सकते हैं, मैं उतना दे भी नहीं पाता हूं। नाकाबलियत का एक बहाना लिया जाता है। उन्हीं के बनाये हुये आप काबिल बनते हैं। जिस तरह से पतंग उड़ती है और काफी ऊपर ऊंचे पहुंच कर किलौल मारती है तथा समझती है कि मैं तो इतने ऊंचे पहुंच गई हूं, और उस डोर को भूल जाती है जिसके द्वारा इतने ऊपर पहुंची है। और जब वह डोर कट जाती है तो खंदक में या गंदे नाले में गिरती है, तब उसको याद आती है कि मैंने इस डोर की कद्र को नहीं समझा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां मंत्री महोदय जो चमक रहे हैं, लाखों रुपये का व्यय करते हैं, और समझते हैं, मैं बड़ा भाग्यवान हूं यह उसी डोर से आये हैं, जो गांवों में बैठे हुये वोटर हैं, और वे नाकाबिल हो गये, और आप काबिल हो गये। लेकिन जिस समय उनको पता हो गया या अनुभव हो गया तो जिस तरह डोर के कटने के बाद पतंग का हाल होता है, मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी वही हाल होगा। मोची का मोची कहना तो ठीक नहीं है, परन्तु सादे जीवन में आप पहुंच जायेंगे। मैंने कांग्रेस नेताओं के भाषण सुने थे, जिनमें कहा जाता था कि पंचायतराज ही आजादी का हीरा है और आजादी का सारा सार तथा मजा पंचायत राज में है। उस हीरे के वास्ते आप कहते हैं कि वह काबिल नहीं हैं।

अभी कई वक्ताओं ने बताया कि जिला स्तर पर सारा काम परिषद् के द्वारा चल रहा है। हमारे प्रतापगढ़ में जो प्रेसीडेंट हैं, उनका नाम ही राम राज्य है। लेकिन जो मेरे जिले का हाल है मैं नहीं कह सकता किस तरह से वहां काम चलाया जाता है। वहां तो राम राज्य इस तरह से व्यापे हैं और यहां राम के नाम की प्रत्यक्ष मूर्ति बैठी है। मैं आशा करता हूं कि उस राम राज्य का स्वप्न जो गांधीजी ने देखा था, अगर माननीय राम मूर्ति जी थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे मेरे कहने पर नहीं, बल्कि माननीय गेंदासिंह ऐसे अनुभवी लोगों ने जो सलाह दी है, उनकी बात को मानकर इस संकल्प को मान लें। एक कठिनाई अवश्य मेरी समझ में आती है। उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है कि २५ प्रतिशत हो। मैं कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी को कठिनाई पैदा हो तो वह एक शुरुआत कर दें। उस प्रतिशत को २५–३० से कम करके उसका अनुभव करें। अगर लोगों को सीखने का मौका देना है, तो कुछ कम कर दें। परन्तु इस संकल्प को उनको अवश्य मान लेना चाहिये जो बहुत नेकनीयती से रखा गया है। जो प्रस्ताव सरकार की ओर से आना चाहिये था वह केवल इसलिये न माना जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से आया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अतः मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इसपर गंभीरता पूर्वक विचार करके इस प्रस्ताव को मानें।

एक बात मैं और कहूंगा। मैं वकील हूं और मैं समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार ५०० रु० का मुकदमा करने का अधिकार न्याय पंचायत को आपने दे दिया। मुझे ताज्जुब है, मैं कचेहरी में खड़ा होता हूं, उस मुंसिफ को जो वकालत पास है, उसको भी १०० रु० का मुकदमा

करने का अधिकार स्माल काज में नहीं दिया जाता है, जब तक कि कई वर्ष का उसे तजुर्बा नहीं हो जाता है। लेकिन यहां आपने न्याय पंचायतों को ५०० रु० का मुकदमा करने के लिये अधिकार दे रखा है। उस समय आपने ध्यान नहीं दिया कि ये लोग अयोग्य हैं। और आज आप उनको २००-४०० रुपया खर्च करने लायक नहीं समझते। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, तब तक वे कैसे सीखेंगे। जब गलती करेंगे, तभी अनुभव उठायेंगे। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वह तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। लिहाजा आप उनको मौका दीजिये और अगर वह गड़बड़ करें, तो उस अधिकार को छीन लीजिये। लेकिन इस समय तो इस संकल्प को आप मान लें।

श्री दीनदयाल करबरिया (जिला बांदा)--

अधिष्ठाता महोदय, यों तो मुझे बोलने का समय नहीं मिलता लेकिन आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस समय ग्राम सभाओं के बारे में जो विषय चल रहा है, और जो विरोधी दल की तरफ से पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि २०-३० प्रतिशत नहीं बल्कि ५० प्रतिशत ग्राम सभाओं को लगान का दिया जाय। यह जो यहां चमक दमक है, यह क्यों है। यह उस लैंड रेवेन्यू के कारण ही है जो किसानों से वसूल किया जाता है। आपने यह कानून बनाया कि छोटी विधान सभा गांवों में बनेगी लेकिन उसका आपने खयाल नहीं किया, उसके खर्चे का आपने कोई समाधान नहीं किया। हमने सन् ३० में कहा था कि अब राम राज्य आने को है और राम राज्य की स्थापना में गांवों में छोटी असेम्बली बनेंगी लेकिन उनको संचालित करने के लिये आपने धन का कोई प्रबन्ध नहीं किया। सर्वे गुणाकांचनमाश्रियंते। अगर किसी के पास कांचन नहीं है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। और इसको आपको करना चाहिये था चाहे आप सेन्टर से लाते, किसी से कर्जा लेते अथवा बड़े बड़े पूंजीपतियों से छीन कर लाते। यह बिलकुल सही बात है कि आप इसको कर सकते थे लेकिन उनकी मदद करने के बजाय हम उनका शोषण करते हैं और अनाप शनाप काम करते हैं। उनको भी टैक्स लगाने का अधिकार है, हल पर बैलों पर।

श्रीवास्तव साहब ने श्रमदान की बात कही। हम लोगों को आजकल डालडा खिलाया जा रहा है। अगर हमने श्रमदान किया तो हमारे शव का जलूस ही निकल जायगा इसलिये श्रमदान तो कठपुतली का खेल मालूम होता है। उससे कुछ होने वाला नहीं है। श्रमदान में मेरा कतई विश्वास नहीं है। आपने ग्राम सभाओं की स्थापना तो की लेकिन यह नहीं सोचा कि उनका गुजारा कैसे होगा। बाबू लाल जी श्रीवास्तव ने कहा कि राम मूर्ति जी के सामने राम राज्य में यह गड़बड़ी हो रही है। इसलिये मैं कहता हूं कि मालगुजारी का ५० प्रतिशत अंश उनको दिया जाय। समय बहुत कम है इसलिये मैं अपनी बात बहुत जल्दी ही खत्म करूंगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब आपने जनता से ऐसा वायदा किया था तो यह बहुत गंभीरता की बात हो जाती है। अगर हमें ग्राम सभाओं को रखना है तो उनको हमें अधिक रुपया देना ही होगा। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एक, दो गांवों में हमने किया लेकिन वहां बहुत गड़बड़ी हो गयी। यह गड़बड़ी क्यों हो गयी? इसका कारण यही है कि हमने उनके हृदय पटल को नहीं खोला। इसलिये यह कहना बिलकुल गलत है। आप अपने हृदय से इन इकाइयों को कुछ अंश दान देने का श्रेय लें। वहां पर धन की रक्षा वालंटियर्स के द्वारा डंडे से ही हो सकती है हम तो बुन्देलखंड के रहने वाले हैं और उस धन से यह विधान सभा की जो चमक दमक है वह वहां भी आ सकती है। आप चाहें कि श्रमदान से वहां सब कुछ हो जायगा तो यह तो एक सर्वांगीण विकास का केवल नारा ही है, उससे वहां कुछ होने वाला नहीं है, वह कागजों की गाथा तो हो सकती है लेकिन कार्यान्वित होने की बात नहीं हो सकती। काम तभी होगा जब --

"समुझ समुझ गुण ग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाव।
तुलसीदास अन्यास राम पद, पैहैं प्रेम पसाव।"

[श्री दीनदयाल करबरिया]

राम राज्य के लिये यह आवश्यक है कि आप उन ग्राम सभाओं पर विश्वास करें और उनको माल-गुजारी का भाग दें तो कल्याण होगा । केवल उस से काम नहीं चलेगा जैसे कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमें उन की तरफ हृदय से ध्यान देना होगा जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि अनायास ही रामपद प्रेम मिल जायगा और फिर इन ग्राम पंचायतों में भी इस भवन की सी चमक दमक आ जायगी । महात्मा गांधी का जो लक्ष्य था और जिससे हम आज कितने ही पीछे हट गये हैं अगर उस का मैं विवरण देने लगूं तो बड़ी कथा हो जायगी, इसलिये उस पर न जाकर मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसा श्रीवास्तव जी और श्री देवदत्त मिश्र ने कहा है कि उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये और मालगुजारी का एक निश्चित भाग मिलना चाहिये यह उचित ही है । इस असेम्बली के बाहर जो एक छोटा सा बच्चा अभी है उस को आपको दूध पिलाना होगा, उस को खिलाना होगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उनको मालगुजारी का कुछ प्रतिशत दे दें । तभी आपका बच्चा बड़ा होगा, लड़ेगा और समुत्थान के मार्ग पर आयेगा । वह चीन से लड़ रहा है और लड़ेगा और पाकिस्तान को पछाड़कर राम राज्य स्थापित करेगा और महान शक्ति शाली-बन सकेगा । मैं आशा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इन ग्राम सभाओं का समुत्थान होगा और उनका प्रभुत्व बढ़ेगा । यहां के लोग जो आज अमरीका और कैनाडा की बात सोचते हैं, यहां की नहीं सोचते कि हम भारतीय हैं, हमारी अपनी कल्चर है, हमारे यहां गंगा, जमुना, सरस्वती की पावन धारा बहती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को लेकर जब तमाम उपद्रव लोग यहां करते हैं तो दुख होता है, आज भी अंग्रेजों के पेंट सूट चल रहे हैं । मैं तो यह कहूंगा कि मुगल एम्पायर के जमाने में उर्दू भाषा चली और ब्रिटिश एम्पायर में अंग्रेजी भाषा चली लेकिन वह तो अब चले गये पर हम ने उन के गुणों को नहीं लिया, उन के अनाचार और भ्रष्टाचार को ले लिया । उनकी "भला दुख कहानी कहां तक सुनायें", लेकिन यह सन्तोष है कि यहां विधान सभा में लोगों की भाषा और वेशभूषा ठीक है, उन के कपड़े भी ठीक हैं, हिन्दी भी बोलते हैं और विरोधीपक्ष के लोग भी खद्दर पहनते हैं लेकिन जो दूसरे अफसर लोग टाई, सूट पहनते हैं उनके द्वारा इस देश का कल्याण नहीं हो सकता । ग्राम सभाओं के समुत्थान के लिये यदि आप ने कुछ ध्यान दिया और उन को कुछ भाग मालगुजारी का दिया तो हम निश्चय ही ग्राम सभाओं को मजबूत बना सकेंगे । हमें अपनी गंगा, जमुना, सरस्वती की संस्कृति पर विश्वास करना होगा, तभी हमारा कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है । इन शब्दों के साथ कि मालगुजारी का ५० प्रतिशत ग्रामसभाओं को दे दिया जाय, इस हर्षोल्लास में मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं ।

श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें जनतंत्र के ही अंग हैं । आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में एक बड़ा उत्साह मनाया गया कि पंचायत राज्य कायम हो गया, अब अधिक सुविधायें मिलेंगी । पर जिन मकसदों को ले कर इन ग्राम पंचायतों को बनाया गया उस से उतना भला नहीं हो पाया । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कुछ बातें माननीय मंत्री महोदय के सामने रख देना चाहता हूं, जिन्हें वे ध्यानपूर्वक सुन लें कि ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें आज किसके अधिकार में हैं । वे उन लोगों के ही अधिकार में हैं जो गांवों के सबसे बड़े पुराने तिकड़मबाज और जमींदार हैं, और जो ग्रामों में प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हीं के हाथों में हमारी ग्राम सभायें हैं । जिस तरह से पुराने जमाने में हमारे बड़े-बड़े जमींदार गांव के गरीब किसानों से बेगार लिया करते थे उसी प्रकार से आज के ये बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति अब उनसे बेगार लेने लगे हैं तथा उन गरीबों को अनेक प्रकार के मामलों में फंसाये रहते हैं । आज देखा जाता है कि गांवों में २ गोल बन गये हैं । जिस गोल का प्रधान चुन लिया जाता है वह दूसरे गोल के आदमियों का काफी दमन करता है, उन्हें दफा ११०, १०८ और १०९ में पुलिस द्वारा फंसाया जाता है । इनसे गांवों की समस्यायें जो हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है ।

दूसरी बात--गांव सभाओं और पंचायतों के जब चुनाव होते हैं और जो गोल जीत जाता है तो उस गोल के तिकड़म-बाज लोग दूसरे गोल के लोगों को दबाते हैं। इसलिये ग्राम सभायें अपने-अपने गांवों का विकास नहीं कर पाती हैं। विकास न होने का यही कारण है कि आपस में एक गोल दूसरे गोल से लड़ता रहता है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ग्रामों में इकन्नी या दुअन्नी टैक्स लगा हुआ है। अगर माननीय मंत्री जी इस इकन्नी और दुअन्नी के टैक्स के बल पर चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, गांवों में सड़कें बनें, नहरें बनें, रास्ते ठीक हों, सफाई हो तो एक, दो आने के टैक्स के बल पर नहीं हो सकता है। इसलिये सारे विकास के कार्यों के लिये सरकार को चाहिये कि १/४ हिस्सा लगान का ग्राम सभाओं को दे ताकि उस से नये-नये प्रकार के विकास, नये-नये प्रकार के उत्थान ग्रामों में किये जा सकें।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि गांव सभाओं के अन्दर जो गांव सभाओं की भूमि होती है, उस भूमि का रुपयोग वहां के जो प्रधान होते हैं, वे करते हैं। जो भूमि एक प्रकार से भूमिहीनों को दी जानी चाहिये थी उसे उन्हें न दे कर जीतने वाले पक्ष के लोग अपने पक्ष वालों को दे देते हैं। हमारे ग्राम गजपटापुर में एक प्रधान हैं। हमारे यहां पर चकबन्दी चल रही थी, उसके बाद ही जिस दल का ग्राम प्रधान था उसने सेक्रेटरी से मिल कर और लेखपाल के द्वारा पट्टे कर दिये जब कि ५२ का प्रकाशन गांव का नहीं हुआ था। उसके बारे में जो गांव की प्रबन्ध समिति बनाई गई है उसे कोई खबर नहीं दी गयी। जब उन कमेटियों को जानकारी हुई कि प्रधान पट्टा किये हैं तो उन्होंने जाकर दरख्वास्त दी। लेकिन अब तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की यह मैं नहीं बतला सकता। इस तरह से गांव की जमीनें भूमिहीनों को नहीं दी जाती हैं जिस से गांव की समस्या हल नहीं हो पाती है।

जब गांव सभायें बनायी गयी थीं तो मैं भी पंचायत का सदस्य रह चुका हूं। जब वे कायम की गयीं तो बड़ा उत्साह था और यह उम्मीद थी कि पंचायतराज्य कायम होगा तो गरीबों का मसला हल हो सकेगा। लोगों में लगन थी। मीटिंग में भी बराबर लोग जाया करते थे लेकिन इस समय जो प्रधान हैं वे सीधे-सीधे सेक्रेटरी से सम्पर्क किये हैं। अगर कोई भी मीटिंग होती है तो न डुग्गी बजायी जाती है, न सदस्यों को बतलाया जाता है। सेक्रेटरी साहब प्रधान के यहां आते हैं और प्रोग्राम बतला कर चले जाते हैं। उनकी लापरवाही इसलिये होती है कि सरकार की तरफ से उनको मान्यता नहीं दी गई है, जिस से वे लापरवाही से काम करते हैं। इसलिये सरकार उनको मान्यता दे ताकि वे अच्छी तरह से काम कर सकें।

अन्त में मेरे ये सुझाव हैं जिन पर सरकार ध्यान देगी। गांव समाज की भूमि भूमिहीन लोगों को दी जाय। दूसरे लगान का एक चौथाई गांव सभाओं को दिया जाय तभी गांवों का विकास हो सकेगा। तीसरे सेक्रेटरियों को सरकारी तौर पर मान्यता दी जाय ताकि वे अच्छी तरह से गांव सभाओं को चला सकें।

*श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, कल से सदन के समक्ष यह संकल्प प्रस्तुत है कि गांव सभायें जो मालगुजारी वसूल करें उसका कुछ भाग उनको दिया जाय जिस से गांव समाज उन्नति कर सके। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश का गांव उठता है तो हमारा देश उठता है, देश का उत्थान होता है। यह तो निश्चित मत है लेकिन मालगुजारी का कुछ हिस्सा उनको दिया जाय उससे गांव उठ सकेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये नहीं आती कि जब तक गांवों के लिये साधन मुहइया नहीं करेंगे, सड़कें नहीं बनायेंगे, बिजली नहीं पहुंचायेंगे, स्वास्थ्य का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक गांव का उत्थान नहीं हो सकता। आज दशा यह है कि गांव में जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसराम सिंह]

भले तथा मालदार आदमी हैं वे खुशीसे शहर में आते रहते हैं, इसलिये कि वहां यातायातके साधन, बिजली के साधन उपलब्ध नहीं हैं। जब इन सब की व्यवस्था विकास कार्यों के जरिये से गांव के प्रधानों ने नहीं की, उन कानूनों का, उन सुविधाओं का पूरा फायदा नहीं उठाया तो मालगुजारी का कुछ हिस्सा गांव सभाओं को दे दें और सरकार इस बात को मान ले तो उस से गांवों के आने-जाने के साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती है। गांवों में चिकित्सालय नहीं खुल सकते हैं, बिजली नहीं पहुंच सकती है और सिंचाई के साधन नहीं हो सकते हैं। जब तक इन बातों का इन्तजाम नहीं करते हैं तब तक गांवों का उत्थान नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि हम प्रत्येक गांव को किसी सड़क से जोड़ दें। आज आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाई होती है, उसके लिये मालगुजारी का कुछ हिस्सा देने से सड़कें नहीं बन सकती हैं। मेरा निवेदन यह है कि बजट का बहुत बड़ा भाग इस बात पर ले आयें कि गांवों में आने-जाने के लिये सड़कें बनायी जायें और अन्य सुविधायें दी जायं तो मैं समझता हूं कि इससे गांवों का विकास होगा और गांवों की उन्नति होगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

राजस्व का भाग मांग रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मालगुजारी का हिस्सा मांग रहे हैं।

श्री जसरामसिंह--

मालगुजारी से आप रुपया चाहते हैं। तो हम टैक्स दें या मालगुजारी से हिस्सा दें और उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं तो बहुत से प्रधान ऐसे हैं जो इसको लेना भी नहीं चाहते हैं। यदि उनको दें तो इससे बचना चाहते हैं। जितना आज गांव सभायें टैक्स लेती हैं उसी का सदुपयोग नहीं होता है। बहुत से गांवों में खरंजे बने हुये हैं, बिजली है और अस्पताल भी हैं लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं हैं क्योंकि आने जाने के साधन नहीं हैं। जब तक आप लोग प्रत्येक गांव को सड़क के किनारे पर करने के लिये जोर नहीं देंगे, आने जाने के साधन और सुविधायें नहीं दे पायेंगे, तब तक देश का और गांवों का उत्थान नहीं हो सकता है। आज देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है तो कौन नहीं चाहता है कि उनका उत्थान हो? उसका एक ही तरीका है और वह यह कि जो हमारी विकास योजनायें बनी हुयी हैं, उनके जरिये से हम गांवों का उत्थान करना चाहते हैं, देश का निर्माण करना चाहते हैं। सरकार इन योजनाओं के अन्तर्गत गांवों का उत्थान करना चाहती है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि मालगुजारी से कुछ हिस्सा देने से गांवों का उत्थान हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

एक बात बता दें कि आपने कहा कि टैक्सों का प्रतिशत दिया जा रहा है, तो कौन सा हिस्सा दिया जा रहा है?

श्री जसरामसिंह--

श्रीमन्, गांव सभायें जो टैक्स लगाती हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह मतलब नहीं है बल्कि सरकार जो टैक्स लगाती है।

श्री जसरामसिंह--

वह तो श्रीमन्, प्लानिंग के जरिये जा रहा है। आप देखें कि गांव में सिंचाई के कुवें बन रहे हैं और विकास कार्य हो रहे हैं और देहात में हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहा है? बिजली नहीं पहुंच

रही है, विकास के लिये सिंचाई के साधन नहीं किये जा रहे हैं ? ये सारे कार्य टैक्सों से ही तो होते हैं। सरकार के पास पैसा कहां से आता है ? सारा हिस्सा प्लान का देहातों में खर्च हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि गांवों का उत्थान हो । एक भाई जिक्र कर रहे थे कि गांव सभाओं को ५०० रु० तक बिक्री करने का अधिकार दिया गया है, उसका भी दुरुपयोग हुआ है। गांव सभाओं का उत्थान होना चाहिये लेकिन उसकी कुछ सीमा निर्धारित होनी चाहिये।

श्रमदान की बात कही गयी—श्रम दान लोग करा लेते हैं और उसके धन को ले लेते हैं। तो कितना दुरुपयोग आज ग्राम सभायें अपने धन और अधिकारों का कर रही हैं और आप सबके समक्ष यह सब बातें हैं। इसलिये इस मालगुजारी—लगान का कुछ भाग ग्राम सभाओं को देने से गांवों का कोई उत्थान नहीं हो सकता है। यह योजनाओं के तरीके से ही होगा जब हम सड़कों का ऐसा प्रबन्ध करें कि हर गांव के किनारे सड़क हो और बिजली का विकास हम कर पावें।

*श्री ब्रह्मदत्त सायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो रेज्योलूशन इस सदन के समक्ष है, मैं उसका विरोध ही नहीं घोर विरोध करता हूं। वह इसलिये कि जब मांगने वाला पैसा मांगता है तो देने वाला आधा पैसा देगा और जब उससे कुछ ही मांगा गया तो वह क्यों देगा। आप कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू में से कुछ प्रतिशत दे दिया जाये। कभी आपने यह भी कोशिश की है कि २५७ करोड़ के बजट के अन्दर लैंड रेवेन्यू का है कितना ? वह २२ करोड़ है और यदि वह २२ करोड़ न लिया जाय तो यहां पर क्या अन्तर पड़ जायगा। अगर वह २२ करोड़, जिसके लिये इतनी चर्चा है, जिसे हासिल करने के लिये इतना प्रयत्न किया जाता है और जिसे इकट्ठा करने के लिये इतना धन व्यय किया जाता है, यदि वह सारे का सारा पंचायतों के हवाले कर दिया जाय तो पंचायत को क्या आपत्ति है और लेने वाले को क्या आपत्ति है ? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने गांव पंचायतों को एक इकाई मान लिया, २२ करोड़ रुपया सिर्फ आपने २५७ करोड़ रुपये के बजट के अन्दर साल भर की मेहनत के बाद, लोगों को हवालात और जेलों में बन्द करने के बाद, वसूल किया तो कौनसा प्रतिशत उसमें से आप चाहते हैं जिस से ८० फीसदी आबादी पंचायतों की सुखी हो पायेगी। मेरा कहना तो यह है कि आप पहले तो गांवों से रुपया इकट्ठा करने में धन व्यय करते हैं, उसका कुछ रुपया वापस पहुंचाने में आप धन व्यय करते हैं। हजार रुपया यदि किसी गांव का वसूल होता है तो कम से कम २००–२५० उसकी वसूली करने में खर्च हो जाता है और भिन्न-भिन्न तरीकों से जिस वक्त प्लानिंग की ओर दूसरी मदों के अन्दर वह वापस गांवों में पहुंचाया जाता है तो उससे करीब ५० फीसदी रुपया ऐसे हाथों में पहुंच जाता है जहां नहीं जाना चाहिये, वह रिश्वत के तौर पर स्टैम्प के तौर पर, दरख्वास्त वगैरह में और सबसे बढ़ कर बैंक से चेक लेने में गलत हाथों में पहुंच जाता है। बैंक से चेक लेने में उस वक्त जो कठिनाई गांव वालों को उठानी पड़ती है, वह ऐसी दुःखद कहानी है, जिसमें काफी परेशानी के साथ-साथ काफी रुपया खर्च करने के बाद थोड़ा रुपया गांवों तक पहुंच पाता है। इन सारी कठिनाइयों और रुकावटों का हाल यदि सरकार ढूंढना चाहती तो उसका एक ही हल है कि जितना रुपया लैंड रेवेन्यू का किसी गांव पंचायत के अन्दर से वसूल हो वह सारे का सारा वहीं की गांव पंचायत के पास रहने दिया जाये।

श्रीमन्, आप भली भांति जानते हैं कि गांव की आज क्या हालत है, बावजूद इसके कि सरकार प्रयत्न करती आई है कि खेती की उपज बढ़े, नहरों का पानी उनके खेतों तक पहुंचे, बिजली का इन्तजाम हो जिस से ट्यूबवैल चल सकें, शिक्षा का प्रसार हो, और खेतीहर मजदूर की आमदनी भी बढ़े। इन तमाम बातों पर जिस वक्त आप धन व्यय करते हैं, तो इनमें जितना परसेन्टेज गलत हाथों में पहुंच जाता है वह रुक जायेगा यदि यह व्यवस्था हो जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि उनके हाथ में अपने धन के खर्च का प्राविधान होगा तो वह उसे अपने ढंग से अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपना निजी समझकर खर्च करेंगे। वह सोचेंगे कि हमें कौन सा कुआं, कौन सा बाजार और कौनसा ट्यूबवैल अपनी जरूरत के अनुसार इस वर्ष के अन्दर बनवाना है या इस मास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

के अन्दर बनवाना है या तिमाही के अन्दर बनवाना है और इसी प्रकार से वह अपनी जरूरत की चीजों पर धन खर्च करेगी, उन पर कोई बाइंडिंग और शर्त तनिक भी नहीं होगी।

तो श्रीमन्, वह अपने घरों को दुरुस्त करने के लिये, बजाय इसके कि वह अधिकारियों की तरफ देखते रहें, रुपया पा जावें क्योंकि मिलने में जितनी कठिनाइयां होती हैं उनका वर्णन नित्यप्रति सदन में होता है, तो रुपया वहां रहने दिया जाय और वह वहां के विकास पर व्यय हो। इसके अलावा दो दूसरे साधन हैं, जितने प्रयत्न सरकार की ओर से होते हैं वह सब उसके अलावा उन लोगों तक पहुंचे, नकदी के शकल में नहीं, जो जो सामान की जरूरत है उनको दिये जायं। मैं विकास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ट्रैक्टर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट टु गवर्नमेंट, बहुत कम कीमत पर आ रहे हैं अगर प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर जोर डाले और हर एक गांव पंचायत को इकाई मानकर उनके पास दो ट्रैक्टर्स दे दिये जायं गिफ्ट के तौर पर ताकि वह गांव पंचायत की सम्पत्ति हो जायं और गांव पंचायत के अन्दर जो धरती है उसको कोआपरेटिव बना कर सब की जुताई हो जाय तो पैदावार ज्यादा हो सकती है, आमदनी हो सकती है और देश का कल्याण भी हो सकता है। वह पंचायतें स्कूलों का विस्तार भी कर सकती हैं और जितनी मुकदमेबाजी हो रही है उनका भी इंतजाम वहीं वे कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त तो सवाल सिर्फ लैंड रेवेन्यू का है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं कि कुछ प्रतिशत न हो करके शत प्रतिशत पंचायतों के पास रहने दिया जाय ताकि वे लोग अपने रुपये का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है।

*श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज अभी हमारी गांव सभायें इस स्थिति में नहीं हैं कि हम उनको मालगुजारी का एक हिस्सा दें ताकि वे अपना विकास उससे कर सकें। होता यह है कि गांव सभाओं को जो अधिकार प्राप्त हैं उनका भी ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। गांव सभाओं का अधिकार दिया गया है कि जो भूमि उनके पास बची हुई है, फालतू है वह भूमिहीनों में वितरित की जाय लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि वह भूमिहीन कृषकों को न दी जा कर ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें नहीं दी जानी चाहिये।

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें है कि मालगुजारी का एक हिस्सा, एक प्रतिशत, गांव सभाओं को निश्चित कर दिया जाय और यदि वह कर दिया जाता है तो जो गांव सभा धनी हैं वह और धनी हो जायेंगी और जो गरीब ग्राम सभायें हैं वह और गरीब बन जायेंगी। स्थिति यह है कि कुछ गांव सभायें तो ऐसी हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है। और उनकी आबादी बहुत कम है। दूसरी ओर कुछ गांव सभायें ऐसी हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा है। तो अगर मालगुजारी का प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाता है तो एक ओर तो कम आमदनी वाली गांव सभायें, जिनकी आबादी ज्यादा है वह अपनी तरक्की नहीं कर पायेंगी जितनी कि ज्यादा आमदनी वाली और कम आबादी वाली कर पायेंगी। आज स्थिति यह है कि सरकार के पास मालगुजारी के रूप में तथा टैक्स के रूप में जो धनराशि पहुंचती है उसका उपयोग सरकार यह देखते हुये कि कहां पर कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार गांव के विकास में और ब्लाक के विकास में लगाती है। सरकार का काम उसी तरीके का है जिस तरीके से बादल समुन्दर से, नदी से या तालाब से पानी ले कर फिर भूमि पर बरसते हैं लेकिन बादल जो पानी बरसाते हैं उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वह बिना इस बात को देखते हुये कि कहां पर कितनी आवश्यकता है, बरसाते हैं। सरकार के पास जो आय मालगुजारी या टैक्स के रूप में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आती है वह उसका उपयोग यह देख कर कि कहां कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से करती है। अगर मालगुजारी, जो हमारी बड़ी आमदनी है, उसका हिस्सा गांव सभाओं के लिये निश्चित कर दिया जाता है तो गांवों के अन्दर गांव सभायें सारा विकास कर लेंगी लेकिन एक गांव, दूसरे गांव और ब्लाक की जो समस्यायें हैं वह कैसे हल होंगी। जो सड़क एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती है या जो अस्पताल पूरे ब्लाक को लाभ पहुंचाने वाले हैं उनके लिये क्या होगा। श्रीमन्, हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होना चाहिये। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिये कि गांव में खरंजा लग जाय या सड़क बन जाय। हमें तो पूरे देश और प्रदेश को देखना चाहिये। जैसे-जैसे हमारा देश विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारे यहां बिजली फैलेगी, हमारे यहां अस्पताल और सड़कें बनेंगी, बांध बनेंगे जिनके लिये धन की आवश्यकता है वैसे-वैसे गांव अपने आप विकसित होते जायेंगे। इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का विरोध करता हूं।

*श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प आज सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है इसे देख कर मुझे खेद हुआ कि यह संकल्प इतनी देर से क्यों आया? आखिर हमारी स्वतंत्रता को प्राप्त किये अरसा हो गया है और जितने भी हमारे सेनानी रहे हैं इस देश में उन सब ने सर्वप्रथम गांवों की तरफ संकेत किया है कि देहात हमारे बहुत पिछड़े हुये हैं और इस मुल्क में और इस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आबादी गांवों में है। आखिर गांव की तरक्की का कौन सा साधन है, कौन सी आमदनियां हैं? जहां तक आपका पार्लियामेंटरी सिस्टम है उसमें असेम्बली और गांव-सभाओं का एक रिश्ता है। असेम्बली में जितना बजट, जितना पैसा और अनुदान आप चाहते हैं और खर्च करते हैं उसमें ग्राम सभा को कौन सा हिस्सा देते हैं, यह आज तक इस हाउस ने तय नहीं किया। आज गांव का एक गरीब आदमी महसूस नहीं कर सका है कि हम आजादी में आये हैं या नहीं। उनके हालात में, रहन-सहन में, मनोबल में कोई अन्तर नहीं पड़ा। पहले यहां जमींदारी सिस्टम था। जमींदार लगान की वसूली में उतना ही पैसा वसूल करते थे जितना कि आज सरकार लेती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब तो लगान चौगुना हो गया। पहले ७ करोड़ था, अब २८ करोड़ हो गया।

श्री बाबूसिंह--

जी हां। करीब २२ करोड़ ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप गांव की और काश्तकारों की उन्नति के लिये कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं और कौन सा धन दे रहे हैं? हकीकत यह है कि जब २५७ करोड़ का बजट इस हाउस के सामने है, २०-२५ करोड़ रुपये के करीब गरीब गांवों से वसूल किया जाता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका अलग से है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह पर कितना पैसा खर्च होता है, अगर इस सारी आमदनी को ध्यान में रखकर लगान और उसका कुछ हिस्सा गांव सभा द्वारा वसूली का आदेश दे देती कि वह वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करें तो गांव का कितना मनोबल ऊंचा होता?

जमींदारी खात्मे के बाद हमारे यहां तो अलग अलग लोग अन्दाज लगाते हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े जमींदार हैं। मैं जानता हूं कि उनका मुनाफा १ लाख, ७०-८० हजार का था लेकिन वह जमींदार अपना पूरा साल नहीं निभा पाते थे और बोहरे से कर्ज लिया करते थे और मैनेजरों को बदला करते थे। लेकिन जमींदारी खत्म होने के बाद जो सत्ता पर आज पदासीन हैं उनका यह अजीब हाल है कि वह दौलत भी इकट्ठी कर रहे हैं और कुर्सियों पर भी आसीन हैं। उसूल तो यह था पहले कि जिनके पास दौलत होती थी उनके पास शासन नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूसिंह]

होता था, उनके पास शासन नहीं होता था और जिनके पास शासन होता था उनके पास दौलत नहीं होती थी, क्योंकि शासन और दौलत का जोड़ नहीं मिलता । लेकिन आज जो धन संचय करने की मनोवृत्ति है यह पूंजीपति वर्ग को उभारने का तरीका है आज कानपुर के मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया बिजली टैक्स, पानी टैक्स और सेल्स टैक्स इत्यादि के रूप में शहरों में पड़ा हुआ है, वह रुपया जोकि गांव के किसानों की गाढ़ी कमाई का है, लेकिन उनसे वसूल होने का कोई उपाय नहीं है, सरकार उसमें फेल हो चुकी है ।

अब गांव की वसूली का तरीका देखें । यह २२ या २८ करोड़ रुपया गरीबों से १०–१०,५–५, ३–३ रुपया करके लगान के रूप में वसूल होता है । आप किसी साल में बताइये कि किस गांव में कभी ५०–१०० रुपया भी बाकी रहे होंगे । अगर २ और ३ रुपये का भी लगान बाकी हो तो काश्तकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हवालात में बन्द कर दिया जाता है । जब तक लगान की वसूली नहीं हो जाती वह छुटकारा नहीं पा सकता । तो मेरा मकसद यह है कि अगर गांव के मनोबल को आपको ऊंचा करना है, गांव में आजादी की विचारधारा को पैदा करना है, तो उनको कुछ अधिकार देने होंगे । कुछ प्रतिशत उनको देना पड़ेगा । वह जो प्रतिशत आप चाहें मुकर्रर कर दें ।

इसके अलावा, श्रीमन् , आप जानते हैं कि गांव के प्रधान के ऊपर क्या क्या मुसीबतें आती हैं । मैं प्रधान हूं, मैं उसको जानता हूं । एक बार एक प्रधान किसी के यहां खाना खाने गये, वहां नायब तहसीलदार भी थे । वहां उनसे किसी ने शिकायत कर दी कि वह प्रधान खराब है । तो उसी वक्त उन्होंने वरवल आर्डर दे दिये कि वह चार्ज दूसरे को दे दे । उस प्रधान ने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा तुम मेरे साथ चलो, उसे यह हुक्म देने का क्या अधिकार है । तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार काफी परेशान करते है और प्रधान को कुछ समझते ही नहीं । आप रोज देखते हैं पुलिस के अत्याचार होते हैं, और भी घटनायें होती हैं, गांव का प्रधान अगर कोई रिपोट करता है तो उस पर ऐक्शन नहीं लिया जाता । यदि पटवारी कोई रिपोर्ट करता है तो उस पर पहले ध्यान दिया जाता है । एक बार गांव सभा की जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया । उसन तहसीलदार से रिपोर्ट की । तहसीलदार उनसे कहने लगा तुम्हें यह रिपोर्ट करने की क्या जरूरत थी । तो यह हालत है आजकल गांव में प्रधानों को । उनको कोई अधिकार ही नहीं है । उनकी कोई सुनता ही नहीं । रेवेन्यू अधिकारी और आपके विभाग के अधिकारी प्रधान को कुछ करने ही नहीं देते । इसलिये जरूरी है कि तहसीलदार और डिप्टियों के फौलादी कब्जे से इन प्रधानों को निकाल कर उनको अधिकार दिये जायें । आज गांव प्रधान की कोई हैसियत नहीं है । फिर वह किस प्रकार से अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सकते हैं । कोई भी तरक्की का काम वे नहीं करा सकते ।

यह कहा गया कि वे खर्चा गलत तरीके से करने लगेंगे । जहां तक खर्चे का सवाल है, आपके ही डिपार्टमेंट का रोज आडिट होता है और उसमें कितना नाजायज खर्चा होता है । आपके ही विभाग में कितना नाजायज खर्चा होता है । कितना पैसा आप गांव सभाओं को देंगे ? आप उनका हिसाब किताब ठीक तरह से करिये, नाजायज खर्चा नहीं हो पायेगा । अगर कोई, प्रधान नाजायज खर्च करता है तो उसके लिये आप प्रतिबन्ध लगाइये ।

५–६ साल पहले गांव सभाओं को स्कूलों के लिये सरकार द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता था अब वह भी बन्द कर दिया गया है । आज गांव के अन्दर गांव के बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं । मास्टरों के रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं होता । मास्टरों को ५–६ मील से आना पड़ता है । मास्टर चाहते हैं कि जहां स्कूल हो वहीं उनको रहने के लिये कोई कोठरी आदि मिल जाय । ऐसे बहुत कम गांव सम्पन्न होते हैं जिनके परिवार के पास रहने के

अलावा कोई मकान होता है । इसलिये आप ऐसा कानून बनाइये कि जो रुपया आप माल विभाग से देंगे उसको इस प्रकार से खर्च किया जायेगा, इस तरह से वसूल किया जायेगा । उसके अनुसार वे कार्य करेंगी ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

आज गांव पंचायतों का कार्य बड़ा अधूरा चल रहा है । जब आप उनको कुछ अधिकार देंगे और नियम आदि बनायेंगे तो वहां का काम भी ठीक प्रकार से चलेगा । चुनाव में भी ठीक व्यक्ति आ सकेंगे । जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा वही चुनाव में खड़ा हो सकेगा । टैक्स की वजह से अच्छे लोग रह जाते हैं । यह टैक्स बेकार है । उसकी वसूलयाबी के लिये झगड़े होते हैं । मेरा सुझाव है कि गांव सभा के टैक्स बिलकुल खत्म कर दिये जावें ।

जब तक कोई अपने क्षेत्र की सेवा नहीं करेगा तब तक उसे कोई वोट कैसे दे देगा ? या किसी नुमाइन्दे के लिये कौन वोट दे देगा ? गांव की छोटी इकाई में प्रधान भी चीफ मिनिस्टर है वहां का । गांव में पटवारी और थानेदार लूट करते हैं लेकिन प्रधान उनसे यह नहीं कह सकता कि तुम रिश्वत क्यों लेते हो । इसलिये आवश्यक हो जाता है कि प्रधान को कुछ अधिकार दिये जायें और उसकी शिकायत की जांच बी० डी० ओ० के जरिये हो । इससे गांव के प्रधान का मनोबल ऊंचा होगा उसकी इज्जत बढ़ेगी और गांव सभा में वह काम करने में कामयाब होगा ।

ब्लाक में आप पंचों और प्रधानों की एक ऐसी समिति बना दें जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किया करे ।

आज प्रधान की शिकायत पर कोई अफसर अमल नहीं करता है और प्रधान बेचारा मायूस बना बैठा रहता है । आज गांव के प्रधान को सिफारिश पर सीमेंट तक नहीं मिलता है । अंधा बांटे रेवड़ी, फिर फिर अपने को देय । एम० एल एज की सिफारिश पर और कुछ मंत्री जी की सिफारिश पर मिल जाता है लेकिन गांव के प्रधान की वहां भी कोई हैसियत नहीं है । अगर आप गांवों में कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं तो लगान का कुछ हिस्सा देकर और उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर गांव के प्रधान का मनोबल ऊंचा करें । इससे गांवों की उन्नति हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ में इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेंद्रसिंह—

मेरा प्रस्ताव है कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो एक स्पीचेज और हो जाने दीजिये ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव की भाषा को निरर्थक प्रस्ताव समझता हूं । यह प्रस्ताव आज की हालत में कोई अर्थ नहीं रखता है । मायरजी ने सही कहा कि इस प्रदेश के बजट में लैन्ड रेवेन्यू के हिस्सेको देखते हुए और गांव सभाओं की बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए यह प्रस्ताव आवश्यक नहीं है । इसलिये भी मैं इस संकल्प को निरर्थक समझता हूं कि इसमें कहा गया है कि कुछ अंश दे दिया जाय । कुछ अंश के क्या अर्थ हैं, इसे न तो, प्रस्तावक महोदय ने साफ किया है और न मंत्री जी ने । वह ९९ परसेंट भी हो सकता है और १ परसेंट भी हो

[श्री कल्पनाथसिंह]

सकता है । अगर यह मान लिया जाय कि १ या २ परसेंट या कुछ परसेंटेज बना दिया जाय और कहा जाय कि लैन्ड रेवेन्यू में गांव सभा का हिस्सा हो, तब यह सवाल पैदा होता है कि दूसरे अनुदान जो गांव सभाओं को दिये जाते हैं वे दिये जावें या नहीं । आज गांव सभाओं की जिम्मेदारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । उनके प्लानिंग के काम बढ़ते जा रहे हैं । जिम्मेदारी कर्त्तव्य से संबंधित होती है । गांव सभाओं को कर्त्तव्य सिखाने के बजाय अगर महज उनको यह कह दिया जाय कि तुम्हारे अधिकार यह हैं, तो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी की चर्चा की जाय । आज गांव सभाओं की हालत क्या है ? वहां जिस प्रकार गुटबाजी को प्रश्रय मिल रहा है उसे देखते हुए आज गांव सभापतियों के लिये मुश्किल हो रहा है कि जो लगान वसूली की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी जाती है, या तो वे उससे भाग खड़े होते हैं या उसे उस हद तक पूरा नहीं कर पाते जिस हद तक करनी चाहिये । माननीय मंत्री या प्रस्तावक महोदय इसमें मेरी जानकारी बढ़ाने में मदद करेंगे ।

गांव सभाओं को जो छोटे-छोटे ठेके होते हैं उन्हें भी लने का अधिकार दिया गया है । आर०एम० पी० का तो सारे का सारा काम ही गांव सभाओं के माध्यम से होता है । लेकिन गांव सभाओं को उसका काम करने में कितनी दिलचस्पी है उसे वे माननीय सदस्य जानते होंगे जिनके इलाके में आर०एम०पी० का काम चल रहा है । गांव सभाओं की बैठक के बाद एक टीम लीडर का चुनाव होना चाहिये । चाहे प्रधान की काम करने की रुचि हो या नहीं, गांव वाले सीधे-सीधे उसके जिम्मे थोप देते हैं कि चाचा, तुम ही इस काम को कर लो । या कुछ लोगों को जो ठेकेदारी की मनोवृत्ति रखते हैं उनको गांव वाले और गांव प्रधान कह देते हैं कि उनके जिम्मे यह काम कर दिया जाय। काम किसी को भी दिया जाय, लेकिन वह गांव सभाओं की आय का एक अच्छा स्रोत है । मेरा खयाल है कि डेवलपमेंट कमिश्नर के एक जी०ओ० के माध्यम से आर्डर निकाला है कि गांव सभाओं के माध्यम से जितना पेमेंट होगा उसका एक निश्चित प्रतिशत गांव सभा को मिलेगा । लेकिन शायद ही कुछ ऐसी गांव सभायें हों जिनको उसका निश्चित प्रतिशत मिला हो, और जो उसे दरअसल अच्छे ढंग से इस्तेमाल किये हों । इस बात को सिद्धांततः मैं मानता हूं कि गांव सभाओं के विकास के कार्यों को चलाने के लिये और प्रजातांत्रिक इकाई में अच्छे ढंग से काम करने के लिये पैसे की आवश्यकता है । लेकिन उस पैसे की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाय इस बात पर भी विचार करने की तकलीफ गवारा फरमानी चाहिये । आज अगर सीध-सीधे यह तरीका अख्तियार कर लिया जाय कि गांव सभाओं को रुपया इस तरह से मालगुजारी की शक्ल में मिलेगा तो वहां एक दिक्कत और हो जायगी । मान लीजिये कि कोई आबादी के लिहाज से बड़ी गांव सभा है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से वह छोटी गांव सभा है, जैसा कि पूरब के जिलों में अमूमन होता है । तो ऐसी गांव सभाओं को इस प्रकार से यदि रुपया दिया जायगा तो उनका हिस्सा दूसरी गांव सभाओं से कम पड़ जायेगा । इस प्रकार जो सरकारी अनुदान की शक्ल में पैसा जाता है गांव सभाओं को, उसका ही ठीक ढंग से इस्तेमाल पहले कराया जाय, उनकी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन करने में माननीय सदस्य भी हिस्सा लें तो मेरा खयाल है कि धीरे धीरे हम उस दिशा की ओर बढ़ेंगे जिस दिशा में जाकर पंचायती राज की कल्पना साकार होगी । लेकिन पंचायतीराज की सही कल्पना को, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की कल्पना को साकार बनाने की तरफ यह संकल्प नहीं जाता क्योंकि यह आज की परिस्थितियों में असामयिक है । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आज प्रस्तावक महोदय स्वयं अपने दिमाग में साफ हों कि आखिर उनकी मंशा क्या है ? अगर केवल प्रतीक के तौर पर वह चाहते हैं कि गांव सभाओं को हिस्सा मालगुजारी या लगान में मिलना चाहिये तो मैं समझता हूं कि वह प्रतीक की शक्ल में मिलने से कोई बात बनने वाली नहीं है । हां, इतनी बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि गांव सभाओं को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना को सही रूप में चलाने के लिये उनकी आमदनी के स्रोतों को जरूर बढ़ाना पड़ेगा । उन स्रोतों में हो सकता है कि यह भी एक स्रोत आगे चलकर निकले । लेकिन आज की परिस्थिति में यह संकल्प उचित नहीं है ।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आया है वह कुछ समझ में नहीं आता । एक उसूल निर्धारित होना चाहिये । सवाल यह पैदा होता है कि हम यह जो एक अंश मालगुजारी का गांव सभा को देना चाहते हैं उसके पीछे उसूल क्या है और उसी उसूल के पीछे हमें काम करना चाहिये और उसी को मद्देनजर रखकर हमको पूरी समस्या के बारे में सोचना चाहिये । यह बात समझ में नहीं आयी कि आखिर यह जो हमारे प्रस्तावक महोदय हैं, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वह जो प्रस्ताव लाये हैं उनकी मंशा क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, जब मनुष्य की प्रगति हुई और वह एक गांव की शक्ल में रहने लगा, छोटे-छोटे गांव बसे, तब गांवों की रिपब्लिक्स बनीं और गांव समाज की हुई । यह एक उसूल है । जब स्वराज्य मिला तो गांधी जी ने भी इस उसूल को कार्यान्वित करना चाहा । उन्होंने कहा कि स्वराज्य अदना से अदना आदमी के दरवाजे तक ले जाओ और स्वराज्य जो मिला है उसको देश के हर आदमी को महसूस कराओ, हर आदमी को उसका हिस्सेदार बनाओ और उसको चलाने में उसे शामिल करो । इसीलिये विलेज रिपब्लिक्स की आइडिया को कार्यान्वित करने के लिये गांव पंचायतों की स्थापना की प्रेरणा उन्होंने दी और उसीके मातहत गांव पंचायतें बनीं । लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है जब हम यहां बैठते हैं तो इन विधान सभाओं के लिये तो हम यह समझते हैं कि यह जिम्मेदार हैं, ये सब काम कर सकती हैं, २५७ करोड़ के बजट को अच्छी तरह से चला सकती हैं, विभिन्न विभागों के कार्य करा सकती हैं तथा राज्य की जो भी कार्यवाहियां होती हैं उनको अच्छी तरह से संचालन कर सकती हैं, लेकिन वही विचारधारा हम उन आदमियों के लिये कार्यान्वित करने के लिये तैयार नहीं हैं जिन्होंने हमें चुन कर भेजा है या जिनके लिये गांव पंचायतें बनायी गयी हैं । जब गांव पंचायतों का सवाल आता है तो हम यह सोचते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, वे काम नहीं संभाल सकेंगे या और भी बहुत सी बातें सोचते हैं, तो इससे समाज का काम नहीं चलने वाला है । या तो हम जिम्मेदारी दें या जिम्मेदारी न दें, लेकिन यह कि जिम्मेदारी दे दें और उसे दूसरे हाथ से ले लें, तो यह गलत बात है । हमने गांव पंचायतें बनायीं और इसलिये बनायीं कि हम गांधी के उन उसूलों को कार्यान्वित करना चाहते थे कि स्वराज्य गाँव-गांव में पहुंचे । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख क साथ कहना पड़ता है कि आज गांव के रहने वालों को यह महसूस नहीं होता कि इस देश में स्वराज्य हो गया है । गांव का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी अपने कलेजे पर हाथ रख कर इस बात को नहीं कह सकता है कि उसके लिये स्वराज्य हुआ है । अगर कोई स्वराज्य देखना है तो उसे लखनऊ और दिल्ली में देखा जा सकता है । यह बात मुझे बहुत दुख के साथ कहनी पड़ती है, लेकिन यह बात सही है । हम भले ही इससे इंकार करें और शुतुर्मुर्ग की तरह से रेत में अपनी आंखें बन्द कर लें, लेकिन वास्तविकता यही है कि स्वराज्य अभी तक गांव-गांव और घर-घर तक नहीं पहुंचा है ।

मिश्र में जब नासिर की अध्यक्षता में स्वराज्य आया तो सबसे पहले उसने दो काम किये । एक तो चावल की मिलों का राष्ट्रीयकरण किया और दूसरे बेकरीज यानी रोटी बनाने के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में घर-घर में रोटी, ईंधन की कमी की वजह से नहीं पकती है । इस तरह से सबसे पहला काम उसने यह इसलिये किया कि इजिप्ट के लोगों को सस्ती रोटी मिल सके और इस तरह से वहां के हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उनको स्वराज्य मिला है । लेकिन आज अपने इस देश में इस तरह की कोई चीज हम नहीं कर सके हैं । यह केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिये मैं कहता हूं कि इस देश के हर हिस्से के अन्दर स्वराज्य गरीब आदमियों तक नहीं पहुंच सका है जिसके लिये गांधी जी सतत प्रयास और प्रयत्न करते रहे । स्वराज्य गरीब आदमियों तक पहुंचाने में आप विफल रहे हैं । तो यह तो प्रस्ताव आया है कि यह हाफ हार्टेड है । मैं अपने लायक दोस्त श्री मायर साहब की इस बात से सहमत हूं कि हमें सारा लैंड रेवेन्यू गांवों में दे देना चाहिये । यह कोई बहुत बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवानसहाय]

रकम नहीं है । शायद २२ या २४ करोड़ रुपये की रकम है और उसके वसूल करने में तथा उसके मुकदमें तय करने में, उसके संगठन बनाने में ३ करोड़ रुपये और खर्च हो जाते हैं । फिर ईयर टु ईयर जो बैंक डेट देना होता है उसकी तादाद भी दो तीन करोड़ हो जाती है, फिर कुछ रुपये उनको हम अनुदान की शक्ल में दे देते हैं, कुछ लगान माफी आदि भी कर देते हैं । इस तरह से करीब ७–८ करोड़ की रकम हो जाती है । ठीक फिगर तो मुझे मालूम नहीं है, उसे वर्क आउट करना पड़ेगा । इस तरह से इस सरकार को करीब १५–१६ करोड़ रुपये बांटने हैं । लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि गांव का रहने वाला हर किसान इस बात को साइकोलाजिकली महसूस करेगा कि स्वराज्य उसके दरवाजे तक आ गया है । इसका नतीजा यह होगा कि देश की जनता में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आयेगा और उसकी विचारधारा में बड़ी भारी क्रांति आयेगी, और बहुत से मसले जो आप पहले उसके ऊपर लाद दिया करते थे, वे आपको नहीं करने पड़ेंगे, वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगेंगे । हो सकता है कि कहीं पर गलती हो । लेकिन जब जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो आदमी जिम्मेदार हो जाता है । अंग्रेज हमेशा कहा करता था कि हम हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं । उसने कभी नहीं कहा कि स्वराज्य आपका हक नहीं है । उसने यही कहा कि आप स्वराज्य के अहल नहीं हैं । आपके काबिलियत नहीं है कि आप स्वराज्य ले सकें । और यही विचारधारा हमारी है कि हम पंचायतों को अधिकार नहीं देते हैं । हम जनता को यह समझते हैं कि कि वह अहल नहीं है । हमारे दिल में शंका होती है कि यह अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से महसूस नहीं कर पायेगी, जिस तरह से अंग्रेज हमारे लिये कहता था, वही हम भी कहते हैं । लेकिन अंग्रेज का कहना गलत साबित हुआ और आपका कहना भी गलत साबित होगा, अगर आप यह जिम्मेदारी जनता को देने के लिये तैयार हैं । अगर इस प्रस्ताव को इस तरह से लाये होते, कि वह सारा का सारा लैन्ड रेवेन्यू गांव को दे दिया जाय और इर्रीगेशन के जो चार्जेज हैं उसमें उनको हिस्सा दिया जाये, इर्रीगेशन के चार्जेज को वसूल करके उसका कुछ एक निश्चित हिस्सा अपने पास रख लें और बाकी सरकार को दें, तो हम उसका समर्थन करते । यह शंका करना कि वह इस काबिल नहीं है, उस रुपये का गोलमाल होगा, यह गलत है । इसमें कोई आधार नहीं है सिवाय हमारी शंका के और सिवाय इसके कि हम पावर को तकसीम नहीं करना चाहते हैं । यह शंका बे-बुनियाद है । अगर आपने यह किया, तो मेरा निश्चित मत है कि जो नई भाव न देश की ग्रामीण जनता में आयेगी, वह आज मुल्क की जो बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, उनको हल कर सकेगी । पैदावार बढ़ाने में वह कामयाब हो सकेगी । विलेज लेविल पर सिंचाई के साधनों को पूरा करने में कामयाब हो सकेगी । और जहां पर एक आदमी चाहे मालदार हो या गरीब हो, जिस समस्या को हल करने में असमर्थ रहता है, उसको समाज जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो पूरा कर लेगा ।

इसी तरह से भुखमरी, बेकारी, कोआपरेटिव वर्किंग आदि की जो समस्या है इन सबके लिये जो आपने टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है, यह बहुत सी समस्यायें ओवर नाइट बिलकुल हल हो जायेंगी, और एक नई उमंग देश की जनता में फैल जायेगी । और गांधी जी का जो स्वप्न था, कि स्वराज्य को गांव गांव पहुंचायें, वह स्वप्न पूर्ण हो जायगा । फिर जो एक वर्ग विहीन समाज बनाने की बात है, उसको भी पूरा करना चाहिये । उसके बारे में भी अगर आप ईमानदार हैं, तो वह लक्ष्य भी किसके मार्फत पूरा हो सकेगा । क्योंकि जब समाज के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयेगी, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो बहुत सी चीजें हैं, जो उत्पत्ति के कारण है, वह जनता अपने आप कर लेगी और आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां खत्म हो जायेंगी । जिस शक्ल में यह प्रस्ताव आया है, वह हमें और कहीं ले जाता है । इसलिये हम उसका विरोध करते हैं । और हम उम्मीद करते हैं कि जो शक्ल हम चाहते हैं उसमें यह रिजोलूशन आयेगा और सरकार इसको अपनायेगी और गांधी जी की विचारधारा तथा आजादी की प्रेरणा जन-जन तक पहुंचेगी ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, अभी प्रश्न उपस्थित न कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ कि विरोधी दल की ओर से क्लोजर मूव हो गया । संसदीय परम्परा यह है कि विरोधी दल बहस बढ़ाना चाहता है, वह चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों के विचार प्रकट हों । लेकिन हमारे विरोधी लोग क्लोजर मूव करने लग गये । उनका क्या मकसद है, मैं समझ नहीं पाया । यह हमारा दुर्भाग्य है कि विरोधी दल का ओहदा आपको मिल गया । आप इस सरकार के निर्माण के कार्यों को उस तरह देखते हैं, जिस तरह जिन कुर्सियों पर आप बैठे हुये हैं, आप ख़याल कीजिये कि जब यह भवन बनता रहा होगा, तो जमीन पर सारा कड़ा करकट इसका गिरता रहा होगा । और फर्ज कीजिये एक आदमी आया उसकी नजर कूड़े करकट की तरफ गई उसी तरह से आपकी नजर भी कूड़ा करकट की तरफ ही जाती है । और अच्छी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता । यह कमजोरी है लेकिन क्या किया जाय । आपके दिमाग से कूड़ा करकट सोचने वाली बीमारी सरकार निकाल नहीं सकी इसका दोष सरकार को ही है क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि जो खराब काम करने वाला है, उसके ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ सका यह भी हमारा दोष है । आपके हृदय को सरकार बदल नहीं सकी । इतने दिनों के अन्दर जो प्रस्ताव आया है, यह विचार करने लायक है और अच्छा है तथा मैं समझता हूं कि आप लोगों की ओर से इतने दिन बीत गये, और यह पहला ही इस तरह का प्रस्ताव होगा जो अच्छा कहा जा सकता है, नहीं तो कोई अच्छा काम अब तक आपने नहीं किया है । जब मैं उधर था, तो कहता था कि कुछ अच्छा काम करो । मगर सिवाय शीर्षासन के कोई अच्छा काम नहीं किया ।

इस प्रकार को मैं मानता हूं कि अच्छा है । मैं इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जब मैसूर की सरकार पंचायतों को मालगुजारी का कुछ परसेंटेज देती है, जब बम्बई की सरकार देती है, तथा भारत की अधिकांश सरकारें कुछ प्रतिशत मालगुजारी का पंचायतों को देती हैं, तो इस सरकार को भी देना चाहिये । मैं यह भी जानता हूं कि सरकार बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही है । मुझे दुख है कि अभी केन्द्रीय सरकार ने जनशक्ति उपयोगी योजना के अन्दर गांव पंचायतों के लिये बहुत सारा पैसा दिया है और हमारे पंचायत के डाइरेक्टर हर एक पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर और ब्लाक प्रमुखों के यहां एक सर्कुलर भेजकर सलाह दी कि यह सारा पैसा गांव पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जायगा । हमको दुख है कि उस सर्कुलर का पालन नहीं किया गया । इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? हम मानेंगे कि यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह अपने सर्कुलर का पालन नहीं करा पायी । इससे यह कह देना ठीक नहीं कि गांव सभायें काबिल नहीं हैं । अगर अब काबिल नहीं तो काबिल कब होंगी । हमारा संविधान पुकार पुकार कर यह कह रहा है कि देश में पंचायती राज कायम किया जायगा । और पंचायती राज के जरिये से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उमाशंकर]

सुख-सुविधाओं को बढ़ाया जायगा । सुख सुविधा दूसरे तरीके से भी बढ़ाई जा सकती है । लेकिन संविधान में पंचायती राज के द्वारा ही बढ़ाये जाने की बात कही गयी है । हमारे यहां सुख-सुविधा बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिये थी । लेकिन आप उन सुविधाओं की तरफ नहीं देखते हैं, केवल असुविधाओं की ओर ही देखते हैं ।

इसमें मैंने एक बात यह बतायी कि पंचायतों को मालगुजारी का कुछ प्रतिशत दिया जाय । जब हिन्दुस्तान की अधिक सरकारें प्रतिशत दे रही हैं तो इस सरकार को भी देना चाहिये । पिछले महीने में नियोजन विभाग के एक बड़े आफीसर से हमारी बातचीत हो रही थी । उस समय हमारा दिमाग बहुत बौखलाया हुआ था कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, पैसे का बहुत दुरुपयोग हो रहा है । लेकिन उन्होंने बताया कि १०० रुपये में अगर ५० रुपये का भी काम हो जाय तो यह न समझिये कि पैसा जाया गया । शिकायत तो तब होनी चाहिये जब ५० प्रतिशत से कम काम हो । इसलिये आपका यह कहना ठीक नहीं है कि गांव इसके काबिल नहीं हैं, टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं, और अपनी जमीनों का ठीक प्रकार से प्रबंध नहीं कर पाते हैं । लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है । यह बात आप समझ लीजिये कि आप निर्माण करने वाली कुर्सी पर बैठे हुये हैं और उधर के लोग धराशायी करने वाली कुर्सी पर बैठे हुये हैं । अगर उनको सुबुद्धि हो तो वह सरकार को बतायें कि वह मकान पुराना हो गया है, धराशायी करने योग्य है, लेकिन वे तो नये और पुराने दोनों तरह के मकानों को एक ही रोलर से गिराकर धराशायी करना चहते हैं । यह ठीक है कि आप त्रुटियों को बतायें, लेकिन सरकार के जो नियोजन के काम हैं उनमें आपका हिस्सा बंटाना चाहिये । आप सरकार को यह बतायें कि गांवों में इतने कुयें बने, इतनी तकावी बंटी, इतना और होना चाहिये । आप तो केवल यह बतायेंगे कि वह इंजीनियर इतना भ्रष्टाचारी है, लेकिन अगर उसने आपकी पार्टी को एक हजार रुपया चन्दे का दे दिया तो वही अच्छा भी हो गया । मैं इसको वैसे ही नहीं कह रहा हूं । इसका सबूत भी दे सकता हूं । इसलिये मेरा कहना यह है कि उधर के लोगों को बनी हुई चीजों को नहीं बिगाड़ना चाहिये । मैं आपकी और इस सरकार की दोनों ओर की बात कह रहा हूं इस सरकार को यहां तक कि आपके दिमाग में जो खराबी है, यह जो आप हर बात की निन्दा करते हैं उसको भी ठीक करना चाहिये और उसका दोष भी अपने ऊपर ही लेना चाहिये कि हमारी कमी के कारण ही आप में अभी यह बुद्धि नहीं आ रही है । मैं चाहता हूं कि आप और इधर के सब लोग मिलकर इस बात पर गौर करें ।

बड़े-बड़े मिनिस्टर यहां बैठे हैं उनसे मेरी बात हुई है, सब की यह राय है कि अगर पंचायत-राज दस साल तक इसी तरह से चलता रहा, आप काटते रहे और यह जोड़ते रहे तो दस साल के बाद हमारे देश का सर्वनाश हो जायगा । अगर आप पंचायतों के काम में, निर्माण के काम में सहयोग न देंगे और विरोधी करते रहेंगे और सरकार के पास शक्ति है वह करोड़ों रुपया खर्च करती रहेगी, आप सलाह नहीं देंगे, बतायेंगे नहीं कि किस जगह कुयें बनेंगे, बिजली लगेगी, कहां कलकारखाने खुलेंगे, कहां उनकी जरूरत है तब फिर उन्नति कैसे होगी । अशोक मेहता को आपने इसीलिये यह कहकर निकाल दिया कि वह सरकार से मिल गये लेकिन वह तो केवल यह चाहते थे कि सरकार के निर्माण में कामों में हमें हिस्सा बटाना चाहिये । मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सरकार के निर्माण के कामों में हिस्सा बटायें और उसको सलाह दें और साथ ही मैं सरकार से भी कहूंगा कि विरोधी दल की सलाह को मानना चाहिये । आज आपका प्रस्ताव संशोधन सहित बहुत अच्छा प्रस्ताव है । सरकार को इसको मानना चाहिये और मैं जानता हूं कि अगर सरकार पर दबाव पड़ेगा तो वह इस प्रस्ताव को आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों जरूर इस पर वह विचार करेगी और इससे हमारे पंचायती राज का भला होने वाला है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव पर गौर करे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो विरोधी दल की ओर से पेश हुआ है अच्छा होता कि यह सरकारी दल की ओर से बहुत पहले, आज से १७–१८ वर्ष पहले जब यह सरकार बनी थी, उसी वक्त आया होता। गांव पंचायतों के जो जनतन्त्र में मौलिक अधिकार हैं, अच्छा होता अगर वे तभी दिये गये होते। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंचायत राज में गांवों की क्या व्यवस्था होनी चाहिये और जनतन्त्र का क्या बुनियादी सिद्धान्त है उस पर यह हुकूमत अमल नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से रात दिन विकेन्द्रीकरण की बात कही जाती है और पंचायत राज के संबंध में जब समाजवादी दल की ओर से चौखम्बा राज्य की बात कही गई तो माननीय बंशीधर पांडेय की ओर से सदन में कहा गया कि हमारी सरकार तो पांचखम्बा राज करना चाहती है। लेकिन मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इसी देश की लोकसभा में आचार्य कृपालानी ने कहा है कि यह सरकार अभिजात्य वर्ग की शिक्षा चला रही है और इसलिये यहां अभिजात्य वर्ग का ही शासन कायम रहेगा क्योंकि बड़े लोगों की जैसी शिक्षा यहां चल रही है उसके माने हैं कि यह हुकूमत आम लोगों को या गांव के लोगों के हाथ में शासनसूत्र नहीं देना चाहती है। इस प्रस्ताव का अर्थ यह होगा कि गांव सभाओं को उनका उचित स्थान विकेन्द्रीकरण में दिया जाय।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सही मानों में जिस तरह से आज आप इन गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को चला रहे हैं क्या अधिकार आपने उनको दे दिये हैं? अंग्रेजी राज के जमाने में जिस तरह से यह संस्थायें हाकिम परगना, कलेक्टर और गवर्नर के हाथ की खिलौना थीं उसी तरह से आज भी इन संस्थाओं का गठन किया गया है, उसमें कोई अन्तर नहीं है। मौलिक अधिकारों में कोई फर्क नहीं है। आज भी कलेक्टर इन जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के संगठन को समाप्त कर सकता है और जब चाहें तब उनके अधिकारों का अपहरण कर सकता है। ग्राम सभा के संचालन करने वाले अपने को समझते हैं कि हम तो सरकार के नौकर हैं, जो उनकी तरफ से आदेश आवेंगे, हम उनका पालन करेंगे। सिवाय पोस्ट आफिस के काम करने के वे अपनी ओर से कोई इनीशियेटिव नहीं लेते हैं। अगर हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण में उनका अर्थात् ग्राम सभाओं का उचित स्थान हो तो आप इंगलैन्ड में, या जहां पर भी जनतांत्रिक शासन प्रणाली है, उनके अन्दर जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, उनकी हुकूमत कैसे हुआ करती है, उस पर विचार करें। काउन्टी कौंसिल इंगलैंड में है उसका ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है अगर उस पैमाने पर आप गांव सभाओं का संचालन कर दें तो इन्हें अधिक से अधिक अधिकार मिल सकता है।

हमारा जब संविधान बना उस समय हमारे हुक्मरानों के दिमाग में साफ बात नहीं थी। संविधान में अलग-अलग लिस्टों में दिया हुआ है कि कौन-कौन से विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार नियम बनावे और किस किस विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार बनावे। संविधान बनाते समय इसकी कल्पना होनी चाहिये थी कि क्षेत्र समितियां, जिला परिषद् राज्य और केन्द्रीय सरकार के ये ये विभाग होंगे। आज इस जनतांत्रिक व्यवस्था में उस संविधान में परिवर्तन होना चाहिये ताकि क्षेत्र समितियों के लिये इस बात का फैसला किया जाय कि कौन-कौन से अधिकार क्षेत्र समितियों के स्तर पर उनको हासिल होने चाहिये जिस तरह से धारा सभा को अधिकार दिये गये हैं। धारा सभा की तरह से हमारी ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों को अधिकार मिलने चाहिये। सिंचाई का कार्य हमारी क्षेत्र समितियों के मातहत होना चाहिये ताकि वे आसानी से तय कर सकें कि कहां-कहां ट्यूबवेल लगाये जायं। अगर ऐसा हो जाय तो बहुत से मसले हमारे तय हो सकते हैं। इन तब्दीलियों को संविधान में करना बहुत ही आवश्यक है ताकि ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों, और जिला परिषदों को समुचित अधिकार मिल सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जो प्रस्ताव माननीय गंगा प्रसाद जी ने पेश किया है कि एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभा के विकास के लिये दिया जाय, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो भी मालगुजारी हो, उसको आप ३–४– हिस्सों में विभक्त कर दें । एक हिस्सा उत्तर प्रदेश की सरकार को चला जाय, एक हिस्सा जिले की सरकार को चला जाय, एक हिस्सा ग्राम की क्षेत्र समितियों को चला जाय ताकि ग्राम सभाओं का काम सुचारु रूप से चलाया जा सके । इस तरह से पूरी रेवेन्यू जो लगभग २६२ करोड़ के है वह ३ भागों में बराबर बंट जाय । तभी हमारे गांवों की समस्या हल हो सकती है । इस प्रस्ताव के पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि ग्राम सभायें हमारे भिखमंगों की तरह से हैं । जब तक उसको अधिकार नहीं दिये जायेंगे वह भिखमंगी करती रहेंगीं । आज भी १८ साल को आजादी के बाद भी ग्राम सभाओं को भिखमंगे की दशा में रखा गया है ।

पंचायत राज्य के बारे में राज्य के मंत्री ठाकुर हरगोविन्दसिंह ने फतेहगढ़ में यह कहा था कि यह सारी गड़बड़ी पंचायत राज्य से हो रही है । मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह माननीय हरगोविन्दसिंह जी कहना राज्य के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ? १८६७ में वारेन हैस्टिंग्स ने, जिसने राज्य के घोषित सिद्धान्तों के खिलाफ बयान दिया था उसका इम्पीचमेंट किया गया था । जनतंत्र का नक्शा उनके दिमाग में साफ नहीं है । विकेन्द्रीकरण क्या है, ग्राम सभायें क्यों हैं, यह उनके दिमाग में साफ नहीं है । इस सदन के सामने मैंने कई बार कहा कि आज कांग्रेस पार्टी का मकसद यह है कि सरकार चलाओ और माल लाओ । अधिकारीगण जो कुछ भी कानून बना कर पेश कर देते हैं मंत्री गण उस पर दस्तखत कर देते हैं । पंचायत राज ऐक्ट, क्षेत्र समिति ऐक्ट में संशोधन लाइये और भारतीय संविधान में परिवर्तन करिये ताकि गांव सभाओं को, धारा सभाओं को, स्टेट्स दिया जाय । फौज और विदेश, केन्द्रीय सरकार के अधीन रहें । पुलिस तथा यातायात प्रदेशीय विभाग के अधीन रहें और सिंचाई कृषि जैसे कार्य क्षेत्रीय समिति तथा गांव सभा के अधीन रहें । मैंने उदाहरण दिया था कि पुलिस का मुहकमा इंग्लैंड में स्थानीय संस्थाओं काउंटीज के मातहत है, राज्य सरकार के मातहत नहीं है । लेकिन यहां दुनिया भर के सारे मसले दिल्ली और लखनऊ के मातहत रख दिये गये हैं । अगर आप क्षेत्रीय समिति तथा गांव सभाओं को, धारा सभाओं के अधिकार में देंगे तभी जाकर पंचायत राज का मकसद हल हो सकता है और तभी जनतंत्र पद्धति के अन्तर्गत क्षेत्रीय समिति तथा गांव सभायें उन्नति कर सकती हैं और गांव सभा तथा क्षेत्रीय समिति में काम करने वाले सदस्य यह समझ सकते हैं कि वे स्वतंत्र हिन्दुस्तान के नागरिक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है । मंत्री जी वैसे तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं कि गांव सभाओं का काम चले लेकिन जिस तरह से आज वे गांव सभाओं का काम चला रहे हैं, क्षेत्रीय समितियों का काम चला रहे हैं उसमें वे यह महसूस करते हैं कि वे बी० डी० ओज अथवा थानेदार के मातहत हैं । कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि गांव सभायें इस काबिल नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदारी किसकी है ? १७ साल के कांग्रेसी राज्य के बाद हमको यह एतराज नहीं है कि आपने सब गांवों को स्वर्ग क्यों नहीं बना दिया, तमाम व्यवस्था आपने वहां मुकम्मल क्यों नहीं कर दी? सबसे बड़ा एतराज यह है कि आज गांव का नागरिक अपने को स्वतंत्र नागरिक महसूस नहीं करता । जितनी निर्भीकता और स्वतन्त्रता की भावना गांव के लोगों में अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने पैदा की थी, आज १७ साल की कांग्रेसी हुकूमत में वह खत्म हो गयी । आपने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि गांव का सभापति अपने को डरपोक महसूस करता है। अपने को बी० डी० ओ० अथवा थानेदार का गुलाम समझता है । जिस जनतंत्र में गांव का एक साधारण नागरिक डरता हो वह जनतंत्र पनप नहीं सकता । आज गांवों को उनका हिस्सा देने की बात क्यों उठती है ? इस प्रस्ताव के पीछे क्या मकसद है, क्या सिद्धान्त है ?

मकसद यह है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर और गांव के स्तर पर नागरिक रहता है उसमें शासन की भावना पैदा हो। वे मजबूत बनें। यदि यह भावना पूरी होती है तो राष्ट्र मजबूत होगा। करोड़ों लोगों को अपने मातहत रख कर, गुलाम बना कर प्रदेश पर बहुत दिन तक आप इस तरह से हुकूमत नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव के पीछे यही एक दार्शनिक पहलू है कि गांव का साधारण आदमी जोर जुल्म के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा हो सके। लेकिन आप मंत्रियों के सामने दर्शन है कि किसी न किसी तरह से अपनी कुर्सी महफूज रहे, अपनी जगह महफूज रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों आदमियों को कायर बनाकर, करोड़ों आदमियों को गुलाम बनाकर अपनी हुकूमत को बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकते हैं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पंचायती राज्य पर जोर नहीं दिया गया है, क्षेत्रीय समितियों पर जोर नहीं दिया गया है जिससे चीन के मुकाबले में तथा अन्य देशों के मुकाबले में हमको झुकना पड़ा है। अगर अपने देश को शक्तिशाली बनाना है तो क्षेत्र समितियों को वही बात करनी पड़ेगी और उनके सदस्यों का दर्जा वही होगा जो आज हमारे मुख्य मंत्री और माननीय बंशीधर पांडेय का है। तब कहीं जाकर विकेन्द्रीकरण का असली मकसद हल हो सकेगा और पंचायती राज्य का मकसद पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की आत्मा का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्र सनसिंह (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संकल्प इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसकी मौलिकता का जहां तक प्रश्न है, उससे तो मैं सहमत हूं। लेकिन जहां तक समय का प्रश्न है यह समयोचित नहीं है। मौलिकता तो इस माने में है कि प्रजातांत्रिक सरकार में, सरकारी व्यवस्था कायम रखने के लिये या सरकार चलाने के लिये प्रजातंत्र के इस संविधान में ५ श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी तो गांव सभा, दूसरी श्रेणी क्षेत्र समिति, तीसरी श्रेणी जिला परिषद्, चौथी श्रेणी विधान सभा और पांचवी श्रेणी लोक सभा की है। इस प्रजातंत्र की बुनियाद गांव सभा है क्योंकि वहीं से ऊपर तक पांचों श्रेणियां बनती हैं।

श्रीमन्, जब सरकार की यह मंशा है और हमारे संविधान में वह चीज है कि शासन की शक्ति का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण किया जाय, अधिक से अधिक गांव सभाओं को उनकी सीमा के अन्तर्गत गांवों के विकास के लिये, हर तरह की सुविधा और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अधिकार दिये जायं तो उनको जो अधिकार दिये गये हैं या दिये जा रहे हैं, गांव सभा के ऐक्ट में यह है कि गांव सभायें मालगुजारी वसूल करें और उसका कुछ प्रतिशत उनको मिलेगा। इस प्रस्ताव में जो माल विभाग से इनको रुपया देने के लिये कहा गया है वह उचित है, परन्तु इस समय नहीं जब कि वे, आज जो उनको अधिकार दिये गये हैं, उनका सही तरीके से अपने कर्त्तव्य का पालन न कर सकें। आज जो वे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो इसके लिये उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसको जान लेना चाहिये कि चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या उधर के लोग हों, सबकी जिम्मेदारी है। हर एक माननीय सदस्य का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठाये। उनको ब्लाकों के माध्यम से गांवों में रोशनी लगाने के, गांवों में रास्ते ठीक करने के, खंरजे लगाने के, कुंओं की सफाई के या मवेशीखाने के प्रबंध करने के अधिकार दिये गये हैं और उनके लिये थोड़ा बहुत अनुदान मिलता है। लेकिन ईमानदारी से देखा जाय तो उसका सदुपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है। गांव सभाओं के प्रधान उसको नहीं कर पाते। मैं कहता हूं आजमगढ़ जिले में शायद ही कोई गांव सभा होगी जिसकी कि ६ महीने या साल भर में कोई मीटिंग हुई हो। नहीं हुई। जो मेरे गांव की गांव सभायें हैं या मेरे पड़ोस की हैं जहां अक्सर मैं जाता रहता हूं, उनके प्रधानों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रा नर्सिंह]

मैं कहता हूं गांव सभा की मीटिंग बुलवाइए, तो वह सुनी अनसुनी कर देते हैं। यदि किसी को गांव सभा से कोई प्रस्ताव पास कराना हो तो जिसका संबंध उस प्रस्ताव से हो, वह गांव सभा के प्रधान के यहां घर पर जाकर दस्तखत करा ले और ऐसा नहीं है कि गांव सभाओं के लोग हफ्तों में महीनों में कभी भी एक दिन बैठकर बात कर लें।

दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा कटु अनुभव है--पिछले वर्ष गल्ले की परेशानी हुई और देश और प्रदेश में। गांवों के लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार ठीक से गल्ला मिल जाय, दूकानदार कोई गड़बड़ी न करने पाये, इंस्पेक्टर या दूसरे ऊपर के लोग उसका अपने स्वार्थ में दुरुपयोग न करने पायें, इसकी देखभाल और सुपरविजन के लिए गांव सभा के प्रधान को अधिकार दिया गया था। उन्हें अधिकार दिया गया था कि जब बनिया गोदाम से गल्ला निकाल कर ले जायेगा तो गांव सभा के प्रधान के यहां उससे दस्तखत करायेगा कि कितने बोरे उस गांव सभा के लिए आये हैं, और जब बांटने लगेगा तो उस गल्ले के वितरण के लिए वह पर्ची देगा या अपने सामने बंटवायेगा। मंशा तो इसमें यह थी कि सबको सही ढंग से गल्ला मिल जाये और किसी को भी शिकायत न हो, किन्तु इसके उल्टे प्रधानों ने फर्जी पर्ची बना दी और रजिस्टर पर दूकानदार ने दिखा दिया कि सारा गल्ला बट गया। और इस प्रकार प्रधान लोग दूकानदार से मिल कर सब रुपया खा गये। इसी तरह से जिला परिषद् से गांव सभाओं को रुपया मिलता है कि इस जिले में २००-४०० स्कूल खुलेंगे। आजमगढ़ जिले में पिछले वर्ष २०० स्कूल खुलने के लिए आदेश थे। उसके लिए रुपया जिला परिषद् से विकास में जाता है और विकास के मातहत गांव सभाओं के प्रधानों को स्कूल की इमारत बनवाने के लिने के लिए दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं आजमगढ़ में ५० फीसदी प्रधान आपको ऐसे मिलेंगे कि उनके यहां स्कूल की इमारत नहीं बनी, छप्पर तक नहीं पड़ा, किन्तु वह सारा रुपया खा गये। उनसे हाथ जोड़कर कहा जाता है कि रुपया लिया है तो बनवा दो, तो वह कहते हैं कि आज बनेगा और कल बनेगा, किन्तु कभी नहीं बनेगा। दूसरी तरफ अगर गांवों में रोशनी के लिए उनको रुपया दिया तो रोशनी नहीं लगी और रुपये का कोई हिसाब नहीं है। (व्यवधान) तीसरी चीज यह है कि जब कोई विधायक इस अव्यवस्था और कुप्रबंध के लिए उनसे शक्ति के साथ कहे तो उनको धमकी भी देते हैं कि अब आना आगे से वोट मांगने। तो रुपया सारा खा जायं और ऊपर से धमकी भी दें। यही नहीं, गांव सभा को गांव सभा के विकास के लिए टैक्स लगाने का भी अधिकार है। किन्तु जो टैक्स लगाया जाता है वह वसूल नहीं हो पाता है और जो वसूल भी होता है उसका हिसाब नहीं होता है। वह कहीं सभापति लेकर चले गये और कहीं सेक्रेटरी लेकर चले गये। इसी तरह से गांव सभा की जो संपत्ति जैसे तालाब, आदि नीलाम होते हैं उसका हिसाब भी नहीं होता है और सारा रुपया सभापति लोग खा जाते हैं। यह हमारा जातीय अनुभव है जो रात दिन देखता हूं। यह किसकी जिम्मेदारी है, यह मेरी भी हो सकती है। लेकिन यदि आप कहें कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो यह मैं नहीं मान सकता हूं। यह इधर और उधर बैठे सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जब तक हमारा नैतिक स्तर नहीं उठेगा, राष्ट्रीय भावना नहीं आयेगी कि हमारा कर्तव्य गांव के प्रति क्या है, या गांवों के लोगों को जो जिम्मेदारी हम देते हैं वह कहां तक तक निभा पाते हैं, तब तक इस प्रकार की और जिम्मेदारी देने का प्रश्न नहीं उठता।

एक साथी ने कहा २५७ करोड़ में से २२ करोड़ देने में क्या बात है, सब उसको दे देना चाहिए, लेकिन सरकार ने जो कुछ गांव सभाओं को दे रखा है उसका वह गांवों के हित के लिए कहां तक उपयोग करते हैं। कोई भी माननीय सदस्य ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सही सही बता दें कि उनके क्षेत्र में सही सही उन अधिकारों का सदुपयोग हुआ है तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सबकी है। हम भी चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक अधिकार मिलें और २२ करोड़ क्या उससे कहीं ज्यादा धन दिया जाय तो भी कम होगा लेकिन प्रस्ताव की मौलिकता से सहमत होते हुए भी व्यवहार में जो हो रहा है

उसको देखकर सहमत नहीं हो सकता। मौलिकता को देखते हुए तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन अभी उसका समय नहीं है इसको देखते हुए इसका विरोध करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है क्या वे वास्तव में प्रजातंत्र में विश्वास भी रखते हैं या नहीं। हमारे साथी माननीय काशीनाथ जी मिश्र ने माननीय गृह मंत्री के भाषण को उद्धृत किया है। मैं समझता हूं कि विरोध करने वाले सभी साथी माननीय गृह मंत्री की भावना से प्रभावित हैं और उनका खयाल है कि पंचायती राज्य में बहुत गड़बड़ियां हैं और पंचायती राज का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है। मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पंचायत के साथी, जिला और क्षेत्र स्तर के साथी यही भावना ऊपर के लोगों के लिए रखते हैं वे कहते हैं कि आज जो राजनीति में ऊपर सफेदपोश लोग हैं उन्हीं की वजह से गड़बड़ी समाज में व्याप्त है। आज पंचायतों में भी जो नाना प्रकार की गड़बड़ियां दिखाई पड़ती हैं उसके मूल में भी यही सफेदपोश लोग हैं। हमारे माननीय साथी इन्द्रासन सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जिले में ५० प्रतिशत से अधिक गांव सभा के प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से पैसा ले लिया और उसे उस कार्य में उपयोग में नहीं लिया जिसके लिए वह पैसा लिया गया था। मैं मानता हूं कि निष्क्रियता है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है. जरा ध्यान दें।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो पंचायतों की निष्क्रियता की बात करते हैं उनको उसकी गहराई तक पहुंचाना चाहिए। हमारे भाई इंद्रासन सिंह जी ने सही कहा कि पंचायतों की विधिवत् बैठक नहीं होती इसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर पंचायतों की बैठक माहवारी किस कार्यक्रम को लेकर हो। आखिर उसके पास साधन क्या है, जिस साधन के द्वारा जो कर्त्तव्य भार का बोझ पंचायतों के ऊपर लादा गया है उसको वहन कर सकें। आप कहते हैं कि बहुत से अधिकार उसको दिये गये हैं। मैं कभी भी उसको अधिकार नहीं मानता हूं। आप पंचायत राज ऐक्ट का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि वह कार्य, पंचायतों को सौंपे गये कार्य कर्त्तव्य भार के रूप में हैं, अधिकार के रूप में नहीं है। आपने उनको कर्त्तव्य भार का बड़ा बोझ दे रखा है उसके निर्वाह के लिए आवश्यक साधन आप उन्हे दिये नही हैं, तो किस लिए बैठक हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि पंचायतों में गतिशीलता आये, कार्यशीलता आए तो पंचायतों को आप आवश्यक साधन दें।

हमारे एक साथी के कहा कि बहुत सारे अनुदान उनको दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि अनुदान के पैसे का जितना सदुपयोग होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उसका भी एक मौलिक कारण है। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अनुदान का पैसा पंचायतों को देते हैं, पंचायतें उससे अपना पैसा नहीं समझती हैं। वह उनका पैसा नहीं है ऐसा वह समझती हैं। उनका एक ऐसा सोचने का ढर्रा बन गया है कि यह अनुदान का पैसा सरकार का पैसा है। इसे हमें किसी प्रकार से लक्ष्य पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना है। जो आप लगान के रूप में गांवों से पैसा वसूल करते हैं, उसको यदि

[श्री मैनेजर सिंह]

आप गांव सभा को दे दें तो गांव सभा यह समझे कि यह लगान का पैसा उनकी आय का हिस्सा है और पंचायत का अपना पैसा है इस एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करें और पंचायतों को लगान की पूरी आय दें।

पिछले १९५९ में पंचायती राज का श्रीगणेश राजस्थान में हुआ। हमारे कर्णधार स्वर्गीय जवाहरलाल जी ने पंचायत राज के कार्यक्रम इस देश में तेजी से चलाने की कोशिश की। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि पंचायती राज के कार्यक्रम को सिचाई से अन्तःकरण की प्रेरणा से अपनाया नहीं गया है। आज इस देश का राजकाज जिन लोगों के हाथ में है उनमें यह प्रेरणा नहीं है। स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के कारण और केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायतीराज के सिद्धांत को मानने के कारण प्रदेश की सरकार ने कुछ दिखावे के लिए कोशिश की है। हमारे प्रदेश में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और यहां पंचायत कानून सर्व प्रथम इस देश में प्रत्येक गांव क्षेत्र में लागू किया गया अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियों में और सम्मेलनों में हम गर्व के साथ कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जहां समस्त प्रदेश में पंचायत राज का कानून लागू हो गया है, हमारे प्रत्येक गांव सभा की अपनी पंचायत है, लेकिन आज पंचायत राज के मामले में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पंचायत राज की आय का स्रोत हमने बन्द कर दिया है। पंचायत राज की इस नयी कल्पना के पहले बंबई प्रदेश का जो सौराष्ट्र का इलाका था वहां पंचायत राज का कानून बहुत ही सुन्दर था। वह एक ही क्षेत्र में लागू था, लेकिन उस समय वहां ३० फीसदी यहां से मालगुजारी की आय पंचायतों को दी जाती थी। जैसे कि यहां पंचायत मंत्री हैं वह कारकुन थे, उन्हें पूरा वेतन राजकोष से दिया जाता था। आज क्या हालत है। आज १७-१८ साल के बाद भी यह विवाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है और यह शंका उपस्थित की जा रही है कि पंचायतों का हिसाब गड़बड़ है, वे सक्षम नहीं हैं। लगान वसूली का अधिकार उनको देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि यातायात, जन स्वास्थ्य का पैसा पिछले दो साल से आप पंचायतों को बांट रहे हैं खंड के माध्यम से। जब वे सक्षम नहीं हैं, उनका हिसाब गड़बड़ है तो हजार, दो हजार उनको क्यों देते हैं? लगान का पैसा इस संकल्प के अनुसार हजार ५०० से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो एक ओर जब आप पंचायतों को सहायता के रूप में पैसा देते हैं तो यहां भी उनका अधिकार समझकर पैसा उनको वसूल करने और व्यय करने दें। आप वसूल करते हैं उसके लिए चपरासी, अमीन, नायब-तहसीलदार वगैरह कितना वेतन एवं टी० ए० बनाते हैं? आपके खजाने में कितना दर्ज होता है? फिर यहां बैठकर विभागों को बटवारा होता है। वही पैसा जायगा विकास आयुक्त के पास, फिर जिले में जायगा, फिर उसका बटवारा खंड स्तर पर होगा और फिर बटवारा गांव में होगा। इस प्रकार से अनावश्यक श्रम और पैसे का अपव्यय होता है गांव से पैसा वसूल करने और गांव में पुनः बांटने की प्रथा को आप समाप्त करें। जहां से वसूली होती है, वहीं पर सभा और पंचायत के माध्यम से व्यय एवं वसूली की व्यवस्था चालू करें।

मैं माननीय मंत्री जी और नौजवान सभा सचिव से निवेदन करता हूं कि आप दोनों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई विकास का कार्यक्रम चले, पंचायतें सक्षम हों तो उनके लिए साधन मुहइया करें। प्रदेश में एक क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए कि मालगुजारी पूरी की पूरी वसूल करने का भार आप गांव सभाओं को दे दें और उसे पंचायत की आय घोषित करें इस आय से आप गांव पंचायतों को प्रेरित करें कि वे आपके विकास के कार्यक्रमों को पूरा करें। वह पैसा किन किन कार्य-क्रमों में खर्च हो वह आप तय कर दें। लगान वसूल करने की आजादी आप उनको दें, पैसा वे आपके आदेशानुसार खर्च करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे गांव का विकास होगा और आपके प्रदेश का उत्पादन का जो कार्यक्रम है वह भी आगे बढ़ेगा।

आज, श्रीमन्, पंचायतों की हालत ठीक नहीं है। जो आपने पंचायत सेक्रेटरी दे रखा है है उसको आपने ग्राम सेवक तक का दर्जा नहीं दिया है। जो सुविधायें आपने ग्राम सेवक को दे

रखा हैं वह सुविधायें भी आप इन पंचायत सेक्रेटरीज को देने के लिए तैयार नहीं हैं। आशा यह रखते हैं कि वे सही काम करेंगे। जब उनको अधिक वेतन देने के लिए कहा जाता है तो आप कहते हैं वे राज्य कर्मचारी नहीं हैं। आप काम सारा पंचायत सेक्रेटरी से लेना चाहते हैं, मगर जो सुविधा आपने ग्राम सेवक को दे रखी हैं वह आप उनको नहीं देना चाहते हैं। आपकी इस दुतरफा नीति से कोई भला होने वाला नहीं है। इससे उनमें निराशा का वातावरण पैदा होगा और आपका कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल नहीं पायेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारिये। इसके अलावा एक और सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं। यह जो आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं, या ट्यूबवैल आपरेटर्स हैं, या जो कर्मचारी हैं, इन सबको आप एक बड़े कर्मचारी के अधीन कर दीजिए। ग्राम स्तर पर आप एक ऐसा कर्मचारी बिठा दें जिसके अधीन यह सब कार्य हों। गुजरात में आपने देखा कि वहां पर "कलाती" तक को पंचायतों के अधीन कर दिया है। लेखपाल आपके शासन की रीढ़ होते हैं। आपको चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का जो पुराना ढांचा चला आ रहा है उसे बदलें। अगर आप चाहते हैं कि पंचायतों का कार्यक्रम सफल हो तो आप तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, नायब तहसीलदार, इन सब का जो सर्किल है उसके ढांचे को बदलिये। जो भी निर्माण का काम आप कराना चाहते हों वह गांव सभा और क्षेत्र समिति के माध्यम से कराइये। आपके लेखपाल वगैरह हैं इनके क्षेत्र को बांट दीजिए। कानूनगो और नायब तहसीदार हैं उनको ए० डी० ओ० (माल) बना दीजिए। लेखपाल को गांव का कर्मचारी बनाकर उसको गांव पंचायत के अधीन कर दीजिए। यह सब करने पर आपका कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल सकेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माल विभाग के जो ऊंचे अधिकारी हैं वे इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं इसलिए गड़बड़ी हो रही है। आपने कानून बनाया है क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, उसमें भी बहुत गड़बड़ी हो गई है। उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपने वहां भी पंचायतों की शक्ति को कम करने की अनजाने में कोशिश कर दी है। जैसे २७२ या कोई धारा है जिसमें आपने अधिकार दिया है जिला परिषद् को कि वह मेलों और हाटों का वर्गीकरण करें। मान लीजिए कि कोई गांव सभा का मेला है, गांव सभा ने उसको विकसित किया, उसको उससे आमदनी होने लगी। अब जिला परिषद् की दृष्टि उस पर गयी और उसने वर्गीकरण करके उस मेले को जिला परिषद् या क्षेत्र समिति के जिम्मे कर दिया। तो इस तरह यह पंचायत का जो एक स्रोत बनने वाला है उसको भी आप ऊपर की तरफ खिंचवाने का उपक्रम कर रहे हैं।

क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम पर जब विवाद चल रहा था तो उस समय कहा गया था सरकार की तरफ से कि हमारा जो ढांचा है उसमें नीचे की तरफ अपने आप खिंचाव होगा और हमारे माननीय सभासचिव जी जिनका काफी अध्ययन है इस दिशा में वह बराबर कहते रहे हैं कि हमारा ढांचा ही ऐसा है कि अधिकार जिला परिषद् से क्षेत्र समिति में और क्षेत्र समिति से गांव सभाओं में अपने आप पहुंच जायेंगे क्योंकि जिला परिषद् का गठन क्षेत्र समिति को लेकर और क्षेत्र समिति का गठन गांव सभाओं के प्रधानों को लेकर है। बात तो सही है लेकिन व्यवहार में बिलकुल इसके उल्टा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव सभा के साधनों को महफूज रखने के लिए आपको कुछ कदम उठाने चाहिएं। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ साधन भी बढ़ाने चाहिए। सही है साधन भी बढ़ाने चाहिए। लेकिन साधन बढ़ाने के लिए वातावरण आप बनावें। जब आप अधिनियम में यह व्यवस्था करेंगे कि ऊपर की संस्था नीचे की संस्था के स्रोतों को सोख ले तो नीचे की संस्था अपने साधन नहीं बढ़ायेगी। जैसे मैं जिस गांव सभा का प्रधान हूं और उसमें मैं निवास करता हूं उसकी वार्षिक आय कुल १२५ रुपये थी। मैंने अपने पंचायत के साथियों के साथ परामर्श किया कि क्या उपक्रम किया जाय कि पंचायत का स्रोत बढ़े। हमने परामर्श करके यह फैसला किया कि गांव सभा के अन्दर एक पशु लेने का आयोजन किया जाय। तीन वर्ष से हमारे गांव सभा में पशु मेला लगता है और

[श्री मैनेजरसिंह]

मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समारे गांव सभा की आमदनी १२५ रुपये से बढ़कर १ हजार रुपये तक हो जायगी। हमने मत्स्य पालन का भी कार्यक्रम आपके विभाग के ऋण के अन्तर्गत शुरू किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम की धारा रही तो किसी दिन जिला परिषद् हमारी पंचायत के इन स्रोतों को जिनको हम धीरे-धीरे विकसित कर रहे हैं और जिसके आधार पर योजना बनायी है कि आने वाले सालों में हमारी आमदनी दस हजार रुपये तक होने लगेगी और तब हम उससे अपने काम आगे बढ़ा सकेंगे, कभी कभी हमें ऐसा लगता है और उससे हमारे दिल को भी चोट पहुंचती है, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि यह साधन बढ़ाना भी शायद हमारे हक में न रह जाय क्योंकि हो सकता है कि जिला परिषद् हमारे इन स्रोतों को हमारे पास न रहने दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार का उपक्रम करें कि पंचायतों के साधन बढ़ें।

यह मांग जो लगान की है वह भी बहुत उचित है। पंचायत राज का जो आन्दोलन चल रहा है इस देश में वह हमारे स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की वजह से तथा तीन हमारी जो महान् विभूतियां हैं राजनीतिक क्षितिज में दिखाई पड़ती हैं उनकी वजह से है। हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, श्री बलवन्त राय जी मेहता जो गुजरात के मुख्य मंत्री हैं और श्री एस० के० डे० जो सामुदायिक विकास के मंत्री हैं। मैं भी मानता हूं कि आजादी की लड़ाई में जब हमारे, तीन महान् नेता देश के लाल, बाल, पाल राजनीतिक क्षितिज पर चमके तो उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। इन तीन महान् नेताओं ने देश को आजादी के लिए तैयार किया और देश को आजादी के मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प किया। वैसे ही ग्राम स्वराज्य की कल्पना को लेकर, पंचायत राज की कल्पना का लेकर और गांव-गांव तक स्वराज्य पहुंचाने के लिए हमारे इन तीन महान् नेताओं ने संकल्प किया है और ये उसके लिए प्रादेशिक सरकारों का प्रेरित कर रहे हैं। श्री जय प्रकाश नारायण, बलवन्त राय मेहता और श्री एस० के० डे० जो केंद्र में सामुदायिक विकास मंत्री हैं, वे सब चाहते हैं और इस पर जो उनका इतना बल है उनकी भावनाओं को सरकार सही रूप में स्वीकार करे और इस संकल्प को भी स्वीकार करे। क्योंकि श्री बलवन्त राय मेहता ने एक बार नहीं, बल्कि अनेकों बार अपनी पुस्तिका के द्वारा यह निवेदन किया है कि सरकार का कोई ऐसा उपक्रम करना चाहिए कि लगान का एक निश्चित अंश गांव सभाओं को दिया जाय और उन्होंने गुजरात में इस कार्यक्रम को लागू तक कर दिया है। श्री ए० के० डे साहब जो केंद्र में सामुदायिक विकास मंत्री हैं उनकी भी निजी राय है कि लगान की एक निश्चित रकम पंचायतों की दी जाय। हमारे देश के महान् नेता जयप्रकाश नारायण जी ने भी मौके मौके पर सरकारों को परामर्श दिया है कि सरकारें इस प्रकार का उपक्रम करें कि लगान की आमदनी पंचायतों की दी जाय। जो आपके रहनुमा हैं, अगुवा हैं, आपको प्रकाश और रास्ता देने वाले हैं, ऐसे महान् लोग भी चाहाते हैं कि इन पंचायतों को लगान की आमदनी दी जाय या उसका अधिक से अधिक अंश दिय जाय। तो मैं नहीं समझता कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कठिनाई है।

मैं फिर नम्रता के साथ माननीय सामुदायिक विकास मंत्री और उनके सहयोगी सभा सचिव से कहना चाहता हूं कि यदि आपने निकट भविष्य में लगान का कुछ अंश पंचायतों को, गांव सभाओं को नहीं दिया तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप उस कार्य में असफल हुए हैं और आपने पंचायतों को सचेष्ट करने में चूक की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकारी पक्ष के लोग इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपध्यक्ष महोदय, गांव पंचायतें आज जिन साधनों के आधार पर काम कर रही हैं उससे वे अपने काम कराने में असमर्थ हैं। मेरे विचार से गांव सभाओं को आज जितने अधिकार मिले हैं, उसके हिसाब से भी जितनी उचित सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिल पाती।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, अभी रामनौमी की छुट्टी में अपने क्षेत्र के जिन ब्लाकों में गया था वहां की जो हालत मैं देख कर आया हूं वह मैं आपके माध्यम से सदन को बतला देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर ५ ब्लाक्स हैं। वहां की बहुत सी ग्राम सभाओं को घूम-घूम कर मैंने देखा। उन ५ ब्लाक्स के अन्दर सरकार ने अनुदान के रूप में करीब ८–१० लाख रुपए दिए हैं, पुल, पुलिये बनवाने के लिए, कुवें खुदवाने के लिए, स्कूल्स आदि बनवाने के लिए। यह सब रुपया गांव सभाओं ने ले लिए और कुवें खुदवायें तथा स्कूल्स आदि बनवाना शुरू किये लेकिन सीमेंट की कमी के कारण ये सारे कार्य अर्द्ध रूप में बने पड़े हैं जबकि हमारे ब्लाक के अन्दर ही सीमेंट फैक्ट्री खुली हुई है। इन पांच ब्लाक्स में ८–१० लाख रुपए का अनुदान मिला और उतने ही रुपए का श्रमदान हुआ लेकिन सीमेंट न होने की वजह से सारे काम रुके पड़े हैं। वह लम्बा चौड़ा और पहाड़ी इलाका है जहां के लिए अगर १५ दिन के अन्दर सीमेंट नहीं मिली तो यह ८—१० लाख रुपए का अनुदान तथा उतने ही का श्रमदान, सब नष्ट हो जायगा। ८—१० लाख रुपए का अनुदान तथा ८—१० लाख का श्रमदान १५ दिन के बाद नष्ट हो जायगा और वह फिर नहीं बन सकता। इसके बारे में हमने उच्चाधिकारियों से, ब्लाक प्रमुख, डी० पी० ओ० तथा जिलाधीश से कहा कि सीमेंट दिलवाइए नहीं तो सब नष्ट हो जायगा। अगर वर्षा हो गई तो सीमेंट की बोरी उन ब्लाकों में १६ रुपए में भी नहीं पहुंचेगी क्योंकि वहां आने जाने के साधन नहीं हैं और न वहां कोई कारीगर ही पहुंचेगा। यह तो उच्चाधिकारियों की कृपा है। इन अधिकारियों की वजह से ही ग्राम सभाएं काम नहीं कर पातीं और सरकार का पैसा नष्ट हो जाता है। गांव सभा ब्लाक और प्रमुख से बंधी हुई है। वह बहुमत से चुनकर प्रमुख बनता है। इसलिए उसका ब्लाक के ऊपर काफी अधिकार रहता है और जितने भी ब्लाक के कर्मचारी हैं, वह उसके अधीन रहते हैं, क्योंकि उनकी चरित्र तालिका में वह प्रविष्टि करता है। अब चंकि ब्लाक प्रमुख गांव सभाओं के बहुमत से बनता है, इसलिए गांव सभाओं का सारा काम प्रमुख के दबाव में आता है और उसके बहुमत के जितने सभापति, ग्राम सभा हैं, उनके सब काम सही मानें जाते हैं। कागज में दिखा दिया जाता है कि कुआं बन गया, लेकिन जबकि मौके पर कोई कुआं नहीं बना। और जो विपक्ष के लोग होते हैं, वह अगर काम करना भी चाहें, तो उनको कहीं से भी किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता जिसके कारण वह कोई काम नहीं कर पाते।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री रामनाथ पाठक—

मैं गांव सभाओं की तकलीफ को बता रहा हूं। गांव सभा के लोग जो काम करना चाहते हैं, वे अधिकारियों की वजह से नहीं कर पाते हैं। यदि सम्बन्धित अधिकारी गांव सभा के साथ सहयोग करें, तो उनका काम चल सकता है। जहां तक लगान की बात है, मेरी राय में उनको जो काम पहले से दिया गया है, वही ठीक तरह से नहीं कर पाती हैं, अधिकारियों के असहयोग के कारण और अगर लगान वसूली का काम और दे दिया गया तो इससे काफी परेशानी में पड़ जायेंगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमारे यहां शिक्षा का अभाव है। प्राइमरी स्कूल श्रमदान से एक-एक हजार रुपए में बन गए हैं, जब कि दूसरी जगहों पर १२–१२ हजार रुपया दिया गया। लेकिन सीमेंट के न मिलने से सारा काम नष्ट हो जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं को सीमेंट दिया जाय। हर गांव सभा में सरकारी सहायता से कुछ न कुछ काम जरूर हुआ है। लेकिन उन्हें काम करने में और प्रोत्साहन दिया जाय तथा उनको ब्लाक प्रमुख और अधिकारियों से मुक्त किया जाय ताकि वह अपना काम स्वयं कर सकें।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन एक अपने ऊपर घटित घटना के द्वारा करूंगा। मैं एक दिन एक होटल में चाय पीने के लिए गया और लीडरी की शान में

[श्री लोकपालसिंह]

एक कुर्सी पर अलग बैठ गया और सामने एक छोटी-सी मेज थी, पास ही में एक बहुत बड़ी मेज पड़ी हुई थी उस पर बहुत से लोग आकर बैठ गए। सबने चाय प्रारम्भ की। दो चार चुस्कियां लेने के बाद परिचय की बात ठहरी। एक महाशय ने दूसरे से पूछा आपकी तारीफ ? वे बड़ी नम्रता से उठे और कहा, मैं एक वकील हूं, बट आई प्लीड फार आल "मैं सब के लिए वकालत करता हूं" दूसरे महाशय से पूछा कि आपकी तारीफ क्या है ? वह भी उठे और कहा, मैं एक डाक्टर हूं। आई ट्रीट फार आल, "मैं जन हिताय सबकी औषधि करता हूं"। इसी तरह से तीसरे महाशय बोले, मैं एक टीचर हूं, आई टीच फार आल, "मैं जनहिताय सबको पढ़ाता हूं"। चौथे साहब से भी कहा गया कि आपकी तारीफ क्या है ? उन्होंने कहा, मैं एक पादरी हूं, आई प्रे फार आल "मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं"। एक और महाशय से पूछा गया, जो राज्य कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि मैं राज्य कर्मचारी हूं, "आई प्ले विद आल "मैं सबसे खेलवाड़ खेलता हूं।" अब नम्बर आया गांव के प्रधान का उनसे पूछा गया आपकी तारीफ ? वह बोला, मैं कृषक और मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधि हूं, गांव का प्रधान हूं लेकिन आई पे फार आल। "मैं सब का भुगतान करता हूं"। उनकी यह बात सुनकर मेरे मुंह से उफ् निकला। "यह ठाट बाट शहरों की शान है तेरी छाती पर प्रधान"। मेरी बात सुनकर सबकी नजर मेरे ऊपर पड़ गयी और सब पूछने लगे कि साहब की तारीफ ? मैंने कहा कि मैं एक लीडर हूं, आई मिसलीड आल। मैं दुनिया को मिसलीड करता हूं। "धोखा देता हूं"। मेरे उत्तर को सुनकर सब लोग निस्तब्ध रह गए। ये लीडर ! तू दुनिया को मिसलीड करना छोड़ दे, तेरे ऊपर देश की आशाएं हैं। तूने चुनाव जीता है, उसके बल पर आया है। "बहुत मुमकिन है, अल्लाह आपको कर दे फरिश्ता भी। मगर मुश्किल है इकवामें वतन से मुंतखिब होना"। आज मेरे ऊपर चिड़ियाघर ऐसी किताब लिख गई। तेरी परिभाषा बड़ी विलक्षण हो गई, कोई कहता है कि तू शैतान का बाबा है। "लीडर की शकल देख, शैतान ने कहा, वल्लाह मेरे बाप का भी बाप आ गया"। आज लीडर की बड़ी-बड़ी परिभाषाएं हैं। लीडर खुद कहता है "जब तक कि सच में झूठ मिलाया न जायगा यह लीडरी का बोझ उठाया न जायगा।" ये लीडर तू इस संकल्प द्वारा इस छोटे से मांगे हुए धन को पुष्पमाला ही समझकर ग्राम प्रधान के चरणों में चढ़ा दे। वह आज के दिन का सच्चा ईश्वर है। मैं कहता हूं कि यदि भगवान को तुम ढूंढ़ना चाहो तो भगवान यहीं मिलेगा। गांव में ही मिलेगा, "श्रमी तथा निर्धन किसान की छोटी सी अभिलाषा में पति की बाट जोहती बैठी गरीबिनी की आशा में, भूख प्यास से दलित दीन की मर्मभेदिनी आहों में, दुखिया के निराश आंसू में प्रेमीजन की राहों में"। यही भगवान का सच्चा पता है। भगवान इन्हीं स्थानों पर मिलेगा। अगर भगवान की सच्ची सेवा करना है तो आपको गांवों के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। भगवान गांवों के किसानों में, मजदूरों में है। मेरे सामने लोग कहते हैं कि गांवों के लोग ऐसा कैसे कर पायेंगे। अरे, गांवों के रहने वालों ने ही तो आपको यहां बिठाया है।

तुलसीदास जी, कबीरदास जी और दीन दयाल जी उपाध्याय गांवों में ही तो हुए। गांवों का एक साधारण आदमी भी अपना विशेष मस्तिष्क रखता है। जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसको कर ही लेगा। अपना दर्द सबको मालूम होता है। ग्राम तो एक पावर हाउस के समान है जहां से आपको पावर मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन यह पावर हाउस खत्म हो जायगा तो आपको भी पावर मिलना बन्द हो जायगी। आप कहेंगे कि पेड़ बड़ा या बीज बड़ा, बच्चा बड़ा या बुड्ढा, सैनिक बड़ा या सैनानी, गांव बड़ा या शहर। अगर पेड़ बड़ा होता तो बिना बीज के पेड़ कैसे पैदा हो जाता, यदि बुड्ढा बड़ा होता तो कभी पहले तो वह बच्चा ही रहा था, इसलिए बच्चा बड़ा है, बच्चा बुड्ढे का बाप है, इसी प्रकार से अगर सैनिक न होता तो सैनानी कैसे हो जाता, अगर गांव न होते तो शहर कहां से आ जाते। इस लिए गांव बड़े हैं। गांवों से शहरों को मिलता है, न कि शहरों से गांवों को। अगर आप गांव के लिए वांछित साधनों को देंगे तो आपके राष्ट्र का कल्याण अवश्य ही होगा। शहर तभी सरसब्ज

होंगे जब कि गांव सरसब्ज होंगे। यदि गांवों की इस छोटी-सी मांग को आप देने को तैयार नहीं हुए तो दुर्दिन आकर रहेगा।

श्री बृजविहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लोकपाल सिंह जी का इतना सुन्दर भाषण हुआ है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी ही है। उन्होंने कहा कि भगवान कहां मिलेगा और उसका स्वयं ही उत्तर दिया कि वह गांवों में मिलेगा। मैं समझता हूं उनके इस विचार से यहां जितने भी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, सब सहमत होंगे। गांधीजी ने भी यही कहा था कि भारतवर्ष गांवों में रहता है। गांवों की महत्ता को सभी मानते हैं। हम सब लोग भी गांवों से चुनकर आते हैं। हम चाहते हैं कि गांवों की तरक्की हो। हम समझते हैं कि समाज में गांवों का प्रमुख स्थान है, उनकी हर तरह से तरक्की होनी चाहिए ही। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। अतः हम सब, माननीय लोकपाल सिंह जी की इस राय से कि गांवों की तरक्की होनी चाहिए, सहमत हैं। प्रश्न केवल यह रह जाता है कि गांवों की तरक्की कैसे हो।

मेरा एक ऐसे पेशे से सम्बन्ध है जिस विषय पर ही बातचीत करना आवश्यक होता है। अतः मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। प्रस्ताव की भाषा यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार अविलम्ब यह व्यवस्था करे जिससे कि जिस ग्राम से जितनी मालगुजारी वसूल की जाय उसका एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिए उक्त ग्राम सभा को दे दिया जाय"। मैं बड़े ध्यान से उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। माननीय काशीनाथ जी का भाषण सुना, उन्होंने बहुत सारा, संसार की बड़ी-बड़ी घटनाओं का सर्वे कर डाला मैंने श्री मैनेजर सिंह का भी भाषण सुना, वह दोनों हमारे पड़ोसी हैं, और हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे हमारा बड़ा मधुर रिश्ता है। श्री मैनेजर सिंह ने एक बात कही कि गांव सभाओं के जो मन्त्री हैं उनको पैसा देने की जब बात होती है तो सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे जिन को शायद माननीय मन्त्री जी न समझे हों, हम समझ गए, वह हमारी तरफ की भाषा है, उन्होंने कहा कि "जब सीधा देना होता है तो हम चूक जाते हैं"। हम पूरब के रहने वाले हैं 'सीधे' का मतलब समझते हैं, मतलब इसका यह है कि उनको हम खुराक नहीं देते। मैं उन की राय से इत्तिफाक करता हूं, सही बात है जितना सेक्रेटरी को मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल रहा है, उसकी व्यवस्था हमें करना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो राय है उससे मैं अपने को बिलकुल सम्बद्ध नहीं कर सकता। मैं उनका आदर करता हूं और माननीय काशीनाथ जी तो एक नौजवान व्यक्ति हैं, और उनके प्रति हमारे हृदय में बड़ा आदर है।

माननीय मैनेजरसिंह जी भी हमारे पुराने परिचित व्यक्ति हैं, उनका भी मैं आदर करता हूं लेकिन मेरी मजबूरी है, इस प्रस्ताव का जिसका उन्होंने समर्थन किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उसका कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय इन्द्रासन सिंह जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमारा ध्यान आकृष्ट किया और बताया कि आजमगढ़ जिले में क्या हो रहा है, वह हमारे ही जिले से आते हैं। मैंने भी ५०-५५ साल से गांव से अपना सम्बन्ध रखा है, और गांव का प्रतिनिधि होने के नाते जैसा मैंने निवेदन किया है हम सब जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है, उससे अगर हम आंख बन्द कर लेंगे तो यह हमारे लिए उचित न होगा।

आज गांवों की स्थिति क्या है? मन्त्री जी ने विकेन्द्रीयकरण किया है, जिला परिषद् के बारे में भी मैं निवेदन करूं कि मेरा उससे अर्से से सम्बन्ध चला आ रहा है और ३३-३४ वर्ष से म यहां के जिला परिषद् का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा सम्मानित सदस्यों से कि जिला परिषदों की हालत जो पहले थी उससे दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इसका कारण क्या है? हमने विकेन्द्रीयकरण के संकल्प को तो माना है, सारी चीजों को और

[श्री बृजबिहारी]

तमाम अधिकारों को हम नीचे के स्तर पर बांट रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य भी है, हम चाहते हैं कि गांव का स्तर ऊपर उठे। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति अनुभव करे कि सारी सत्ता उसके अन्दर है, हम उसको अनुभव कराना चाहते हैं कि आज वह देश का मालिक है, हम उसको अनुभव कराना चाहते हैं कि सारी सत्ता उसी में निहित है। कहां क्या हो रहा है इस दिशा में वह भी किसी से छिपा नहीं है। अगर हम अपने उस आवरण को शरीर से अलग कर दें, जिसको दलगत आवरण कहते हैं, पार्टी के सदस्य के रूप में कभी-कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हमें काम करना पड़ता है लेकिन जब ऐसी समस्या आ जाय तो हमें पार्टी की बात से ऊपर उठना चाहिए। गांव की दशा इस समय क्या है। जो रुपया गांव को दिया जाता है उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। नाना प्रकार के नामों पर जो पैसा गांव को दिया जाता है उसका ८० प्रतिशत बेकार जा रहा है। मुझे दुख होता है यह कहते हुए लेकिन परिस्थिति से आंख बन्द करना भी उचित नहीं होगा। कौन-सी व्यवस्था लायें, यह प्रश्न विचारणीय है और हम सब लोगों को खुले दिल व दिमाग से इस समस्या पर विचार करना होगा, और इसका निराकरण भी हमको निकालना होगा। बी० डी० ओज हमारे ब्लाक के हैं उनसे मेरी बातें हुई थीं। उनका कहना था कि एक लाख, डेढ़ लाख रुपया कुवें बनाने के लिए एक विकास खंड में दिया गया, लेकिन एक भी कुआं हरिजनों के लिए नहीं बन सका, जो समाज में सबसे नीचे स्तर के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी के सदस्य जो निर्णय कर देते हैं हमको उसे डिग्री मान कर एग्जीक्यूट करना होता है। यह परिस्थिति है ब्लाकों की। एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। एक कांग्रेस वर्कर हैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उसने बताया कि एक ग्राम सेवक ने उससे कहा कि हरिजनों के कुवें के लिए ७०० रुपए मिलने वाला है। २०० आप ले लीजिए, २०० मैं ले लूंगा और ३००, ४०० में कुआं बन जायगा। उस वर्कर ने मना कर दिया। वह ग्राम सेवक मुझे मिला तो मैंने उसे डांटा तो वह 'हें-हें' करने लगा और कहा कि उसने तो मजाक में ऐसा कहा था। बी० डी० ओज के मुताल्लिक मैंने प्रश्न किए थे इस सदन में और मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया था, उनको प्रार्थना-पत्र भी दिया था। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि वे अनुदानों में अपना हिस्सा लेते हैं, ग्राम सेवक अपना हिस्सा लेता है। कोई भी निर्माण का काम ठीक से होना असम्भव-सा हो गया है। इन परिस्थितियों से आंख नहीं मूंदी जा सकती, अगर आंख मूंद ली तो मुल्क रसातल को चला जायगा। आवश्यकता यह है कि हम सब इस पर विचार करें और समस्या का कोई उचित समाधान निकालें।

एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि २२ करोड़ रुपया जो लैंड रेवेन्यू से मिलता है, वह सारा का सारा रुपया हम को गांव सभा को दे देना चाहिए। २२ करोड़ ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि ४४ करोड़ रुपया उनको दे दीजिए। लेकिन यह विचारने का प्रश्न है कि उनको यह ४४ करोड़ रुपया कब दिया जाय? यह रकम तभी दी जानी चाहिए जब एक-एक पैसे का सदुपयोग होता हो। लेकिन हमने जो अधिकार दे दिए हैं उनका दुरुपयोग ही हो रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपने जो अधिकार दिए हैं वे खाने-पीने के हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, बीच में इस तरह से बोलने का आपको कोई हक नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

धारा सभाओं के अधिकार उनको दीजिए कि वह कानून बना कर खुद वसूल कर लिया करें। तो आज जो लोग दलाली खा रहे हैं वे उसके नाम पर नहीं खा सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइए ।

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था, तो उस समय मैंने माननीय काशीनाथ जी से अपना रिश्ता बता दिया था । लेकिन उन्होंने इसका भी खयाल नहीं किया और वे पुनः उठ गए और कुछ कहने लगे । जरा तो लिहाज किया करो भाई । मैं निवेदन कर रहा था कि मैं भी इस राय का हूं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । लेकिन कोई न कोई अंकुश जरूर लगाना होगा, कहीं न कहीं ब्रेक जरूर लगाना होगा ।

आज मैं देख रहा हूं कि देश कहां जा रहा है, और आज जो हमारी समस्या थी वह सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है । हमारे गांव की समस्यायें उलझती चली जा रही हैं । कैसे करें और क्या करें ? यह हमारा ही कर्तव्य नहीं है बल्कि आपका भी पुनीत कर्तव्य है, आवश्यक है कि दोनों पार्टी के लोग एक जगह बैठ कर विचार करें । आज हम इस परिस्थिति पर पहुंच गए हैं कि हम लोगों को दिल खोल कर विचार करना होगा और यह निश्चय करना होगा कि कौन-सा सूत्र हाथ में लें जिससे हमारी समस्याओं का हल निकल सकें । दिन प्रति दिन गांवों की हालत बदतर होती जा रही है । उसको सुधारने के लिए यदि यह कहें कि गांवों को अधिकार दे दिए जायं तो अधिकार दे दिए जायं हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन पैसे के मामले में सतर्क रहना होगा, यह मेरा निवेदन है । उन लोगों को प्रलोभनों से बचाइए । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था करें कि प्रधानों और पंचायतों के सदस्यों का प्रशिक्षण हो जिसमें अच्छे लोग माननीय काशीनाथ मिश्र, मैनेजरसिंह और लोकपाल सिंह वगैरह वहां जावें और उनके कर्तव्यों को उन्हें समझावें । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में उपस्थित किया गया है वह ग्रामीण जनता के हित के लिए किया गया है । गांवों की जो दशा है वह बड़ी खराब है और जबसे यह शासन आया है तबसे दिन प्रति दिन और दुर्दशा होती जा रही है । मुझे आशा थी कि यह गवर्नमेंट गांवों की दशा सुधारने की कोशिश करेगी । लेकिन कुछ नहीं किया गया । मैं समझता था कि सरकार की तरफ से यह संकल्प ८, १०, १५ साल पहले यह आ जाना चाहिए था । लेकिन मैंने उधर से निराश हो कर इस संकल्प को प्रस्तुत किया । जो लोग इधर से उधर से इसके समर्थन में बोले हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं । कुछ लोग जो विरोध में बोले हैं उन्होंने कुछ प्रधानों की निन्दा भी की है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह गांव की जनता के बीच में नहीं रहते हैं । यह उनका दोष भी नहीं है, वहां उनके बीच में न रहने के कारण ही वे सही बात भी नहीं कह सकते ।

उधर से गेंदासिंह जी बोले । मैं जानता था कि उधर जाने के बाद शायद उनमें कुछ परिवर्तन हो गया होगा लेकिन वहां रहते हुए भी उन्होंने गांवों की सच्ची बात को सच्चे हृदय से रखा है

[श्री गंगाप्रसाद वर्मा]

और इसलिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रधानों की आलोचना की है। वह गांव की जनता से चुने हुए लोग होते हैं और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है और अगर माननीय सदस्य प्रधानों के सम्बन्ध में कहते हैं तो जरा वे अपने गले में भी देखें, वे भी इनकी आलोचनायें कर सकते हैं कि ये लोग कहां-कहां क्या करते हैं। ग्रामीण जनता के वोटों से चुन कर आना और फिर उन्हीं के प्रधानों की निन्दा करना यह कहां तक शोभनीय बात है? अगर उनके भाषणों को जनता में वितरित कर दिया जाय और उनसे कहा जाय कि उसके बल पर मत प्राप्त करो तो उनको अपनी असली स्थिति का पता चल जायगा। मैं मन्त्री जी से आशा करता हूं क्योंकि वे और अन्य सभी मन्त्री लोग देहात की जनता से चुनकर आए हैं, उनसे विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि वे गांव की जनता को आगे उठाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और सच्चे हृदय से इसको मान लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री प्रेमसिंह--

(मन्त्री के खड़े होने पर) आप कुछ की जगह सब मान लीजिए तो बड़ी कृपा होगी।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)--

यह जो संकल्प आज हमारे सामने प्रस्तुत है वह बड़ी अच्छी नीयत से पेश किया गया है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं। जितने भी माननीय साथी बोले हैं इसके हक में और विरोध में भी, सब के बारे में मेरा ऐसा खयाल है कि उन्होंने जनहित की दृष्टि से ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिन्होंने विरोध भी किया है उन्होंने तजुर्बा के बिना पर उन्हें जो कठिनाइयां गांव सभाओं में नजर आयी है उनको खयाल में रखकर ही उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। हममें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं चाहता कि हम गांवों और गांव सभाओं को मजबूत न करें, जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं उनको आगे न बढ़ावें। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय पंचायती राज्य में विश्वास रखते हैं या नहीं किन्तु इधर बैठने वाले तो कम से कम पंचायती राज्य में यकीन करते हैं। मेरे दिमाग में कभी यह नहीं आ सकता कि गांव के लोग गलतियां करेंगे और हमारे रुपए को बरबाद करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

उधर के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए।

श्री राममूर्ति--

उनकी नीयत भी खराब नहीं है। उन्होंने कठिनाइयां देखी होतीं, गांव सभाओं के एलेक्शंस में कत्ल हो गये यह उन्होंने देखा होता, तो वह यह समझते कि गांव सभाओं को अभी इतने अधिकार नहीं देने चाहिये लेकिन उनकी नीयत ठीक है। किसी की नीयत नहीं है कि पंचायती राज्य मजबूत न हो। अभी स्वतंत्रता मिले कितने दिन हुए। कितने मखलूक हिन्दुस्तान में हैं जो कि साक्षरता का एक शब्द भी नहीं जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि हिन्दुस्थान के करोड़ों इंसान अपना वोट देते हैं और लोगों को चुनकर भेजते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वे गलत लोगों को चुनकर भेजते हैं। आखिर हम सब गांव के रहने वाले हैं। कौन से शहर में पैदा हुये थे? गांवों में पैदा होकर भगवान की कृपा से यहां आकर बैठ गये हैं। मेरा अपना विचार है कि साधनों को जुटाना जरा मुश्किल काम है। मेरी ख्वाहिश है और बराबर इस बात का प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया गांव सभा के हाथ में रखा जाय पर कुछ कठिनाई है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जितना भी प्लानिंग का काम है जिसका संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है वह सब उनके द्वारा होना चाहिये। आखिर यह सब काम ग्रामीण लोगों के लिये ही हो रहा है। अगर लघु सिंचाई योजना में ४०० करोड़ रुपया खर्च होने वाला है तो वह उन लोगों के लिये ही होगा।

अगर ड्रेनेज, बांध, बड़ी सिंचाई, बिजली के कारखाने खुल रहे हैं तो इनका लाभ गांव के रहने वाले लोगों को पहुंचेगा ।

बिजली का जितना भी काम हो रहा है उससे हमारे गांव एलेक्ट्रिफाई होंगे । जैसा हमारे मंत्री जी ने कल कहा था कि १६ या २० हजार गांवों में अगले प्लान में हम बिजली लगाने जा रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है वह उन गांवों के लिये ही हो रहा है जिनके लिये आप लोग यहां पर कहते रहते हैं । इसके लिये पूरी योजना है । हमारे गांव समाज जितने भी मजबूत होंगे उतना ही मजबूत हमारा पंचायत राज होगा । अगर हमारे गांव समाज मजबूत नहीं होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र भी मजबूत नहीं होंगे और पंचायत राज मजबूत नहीं होगा । और हिन्दुस्तान के अन्दर जिस व्यवस्था को हम लाना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो सकती है । जब तक लोग गरीब बने रहेंगे, जब तक लोगों की बेसिक जरूरतें नहीं पूरी होंगी तब तक हमारा पंचायती राज सही रूप में नहीं बन सकता है । सब से अच्छी बात उनके लिये यह है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम बचाकर उनको दें और वह मेहनत से काम करें तब कुछ हो सकता है और उनको लाभ पहुंच सकता है ।

आज दिक्कत क्या है ? दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में बड़ा अन्तर है । जो प्रैसिडेंसी स्टेट हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मद्रास है, बंगाल है, वे स्टेट हमसे बहुत अधिक फायदे की स्थिति में हैं । उनके यहां सेल्स टैक्स का इतना रुपया वसूल होता है कि जो हमसे बहुत अधिक है । उनका छोटा रकबा है और आबादी भी कम है लेकिन आमदनी इसमें उनको बहुत होती है । ६८ करोड़ रुपया उनके यहां सेल्स टैक्स का वसूल होता है । हमारे साधन सीमित हैं । हमारे यहां कारखाने भी नहीं हैं, खनिज पदार्थ भी नहीं हैं । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । हमारी आमदनी बढ़ नहीं पाती है । हमारे पास जो लोन भारत सरकार से आता है उसके बारे में आप सब जानते हैं । हमने यहां पर एक साधन समिति बैठा रखी है । उस कमेटी में गेंदा सिंह जी भी हैं । वह उस समय ही उस कमेटी में रखे गये थे जब वह विरोधी दल में थे । वह इस वजह से कि सब भाइयों के ख़यालात हमको प्राप्त हों और हम यह चाहते थे कि सब लोगों के विचार से, और विचारों के समन्वय से जो चीज निकलेगी वह अधिक उचित होगी । इस वजह से वह कमेटी बिठाई गई । वह कमेटी बहुत कुछ अपना कार्य कर चुकी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि उसका काम खत्म होने के बाद हमारे साधन कुछ ऐसे निकलेंगे जिनसे हमारी आमदनी बढ़ेगी । यदि उससे आमदनी बढ़ेगी तो हम जरूर इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हमारी पंचायतों के हाथ में ज्यादा रुपया दिया जाय, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति को न दिया जाय बल्कि गांव सभा के स्तर पर रुपया दिया जाय । वहां पर रुपये का दुरुपयोग हो सकता है लेकिन कभी यदि ऐसा होगा और जो करेंगे वहां की जनता स्वयं ही उनको हटा देगी । यदि सदुपयोग करेंगे तो वहां रहेंगे । इसी खयाल को लेकर मैं कई स्टेट में गया । मैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में गया, मैंने वहां देखा कि लोगों ने बड़ा सहयोग अपने प्रदेश को दिया और गांव सभाओं के जरिये भी अपने साधन उन्होंने बढ़ाये और काफी अपने पर टैक्सेशन किया । उसका जिक्र इसलिये नहीं करूंगा कि लोग कहेंगे कि मैं टैक्सेशन की बात कर रहा हूं । लेकिन उन्होंने मकान पर, एजूकेशन पर टैक्स लगाया और चूंकि वह उस काम को कर रहे हैं, सरकार भी उनको मदद देती है । इसलिये उनका काम बढ़ रहा है और वह तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं ।

इसलिए मैं इस संकल्प के प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी भावना को समझते हुए और मैं जितनी सच्चाई के साथ कह सकता हूं वह कहता हूं कि मैं निरन्तर प्रयास कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले चाहे वह किसी डिपार्टमेंट का हो, वह गांव सभाओं को मिलना चाहिये । इसी से हमारा पंचायत राज मजबूत होगा । इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि वर्मा जी इसको कृपया वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री गंगा प्रसाद वर्मा से) आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

इस संकल्प में मैंने कोई नियत धनराशि का उल्लेख नहीं किया है, आप विरोधियों को बुला लें और अपनी ओर के माननीय सदस्यों को बैठाकर कोई धनराशि निश्चित कर लें जो कि गांव सभाओं को मिले। मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार अविलम्ब यह व्यवस्था करे जिससे कि जिस ग्राम से जितनी मालगुजारी वसूल की जाय उसका एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिये उक्त ग्राम सभा को दे दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

## पंचवर्षीय योजनाओं से हुई प्रगति की जांच एवं सुझाव देने हेतु एक कमेटी की स्थापना के संबंध में संकल्प

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनायें :

(१) अब तक राज्य के सामान्य जन के जीवन-स्तर में वृद्धि करने, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती हुई विषमता, बेकारी और केन्द्रीयकरण को रोकने,

(२) अभाव और महंगाई, कर और कर्जा, परावलम्बन और परानुकरण की भावना को कम करने,

(३) अधिकाधिक क्षेत्र पर राज्य के बढ़ते हुये स्वामित्व और नियंत्रण की दृष्टि से व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेरणा पर अनुकूल परिणाम डालने,

(४) व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं और राज्य की आन्तरिक सुरक्षा एवं सामर्थ्य की गारन्टी देने,

में कहां तक सफल हुई है, इसकी जांच करने के लिये सरकार एक कमेटी की स्थापना करे जो कि ऐसे व्यावहारिक सुझाव भी दे जिससे कि नियोजन द्वारा राज्य के सीमित साधनों का न्यूनतम काल में अधिकतम लाभ के लिये प्रयुक्त कर समाज की स्थायी निष्ठाओं एवं मर्यादाओं की ठीक भूमिका पर राज्य में सुख और समृद्धि का निर्माण शीघ्र किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो मैंने माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है अत्यन्त महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पिछले १५ वर्षों में राज्य की समस्त आर्थिक व्यवस्था नियोजन के द्वारा संचालित हुई है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी, पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं। तृतीय अपने अंतिम चरण में चल रही है। इन सब के द्वारा हमारी समस्याओं हमारे प्रदेश और देश की समस्याओं का कहां तक समाधान हुआ है, उनमें कितना परिवर्तन हम कर सके हैं, यह हम सभी जानते हैं। मैं प्रारम्भ में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो तीन योजनायें हमने कार्यान्वित की हैं उनका वंचित फल हमें प्राप्त नहीं हुआ है और हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा यह नहीं कि हम उनमें विश्वास नहीं करते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यूनतम काल में अधिकतम उपलब्धियों के विचार से मैं समझता हूं कि नियोजन आवश्यक है, विशेषकर पिछड़े हुये देश और प्रदेश के लिये । इसलिये मैं प्रारम्भ में ही यह बात कहना आवश्यक समझता हूं कि हमारे दूसरी तरफ के बैठने वाले, संकल्प के अभिप्राय को न समझ कर, केवल वही पुरानी बातें न दोहराने लगें कि भारतीय जनसंघ तो नियोजन में विश्वास नहीं करता तथा और अनर्गल बातें करने की आवश्यकता नहीं है । मैं मानता हूं कि प्रदेश और देश की समस्यायें, आवश्यकतायें और यहां के साधन और आदर्शों को दृष्टि में रखते हुये ही कोई नियोजन चल सकता है । पिछले दिनों में कुछ उपलब्धियां जरूर हुई हैं । लेकिन वे किस मूल्य पर हमें प्राप्त हुई हैं, यह भी हमको सोचना होगा । जो उद्देश्य नियोजन के हमने रखे हैं उनमें हम कितने सफल हुये हैं ? हमारे यहां नयी समस्यायें और आर्थिक तनाव पैदा हुए और हम एक संकट काल से गुजर रहे हैं । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि खाद्यान्न का अभाव है, महंगाई मुंह बाये खड़ी है, मुद्रा-स्फीति बढ़ी है, आर्थिक विषमतायें बढ़ी हैं, अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला जा रहा है, दैनिक आवश्यकताओं का अभाव होता जा रहा है । तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि जिस पथ पर हम चल रहे हैं उसके लिये हम शांति से बैठकर विचार करें कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, जो फल हम चाहते हैं वह सारे देश और प्रदेश की शक्ति लगाने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा है ? इसलिये हमने इस बात को यहां रखा कि एक निर्दलीय रूप से इस पर विचार किया जाय । योजनाओं की असफलता से हम सभी चिंतित हैं । इसलिये आवश्यक है कि हम ऐसा आयोग बैठायें जो सारी बातों में जाकर इस बात का पता लगावे कि आखिर हमारे प्रयत्नों का पूरा फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है ।

अक्सर उधर से कहा जाता है कि हमारी योजनायें सही हैं और उनके उद्देश्य सही हैं लेकिन उनका कार्यान्वियन ठीक नहीं है । यदि गम्भीरता से विचार किया जाय और जिस प्रकार से योजनायें चल रही हैं और उससे जो समस्यायें बढ़ती जा रही हैं, उससे ऐसा अनुभव होता है कि जो योजनायें हमने प्रस्तुत की हैं वे देश और प्रदेश और काल के अनुरूप नहीं हैं । देश की वास्तविक स्थिति को न देखकर, जनता के दृष्टिकोण को न समझ कर, देश के साधनों और आवश्यकताओं पर आधारित न करके, हम दूसरे देशों की नकल करके ऐसी योजनाय इस देश में लाये हैं जिनसे हम कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं बल्कि उल्टे विनाश की ओर जा रहे हैं । नियोजन का जहां तक संबंध है, उसे एक राष्ट्रीय प्रश्न बनाकर, उसके संबंध में एक सही दृष्टिकोण रखना चाहिये । आखिर सरकार की ओर से यह अवश्य कहा जायगा कि उसने जो योजनायें बनाई हैं उनमें क्या गलती है, दूसरे दलों का क्या दृष्टिकोण है, हमको क्या परिवर्तन करना चाहिये और क्या दूसरे दलों के सुझाव हैं । यह सब बातें जानने का अधिकार भी आपको है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि जो योजना के उद्देश्य हमने अपने सामने रखे थे उसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकते कि हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई । हमने अपना यह लक्ष्य बनाया था कि इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम आर्थिक विषमताओं को समाप्त करेंगे, लोगों को समान स्तर पर लायेंगे और लोगों की जो रोज की आवश्यकतायें हैं उन्हें पूरा करेंगे । लेकिन आज जो भी तथ्य प्रकाश में आये हैं उनसे पता चलता है कि योजना के बाद भी आज आर्थिक विषमता और बढ़ रही है ।

अभी महालानोबीस रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है जो कि एक सेंट्रल कमेटी इसी बात के लिये बिठायी गई थी, उसमें स्पष्ट यह कहा गया है कि जिस तरह से प्रथम और द्वितीय योजनायें कार्यान्वित हुई हैं उनसे देश के एक प्रतिशत लोगों को महानतम उपलब्धियां प्राप्त हो गईं और आर्थिक शक्ति उनके साथ में केंद्रित हो गई । ज्वाइंट कम्पनीज का उद्भव हुआ है और देश में उनके द्वारा सारी आर्थिक शक्ति पर एक एकाधिकार कर लिया गया है । यह सरकार की कमेटी की रिपोर्ट है । विषमता बढ़ी है । इसी के साथ साथ जो प्लानिंग

[श्री शारदाभक्तसिंह]

कमीशन के द्वारा एक अप्रेजल निकला है तीसरे वर्ष में, उसमें यह कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में लोगों के पर कैपिटा कन्जम्पशन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनकी इनकम में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रति व्यक्ति आय लगभग २७० रुपये सालाना बताई गई है जो प्रति मास एक व्यक्ति की २२ रुपये की आमदनी आती है । उसमें यह भी कहा गया है कि ७० पैसे प्रति दिन एक व्यक्ति को खर्च के लिये प्राप्त हो, उससे साधारण जीवनयापन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिये जहां एक प्रतिशत लोगों के हाथ में एक ओर सारी आर्थिक सत्ता केंद्रित हो गई है वहीं दूसरी ओर ९९ फीसदी लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसको हम उचित और वांछनीय नहीं कह सकते । तो इससे इनकार हीं किया जा सकता कि हमने आर्थिक विषमता को दूर नहीं किया ।

बेकारी के प्रश्न पर हम अधिक नहीं कहना चाहते । सभी को मान्य है कि इस समस्या को हम हल नहीं कर पाये । जहां हम थोड़े लोगों को काम देते हैं, योजना के अन्त में उससे अधिक लोग बेकार हो जाते हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो प्रारूप हमारे सामने आया है उससे हम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि इस प्रदेश और देश के लोगों को, सबको हम काम दे सकें । जहां तक मूल्यों का सवाल है, कई बार इस माननीय सदन में इस पर बहस हो चुकी और मैं समझता हूं सरकार भी इसको अनुभव करती है कि गगनचुम्बी मूल्यों को कम करना उसकी सामर्थ्य के बाहर हो रहा है । इसी तरह और भी जितने उद्देश्य हमने अपने सामने रखे हैं लगभग सभी उद्देश्यों की पूर्ति हम नहीं कर सके । देश का दारिद्र्य हम समाप्त नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि योजना और पंचवर्षीय योजना के नाम की रट लगाते हुये कार्यक्रम हम चालू रखें, फल उसका हमें कुछ प्राप्त न हो, जनता में निराशा बढ़ती जाय, समस्यायें मुंह बाये रोज खड़ी होती रहें, तो आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि हम बैठकर पुनर्विचार करें और इस मन से बैठें कि अगर योजनाओं में कोई गलती है और उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो उसे करना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में हमें और आपको विचार करना होगा, इसीलिये मैंने यह संकल्प रखा है कि योजनाओं का स्वरूप क्या हो । मैं ऐसा समझता हूं कि आज देश के सामने एक अभाव का वातावरण चल रहा है । जहां एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के नाम पर आप पूंजीवाद की जड़ें जमाये रखना चाहते हैं और पूंजीवाद का कोई ऐसा रूप देना चाहते हैं कि लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उसे सहन कर सकें, वहां दूसरी ओर समाजवाद के नाम पर लोगों के सामने सरकार का जो क्षेत्र है उसे विकसित करते जा रहे हैं । इस प्रश्न को सामने रख कर कि शोषण को अगर समाप्त किया जा सकता है तो वह समाजवाद से ही समाप्त किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर आप लोगों को पूंजीवाद में जकड़ें रखना चाहते हैं । सारे आर्थिक क्षेत्र में एकाधिकार बना कर सरकार समाजवाद के नाम पर जनता के ऊपर हावी होना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप देर तक अभी बोलेंगे ?

श्री शारदाभक्तसिंह—

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब आप अगले दिन बोलेंगे ।

अब हम उठते हैं और सोमवार, २६ अप्रैल, १९६५, को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २६ अप्रैल, १९६५, के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया । )

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२३ अप्रैल, १९६५ ।

# नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९५ पर]

## मलौनी बांध के कटाव की रिपोर्ट

सन् १९५५ से नदी बांध के सातवें मील के फर्लांग १.६ और ६ठवें मील के फर्लांग ५.८ की ओर बढ़ रही है। सन् १९६२ की बाढ़ के दौरान कटाव ७वें मील के फर्लांग १.२ और ६ठवें मील के फर्लांग ५.८ में विशेष रूप से भीषण था। अब नदी की अधिकतम दूरी बांध के ७वें मील के ६ फर्लांग में ९०० फीट है और न्यूनतम ६ठवें मील के ६ठवें फर्लांग में ४०० फीट रह गयी है। पिछली बाढ़ में ३३९ फीट के कटाव और १९६३ में बड़ी गन्डक के भारी मात्रा में राप्ती में पानी आ जाने की संभावना के कारण यह खतरनाक है। ऐसी दशा में ७ वें मील के फर्लांग १.६ और ६ ववें मील के फर्लांग ५.८ में नदी के कटाव से बांध की रक्षा करना आवश्यक हो गया है। सन् १९६२ की बाढ़ में १०.५ फीट प्रति सेकेन्ड पानी के बाहर और हाई फ्लड लेविल के ४५ फीट गहरे स्कोर से ज्ञात होता है कि हाई फ्लड लेविल के ३० फीट गहराई तक एप्रन और केवल २ फीट की मोटाई के एप्रन से काम नहीं चलेगा और बचाव के प्रस्ताव में कम से कम हाई फ्लड लेविल के ४५ फीट गहराई तक ३ फीट मोटी पिचिंग होनी चाहिये। नदी के कटाव से मलौनी बांध को ७वें मील के फर्लांग १.६ और ६ठवें मील के फर्लांग ५.८ में बचाने का आगणन में (अ) ऊपर उल्लिखित स्टेन्डर्ड के आधार पर ७वें मील के ४ फर्लांग और ६ठेवें मील के ५.८ फर्लांग में ब्लाक कंकड़ पिचिंग तथा एप्रन लाचिंग का, (ब) ७वें मील के फर्लांव १.३ और ५.६ फर्लांग तथा छठें मील के फर्लांग ७.८ में वर्तमान एप्रन की गहराई और चौड़ाई को समुचित स्तर पर लाने का प्राविधान है। इमरजेन्सी के विचार से आगणन को दो भागों में बांट दिया है। पहले भाग में वह प्रस्ताव है जो कि तुरन्त होने हैं और १९६३ की बाढ़ से पहले ही पूरे हो जाने चाहिये। इस मार्ग में ७वें मील के फर्लांग १.२ और ६ठे मील के फर्लांग ५.८ में बाद की रक्षा का कार्य सम्मिलित है। इस स्थान पर नदी बांध के ५०० फीट के अन्दर है और कटाव की भारी संभावना है। दूसरे भाग में ७वें मील के फर्लांग ३.६ में बांध की रक्षा का प्राविधान है। यद्यपि इस भाग में बांध से नदी की दूरी ५४० फीट से ९०० फीट है, तथापि सन् १९६२ की बाढ़ में नदी के कटाव के रुख से जाहिर होता है कि बांध के लिये तुरन्त कोई खतरा प्रत्यक्ष नहीं है और आगे का रुख सावधानी से देखना है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुये यह भाग-अलग अलग बनाये गये हैं। इस भाग की रक्षा का कार्य तभी लिया जायेगा जबकि नदी बांध से केवल ५०० फीट रह जाये और अवश्यम्भावीरूप से बांध की ओर बढ़ती रहे।

### विकल्प

### ६ठे मील के फर्लांग ५–६ में २ स्परों का निर्माण

६ठे मील के फर्लांग ५ और ६ में एप्रन बनाने की अपेक्षा स्परों का बनाना इसलिये भी लाभदायक हो सकता है कि इस से नदी का मार्ग बांध से दूर हटा रहेगा और बहुत पहले इसके कि कटाव बांध तक पहुंचे, स्पर की नोजिंग पर एप्रन डालने में किसी दरार की मरम्मत संभव हो सकेगी। यदि यह बिलकुल असफल भी हो जाये तो भी इस से एक प्रकार की चेतावनी मिलेगी ताकि बांध की रक्षा का जो भी आवश्यक प्रबन्ध किया जा सकेगा। एप्रन के असफलता के तुरन्त बाद जहां दरार पड़ जाती है वहां एप्रन के डालने में यह सुविधायें उपलब्ध नहीं होगी।

## नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९६ पर]

### तहसील फरेन्दा

१—श्री सन्त सरन लाल
२—श्री परमात्मा प्रसाद
३—श्री राम प्यारे प्रसाद
४—श्री काजीलाल
५—श्री पारस लाल

### तहसील बांसगांव

१—श्री राम लखन लाल
२—श्री राम चन्दर लाल
३—श्री सत्य नारायन लाल
४—श्री दया शंकर लाल
५—श्री राम दुलारे लाल
६—श्री लालता लाल
७—श्री भवानी प्रसाद
८—श्री ज्वाला प्रसाद

### तहसील सदर

१—श्री शिवपूजन लाल
२—श्री राम वृक्ष लाल
३—श्री शिव शंकर लाल
४—श्री दया शंकर लाल
५—श्री ठाकुर प्रसाद
६—श्री राजधारी लाल
७—श्री ज्वाला प्रसाद

### तहसील महराजगंज

१—श्री अब्दुल रहमान
२—श्री छैल बिहारी
३—श्री राजाराम
४—श्री अभय चरन लाल
५—श्री राम सांवरे
६—श्री राम प्यारे लाल
७—श्री राजधारी लाल
८—श्री राम बिहारी लाल
९—श्री शिव शंकर लाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर]

## फर्रुखाबाद जिले के विद्यालयों की सूची जिनको क्षति-पूर्ति अनुदान नहीं दिया गया

| विद्यालय का नाम | विद्यालय बालकों का है या बालिकाओं का | विद्यालय का स्तर | प्रबन्ध समिति का नाम | वर्ष जिसमें अनुदान नहीं दिया गया |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १—बालिका विद्यालय कायमगंज। | बालिका | जू० हा० स्कूल | प्राइवेट | १९६४-६५ |
| २—के० एस० आर० कम्पिल। | बालक | उ० मा० वि० | ,, | १९६४-६५ |
| ३—एच० एल० वी० छिबरामऊ। | बालक | हा० से० स्कूल | ,, | १९६१-६२ १९६४-६५ |
| ४—स्वामी रामानन्द शुकुल्लापुर। | ,, | ,, | ,, | १९६४-६५ |
| ५—एम० जी० मढपुरा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६—आर० वी० सौरिख | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ७—एस० ई० एन० तेराजाकेट। | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६४-६५। |
| ८—आदर्श थतिया | ,, | जू० हा० स्कूल | ,, | १९६१-६२ |
| ९—सरदार पटेल, कचाटीपुर। | ,, | हा० से० स्कूल | ,, | १९६१-६२, १९६४-६५। |
| १०—जी० पी० एस० मूराखिरिया। | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ११—जनता मुर्रा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| १२—के० के०, रजलामई | ,, | जू० हा० स्कूल | ,, | ,, |
| १३—सुभाष, नादेमऊ | ,, | ,, | ,, | १९६४-६५ |
| १४—ए० बी० एस० ताहपुर। | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३। |
| १५—जनता, खैरनी | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५। |
| १६—गांधी जनता, भुन्ना | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६४-६५। |
| १७—गर्ल्स छिबरामऊ | बालिका | हा० से० स्कूल | ,, | १९६१-६२, ६२-६३, ६४-६५। |

| विद्यालय का नाम | विद्यालय बालकों का है या बालिकाओं का | विद्यालय का स्तर | प्रबन्ध समिति का नाम | वर्ष जिसमें अनुदान नहीं दिया गया |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १८—गोवर्धन देवी (गुंधनी) कन्नौज । | बालक | जू० हा० स्कूल | ,, | ,, |
| १९—जनता मंधना | ,, | हा० से० स्कूल | ,, | ,, |
| २०—आदर्श रेलवे कालोनी फतेहगढ़ । | ,, | जू० हा० से०स्कूल | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| २१—आर० एस० एस० मीरापुर । | बालक | उ० मा० वि० | प्राइवेट | १९६४-६५ |
| २२—डी० एन० अमृतपुर | ,, | ,, | ,, | १९६४-६५ |
| २३—के० एस० मकरदनगर | ,, | जू० हा० स्कूल | ,, | १९६१-६२, १९६४-६५ । |
| २४—प्रेम विद्यालय, रैसेपुर | ,, | ,, | ,, | ,, |
| २५—नेहरू, उखरा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| २६—जनता, राजेन्द्रनगर | ,, | उ० मा० वि० | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| २७—एस० एन० ई० एम० कायमगंज । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| २८—ए० वी० शमशाबाद | ,, | ,, | ,, | ,, |
| २९—आर० पी० कमालगंज | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३०—आर० वी० एम० अकबरपुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३१—वी० एस० आर० सिकन्दरापुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३२—फिरोजगांधी, कमालगंज । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३३—एम० एम० एम० गुरुसहायगंज । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३४—भारतीय, महेशनगर | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ३५—पंडित बाबूराम, मोहम्मदाबाद । | ,, | जू०हा० स्कूल | ,, | ,, |
| ३६—आदर्श विद्यालय, कायमगंज । | ,, | ,, | ,, | ,, |

अमर उजाला विधान सभा

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ३७—सार्वजनिक, सनकिसा | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ३८—भारतीय कृषक, मीम करौली | ,, बालक | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| ३९—आदर्श जनता महलाय-खुमारपुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ४०—जनता नवाबगंज | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ४१—स्वामी दीनबन्धु, सीरोली । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ४२—जनता, रसीदाबाद, तिवारियान । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ४३—स्वामी धाराधर, अलीनगर । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| ४४—भारतीय, कायमपुर सौरिख । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ४५—हरीपुरी, काबाबा | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| ४६—सुभाष, गदनपुर, तुर्रा | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ४७—गंगापार, राजेपुर | बालक | जू० हा० स्कूल | प्राइवेट | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| ४८—सर्वोदयी, पिपरगांव | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ४९—ग्रामीण जनता, निधौली | बालक | जू० हा० स्कूल | प्राइवेट | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ५०—राष्ट्रीय, ऊंचा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५१—स्वामी रामनाथ, जिजोटा, बाजार । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५२—सुभाष, मेरा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५३—जनता, बालनपुर | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५४—सुभाष, लिलुइया, बालनपुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५५—आदर्श, पिटोरा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५६—आदर्श, मोहनपुर | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५७—जे० एल० नेहरू, हसेरन | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५८—आदर्श, तुर्क लिलुइया | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ५९—गांधी, राजपुर | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६०—जे० एल० नेहरू, हुसेनपुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६१—जी० एस० बी० खामा | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ६२—गांधी जनता, नगला, खैरबन्द । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ । |
| ६३—जे० एल० नह , जरारी | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६४—जू० हा० स्कूल, सिकन्दरपुर । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६५—लोधी राजपूत, तिरवा | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२, १९६२-६३ । |
| ६६—बी० बी० हजेला, तालग्राम । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६७—रमेश जनता, विजाधरपुर । | ,, | ,, | ,, | १९६१-६२ १९६२-६३, १९६४-६५ । |
| ६८—जनसेवक आदर्श, बड़खेरी । | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ६९—जू० हा० स्कूल, कायमगंज । | ,, | ,, | नगरपालिका | १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ |
| ७०—गोमती देवी, मकरन्दपुर । | बालिका | ,, | प्राइवेट | ,, |
| ७१—राम दुलारी, मढ़पुरा | ,, | ,, | ,, | ,, |
| ७२—गर्ल्स, कायमगंज | ,, | ,, | नगरपालिका | ,, |

विधान सभा

# नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९८ पर ]

| नाम लेखपाल | कार्य करने की अवधि | सेवा से पृथक किये जाने का कारण |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| १—श्री नवल किशोर | ४-४-५३ से ३१-३-६० और २३-११-६२ से ७-७-६४ तक । | स्थायी लेखपाल के आ जाने से । |
| २—श्री रघुनाथ प्रसाद | ४-४-५३ से १६-३-६० तक और २१-१-६३- से ३१-७-६४ तक । | स्थायी लेखपाल के आ जाने से । |
| ३—श्री कृष्ण दत्त | १-३-६१ से २५-९-६४ तक | श्री अंगद प्रसाद, असल लेखपाल, के चार्ज लेने के कारण । |
| ४—श्री गिरन्द सिंह | १७-११-६० से २५-९-६४ तक | श्री शिवराज सिंह, असल लेखपाल, के आने के कारण । |
| ५—श्री सुरेन्द्र पाल | १३-१०-५९ से २८-९-६४ तक | श्री परशुराम, असल लेखपाल, के चार्ज लेने के कारण । |
| ६—श्री प्रकाश नारायण | १६-५-५९ से २९-९-६४ तक | श्री कृष्ण बिहारी, लेखपाल जो इनसे सीनियर था, के चार्ज लेने के कारण । |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर]

| क्रम-संख्या | व्यक्ति का नाम | क्षेत्रफल | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बीघा | विस्वा | विस्वान्सी |
| १ | २ | | ३ | |
| १ | श्री बोधे .. .. .. | ० | १८ | ० |
| २ | ,, रामपति .. .. .. | १ | १२ | ० |
| ३ | ,, गनेश .. .. .. | ० | ५ | १० |
| ४ | ,, महादीन .. .. .. | ३ | ० | ० |
| ५ | ,, नागेश्वर .. .. .. | ० | १२ | १० |
| ६ | ,, पाटन .. .. .. | ० | १२ | १० |
| ७ | ,, मुन्नू .. .. .. | ० | १७ | ० |
| ८ | ,, भगवान .. .. .. | ० | ११ | १० |
| ९ | ,, झब्बू .. .. .. | ० | ६ | ० |
| १० | ,, राजनारायण .. .. .. | १ | १७ | ११ |
| ११ | ,, राम विलास .. .. .. | १ | ३ | १० |
| १२ | ,, शीतल .. .. .. | ० | ३ | ० |
| १३ | ,, छब्बा .. .. .. | १ | ७ | ० |
| १४ | ,, सियाराम .. .. .. | ० | १६ | ० |
| १५ | ,, जगतनारायन .. .. .. | २ | १४ | १० |
| १६ | ,, मातादीन .. .. .. | ० | ३ | ० |
| १७ | ,, शिवदर्शन दास .. .. .. | ० | ८ | ५ |
| १८ | ,, प्रेमसागर .. .. .. | ० | ५ | ० |
| १९ | ,, मनोराम .. .. .. | ६ | १७ | ५ |
| २० | ,, गंगा प्रसाद .. .. .. | २ | १६ | ० |
| २१ | ,, राम मनोरथ .. .. .. | २ | १२ | ० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

### सूची

### क्षेत्र में सड़क विकास की योजनान्तर्गत गोरखपुर जिले में स्वीकृत सड़कों का विवरण

| सड़क का नाम | स्वीकृत लम्बाई | स्वीकृत लागत |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | रु० |
| १—नौतनवा तरती बारी सड़क का शेष भाग का नव निर्माण । | ८ मील १ फ० | १९,४०,००० |
| २—निचलौल धेसूघाट-बहुआर सड़क तथा उस पर पड़ने वाले पुलों का नव निर्माण । | ८ मील | १६,००,००० |
| ३—मोहन लोटन कुलही सड़क तथा उस पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण (गोरखपुर व बस्ती जिलों में) । | १२ मील ४ फ० | २८,४५,००० |
| ४—गोरखपुर-फरेंदा नौतनवा सोनअली सड़क तथा उस पर पड़ने वाले पुलों का सुधार । | ६० मील | ३६,०५,००० |
| ५—निचलौल थुथीबारी सड़क तथा उस पर पड़ने वाले पुलों का सुधार । | ८ मील ५ फ० | ११,४०,००० |
| ६—सिसवा-निचलौल सड़क पर आमताल के पुल का पुनर्निर्माण । | — | २,३०,००० |

संसद पुस्तकालय

## नत्थी 'छ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२२ पर]

| क्रम-संख्या | कर्मचारियों के नाम जिनके विरूद्ध शिकायतें पाई गईं | किस प्रकार की शिकायतें थीं | क्या कार्यवाही हुई |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री भंवरी सिंह, चकबन्दी अधिकारी | अन्तिम अभिलेख की जांच में असावधानी | चरित्र पंजिका में निन्दनीय उल्लेख किये जाने की आज्ञा दी गई । |
| २ | श्री सैयद जहीर अली, सहायक चकबन्दी अधिकारी । | अन्तिम नक्शे की जांच में असावधानी | चरित्र पंजिका में निन्दनीय उल्लेख किये जाने की आज्ञा दी गई तथा चकबन्दी कर्त्ता के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया । |
| ३ | श्री गिरधारी लाल, कायम मुकाम चकबन्दी कर्त्ता । | अन्तिम नक्शे की जांच में असावधानी | मूल पद पर बतौर लेखपाल जिला फतेहपुर को वापिस करने तथा निन्दनीय उल्लेख करने का आदेश दिया गया । |
| ४ | श्री मुहम्मद अयूब, चकबन्दी कर्त्ता | अन्तिम अभिलेख की जांच में असावधानी | तम्बीह करने का आदेश दिया गया । |
| ५ | श्री जगदेव सिंह, सहायक चकबन्दी अधिकारी | चक काटने में प्रभावशाली खातेदारों की तरफदारी | बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को जांच करने का आदेश दिया गया । |
| ६ | श्री श्रीपाल यादव, लेखपाल | चकबन्दी योजना से एक बीघा जमीन बाहर करने के लिये ३५ रुपये रिश्वत लेना । | बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को जांच तथा उचित कार्यवाही करने के लिये आदेश दिया गया । |
| ७ | श्री अवधेश नन्दन मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी । | मूल्यांकन तथा चक बनाने में गड़बड़ी | चरित्र पंजिका में निन्दनीय उल्लेख करने का आदेश दिया गया । |
| ८ | श्री जानकी प्रसाद जैसवाल, चकबन्दी अधिकारी । | चक की योजना तथा मूल्यांकन की जांच में असावधानी एवं चरित्रहीनता । | चरित्र पंजिका में निन्दनीय उल्लेख करने का आदेश दिया गया तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया । |
| ९ | श्री शिव नन्दन लाल बाजपेयी, सहायक चकबन्दी अधिकारी । | अवैध समझौते पर सहखातेदारी का हुक्मदेना, गलत तौर पर सही खरीददार का नाम काटना और आबादी दर्ज करना । | यह अब चकबन्दी विभाग में नहीं हैं क्योंकि इनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं । |
| १० | श्री गोकरन, लेखपाल | नाम दर्ज करने के लिये २०० रु० रिश्वत मांगना | बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को जांच करने तथा उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया गया । |

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२७ पर)

## संलग्न "क"

उन ५१ अतिरिक्त विद्यालय उप निरीक्षकों के नाम जो दिसम्बर, १९६२ में पदों के समाप्त होने के कारणवश अपने विद्यालय प्रति उप निरीक्षक के स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित हुए

१—श्री बाबू राम अग्रवाल
२— ,, अनन्त स्वरूप शर्मा
३— ,, बंस देव सिंह
४— ,, कमला प्रसाद पांडेय
५— ,, कन्हैया प्रसाद सिंह
६— ,, चन्द्रभूषण सिंह
७— ,, यकीन अहमद हाशमी
८— ,, रघुनाथ सहाय
९— ,, दर्शन सिंह
१०— ,, हरस्वरूप सक्सेना
११— ,, मोहम्मद हनीफ
१२— ,, चरण सिंह
१३— ,, कोदई उपाध्याय
१४— ,, जोधराज सिंह
१५— ,, जगन्नाथ प्रसाद अवस्थी
१६— ,, धनेश्वर नाथ श्रीवास्तव
१७— ,, सत्य प्रकाश मित्तल
१८— ,, प्रेम शंकर गौड़
१९— ,, भगवान स्वरूप सक्सेना
२०— ,, बाल कुमार खरे
२१— ,, रामनाथ गुप्त
२२— ,, गौरीशंकर उपाध्याय
२३— ,, ब्रह्म कुमार मिश्र
२४— ,, लीलाधर पांडेय
२५— ,, जगदीश प्रसाद सक्सेना
२६— ,, विश्वनाथ प्रसाद गुप्त
२७— डाक्टर विष्णु गोपाल
२८—श्री सूर्य देव प्रसाद सिंह
२९— ,, लक्ष्मीनारायण सचदेव
३०— ,, राघव प्रसाद उपाध्याय
३१— ,, विल्फ्रेड डैनियल
३२— ,, जगदीश प्रसाद धीमन
३३— ,, बलवीर सिंह
३४— ,, कोलेश्वर सिंह
३५— ,, उदित नारायण सिंह
३६— ,, देवदत्त शर्मा
३७— ,, राजेन्द्र प्रकाश
३८— ,, भगवती प्रसाद वाजपेयी
३९— ,, राम ज्योति मिश्र
४०— ,, अब्दुल हामिद खां
४१— ,, ओम प्रकाश शर्मा
४२— ,, अबू सैयद रिजवी
४३— ,, घनश्याम तिवारी
४४— ,, देश बन्धु
४५— ,, जगदीश शंकर नागर
४६— " उग्रसेन
४७— ,, गेंदा लाल दीक्षित
४८— ,, बचन लाल सागर
४९— ,, गौरी राम शिल्पकार
५०— ,, भाई लाल नायक
५१— ,, सेवक राम विद्यार्थी

बी० एन० जोशी,
सहायक उप शिक्षानिदेशक (से०),
कृते शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

## नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

| | १९६२ से | १९५७ से १९६२ | १९४९–१९५७ | १९४९ से पूर्व |
|---|---|---|---|---|
| प्रोफेसर | १,०००–५०–१,५०० | ५००–५०–१,२५० | ८००–५०–१,२५० | ६००–३०–९००–५०–१,००० |
| रीडर .. | ७००–४०–१,१०० | — | ५००–२५–८०० | ३५०–१५–३८०–२०–५००–२५–६०० |
| लेक्चरर | ४००–३०–६४०–द०रो०–४०–८०० | — | ३००–२०–४००–द०रो०–२०–५०० | २००–१०–३१ १५–४०० – |
| असिस्टेंट प्रोफेसर | — | ३००–२०–५००–द०रो०–२५–८०० । | — | — |

विधान सभा पुस्तकालय

# नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

| नाम लेखपाल | | अवधि | | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० पैसे |
| १—श्री मुहम्मद सईद | .. | १–६–५७ से ३०–६–५७ तक | .. | ५५ ५० |
| २—श्री सत्य नारायण | .. | १–३–६० से ३१–३–६० तक | .. | ६५ ०० |
| ३—श्री हर नाम सिंह | .. | १–६–६० से ४–६–६० तक | .. | ८ ८० |
| ४—श्री विजय बहादुर | .. | १–६–६० से १४–६–६० तक | .. | २९ ८७ |
| ५—श्री वन्दी दीन | .. | १–६–६० से ३०–६–६० तक | .. | ३८ ३० |
| ६—श्री गुरु प्रसाद | .. | १४–७–६० से ३१–७–५० तक | .. | ३८ ३२ |
| ७—श्री सुन्दर लाल | .. | २१–६–६० से ३०–६–६० तक | .. | १९ ६७ |
| ८—श्री रंजीत सिंह | .. | ७–६–६० से २०–६–६० तक | .. | ४४ ०० |
| ९—श्री अंगद प्रसाद | .. | २०–९–६० से ३०–९–६० तक | .. | २४ २० |
| १०—श्री परशु राम | .. | २३–९–६० से ३०–९–६० तक | .. | १७ ५५ |
| ११—श्री प्रभु दयाल | .. | २९–९–६० से ३०–९–६० तक | .. | ४ ४२ |
| १२—श्री प्रताप नारायण | .. | ७–८–६० से ३१–८–६० तक | .. | ४७ ५६ |
| १३—श्री रघुनन्दन लाल | .. | १४–६–६० से ३०–४–६० तक | .. | ३३ ०० |
| १४—श्री उदै नारायण | .. | १–९–६० से ३०–९–६० तक | .. | ६६ ०० |
| १५—श्री राम शंकर | .. | १६–५–६० से ३१–५–६० तक | .. | ३१ ३९ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

प्रश्न संख्या २२ से संबंधित

१—गाजीपुर बहारियाबाद सड़क का विस्तार

२—मुहम्मदाबाद करीमउद्दीनपुर बाजपुर ।

३—मरदह जलालाबाद ।

४—जमनिया दिलदारनगर मदौरा मार्ग झुल्ला के आगे अधूरा भाग ।

५—नन्दगंज शदियामाद ।

६—नन्दगंज चौचकपुर

७—कुड़ेश्वर शेरपुर

८—मलसा ढुरी नागर उतरौली

९—मुहम्मदाबाद रसरा ।

१०—यूसुफपुर जयरामपुर ।

प्रश्न संख्या २३ से संबंधित ।

| पुल का नाम | |
|---|---|
| १—गाजीपुर ताड़ीघाट पर गंगा नदी का पुल | इस पुल के निर्माण का प्रश्न अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । |
| २—सैदपुर पर गंगा नदी पर पीपों का पुल | |
| ३—बेसु नदी का पुल गाजीपुर सादियाबाद बहरियाबाद सड़क पर सादियाबाद के पास | |
| ४—बेसु नदी का पुल गाजीपुर सादियाबादा बहरियाबाद सड़क पर सादात के पास । | |
| ५—मुहम्मदाबाद करीमउद्दीनपुर ताजपुर सड़क पर मगई नदी का पुल । | |
| ६—नन्दगंज चौचकपुर सड़क पर गंगी नदी का पुल | |
| ७—युसुफपुर जयरामपुर सड़क पर मघई नदी का पुल । | |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४७ एल० ए०—१९६५—८६२ ।

विधान सभा